पंचम माला, खंड 60, अंक 25 गुरुवार, 15 अप्रैल, 1976/26 चैत्र, 1898 (शक)
Fifth Series, Vol. LX, No. 25 Thursday, April 15, 1976/Chaitra 26, 1898 (Saka)

# लोक-सभा वाद-विवाद

# का

# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION

# OF

# LOK SABHA DEBATES

[ सोलहवां सत्र / Sixteenth Session ]

सत्यमेव जयते

[ खंड 60 में अंक 20 से 30 तक हैं / Vol. LX Contains Nos. 20 to 30 ]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये *Price* : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

# विषय सूची/CONTENTS

अंक 25, गुरुवार, 15 अप्रैल, 1976/26 चैत्र, 1898 (शक)

No. 25, Thursday, April 15, 1976/Chaitra 26, 1898 (Saka)


| विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | ORAL ANSWERS TO QUESTIONS | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 501, 502, 504, 506 से 509, 511, 512—514 | *Starred Questions Nos. 501, 502, 504, 506 to 509, 511, 512—514 | 1 |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 503, 505, 510, 513, 516, 517 और 519 | Starred Questions Nos. 503, 505, 510, 513, 516, 517 and 519 | 15 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 2426 से 2442, 2444 से 2494, 2496 और 2497 | Unstarred Questions Nos. 2426 to 2442, 2444 to 2494, 2496, and 2497 . . . . | 18 |
| सभा पटल पर रखे गए पत्र | Papers laid on the Table . | 62 |
| विधेयकों पर अनुमति | Assent to Bills | 64 |
| लोक लेखा समिति | Public Accounts Committee | |
| 210वां और 206वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये | 210th and 206th Reports presented . . . | 64 |
| प्राक्कलन समिति | Estimates Committee | |
| 91वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया | 91st Report presented | 65 |
| सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति | Committee on Public Undertakings | |
| 85वां प्रतिवेदिन प्रस्तुत किया गया | 85th Report presented . | 65 |
| अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति | Committee on Subordinate Legislation | |
| 19वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया | 19th Report presented . | 65 |
| चीन जनवादी गणराज्य के साथ हमारे सम्बन्धों में हाल की घटनाओं के बारे में एक वक्तव्य | Statement Re. Recent Developments in our relations with the Peoples' Republic of China | 65 |


किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| श्री यशवन्तराव चव्हाण | Shri Yeshwantrao Chavan | 65 |
| अनुदानों की मांगें—1976-77 | Demands for Grants, 1976-77 . | 66 |
| सूचना और प्रसारण मंत्रालय | Ministry of Information and Broadcasting . . . | 66 |
| डा० रुद्र प्रताप सिंह | Dr. Rudra Pratap Singh . . | 66 |
| श्री सोमनाथ चटर्जी | Shri Somnath Chatterjee . | 67 |
| श्री राम सहाय पांडेय | Shri R. S. Pandey . . | 69 |
| श्री भान सिंह भौरा | Shri B. S. Bhaura . . | 70 |
| श्री सी० डी० गौतम | Shri C. D. Gautam . | 71 |
| श्री ओंकार लाल बेरवा | Shri Onkar Lal Berwa . . | 71 |
| श्री हरी सिंह | Shri Hari Singh . . . | 72 |
| श्री सी० टी० दण्डपाणि | Shri C. T. Dhandapani . . | 73 |
| प्रो० नारायण चन्द पाराशर | Prof. Narain Chand Parashar . | 74 |
| श्री के० मायातेवर | Shri K. Mayathevar . . | 75 |
| श्री राजदेव सिंह | Shri Rajdeo Singh . . . | 76 |
| श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली | Shri Paripoornand Painuli . | 76 |
| श्री पी० जी० मावलंकर | Shri P. G. Mavalankar . . | 77 |
| श्री बी० आर० शुक्ल | Shri B. R. Shukla . . | 78 |
| श्री अर्जुन सेठी | Shri Arjun Sethi . . . | 79 |
| श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा | Shrimati T. Lakshmikanthamma | 79 |
| श्री गिरिधर गोमांगो | Shri Giridhar Gomango . . | 80 |
| गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति | Committee on Private Members' Bills and Resolutions . . | 81 |
| 62वां प्रतिवेदन--स्वीकृत | 62nd Report adopted . . | 81 |
| बहुराष्ट्रीय निगमों के बारे में संकल्प | Resolution Re. Multi-national Corporations . . . | 81 |
| श्री एच० एन० मुकर्जी | Shri H. N. Mukherjee . . | 81 |
| श्री के० लकप्पा | Shri K. Lakkappa . | 83 |
| श्री सेझियान | Shri Sezhiyan . . . | 84 |
| सरदार स्वर्ण सिंह सोखी | Sardar Swaran Singh Sokhi | 86 |
| डा० सरदीश राय | Dr. Saradish Roy . . | 86 |
| श्रीमती सावित्री श्याम | Shrimati Savitri Shyam | 88 |
| श्री के० एस० चावड़ा | Shri K S. Chavda . | 88 |
| श्री बी० वी० नायक | Shri B. V. Naik . | 89 |
| श्री रानेन सेन | Shri Ranen Sen . | 90 |

## लोक-सभा
## LOK SABHA

गुरुवार, 15 अप्रैल, 1976/26 चैत्र 1898 (शक)

*Thursday, April* 15, 1976/*Chaitra* 26, 1898 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair ]

### प्रश्नों के मौखिक उत्तर
### ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**कुवेत द्वारा संयुक्त नौवहन उद्यम की पेशकश**

*501. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या कुवेत द्वारा एक संयुक्त नौवहन उद्यम की पेशकश की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**श्री जगन्नाथ मिश्र :** मुझे उत्तर में कोई तर्क नहीं दिखाई देता। मेरा प्रश्न कलकत्ता के दिनांक 15 फरवरी 1976 के 'बिजनस स्टैंडर्ड' में प्रकाशित एक समाचार पर आधरित है। उसमें यह कहा गया था कि गत जनवरी में कुवेत में एक दल भेजा गया और उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि कुवेत भारत-ईरान के ढंग पर एक संयुक्त नौवहन उद्यम स्थापित करने के लिए इच्छुक है। इस संदर्भ में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है अथवा नहीं।

**श्री एच० एम० त्रिवेदी :** पोतों की खरीद तथा किराये पर लेने हेतु वित्तपोषण तथा प्रबंध व्यवस्थाओं के बारे में शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया तथा कुवेत फॉरेन ट्रेड कांट्रैक्टिंग एण्ड इन्वेसटिंग कम्पनी में कुछ बातचीत अवश्य हुई थी लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका इसलिए कुवेत ने पेशकश वापिस ले ली।

**बेरूत के निकट मारे गये भारतीय**

*502. **श्री एच० ए० मुरुगनन्तम :**

**श्री हरि सिंह :**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेरूत के निकट ग्फारचीमा में दक्षिणपंथी फेलांगिस्टो द्वारा बदले की भावना से व्यक्तियों को मारने के उद्वेग में हाल ही में कुछ भारतीय भी मारे गये है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

**उप विदेश मंत्री (श्री बिपिनपाल दास)** : (क) और (ख) जी हां, । तीन भारतीय राष्ट्रिक (सर्वश्री हाकिम सिंह, गुरदेव सिंह और इकबाल सिंह) 19 मार्च 1976 को बेरूत में एक फैक्टरी में मारे गए थे। कुछ अखबारों में यद्यपि यह संकेत दिया है कि ये लोग ईसाई पैलेन्जिस्ट तत्वों द्वारा मारे गए थे, लेकिन इस बारे में तथ्य अनिश्चित हैं । सम्भव है वे प्रतिशोध और बदले की कटु भावना के परिणामस्वरूप हुई गोलाबारी में अथवा दुर्घटना में मारे गए हों ।

**श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस संबन्ध में कोई जांच की गई है यदि हां तो किस निकाय ने इसकी जांच की है ?

**श्री बिपिनपाल दास :** हमने तथ्यों का पता लगाने की कोशिश की है लेकिन ऐसी स्थिति में वास्तविक तथ्यों का पता लगाना थोड़ा कठिन है इसीलिए मैंने अपने उत्तर में कहा है कि संभव है कि वे प्रतिशोध और बदले की कटु भावना के परिणामस्वरूप हुई गोलाबारी में अथवा दुर्घटना में मारे गए हों।

**Shri Hari Singh:** Incidents of violence have been taking place in Beirut for sometime past. Is the Hon. Minister aware of the number of Indians killed in those incidents ? Is it also a fact that before these incidents various organisations in Beirut have been indulging in propaganda against Indians and there is a deliberate move against them ?

**श्री बिपिनपाल दास :** हमें कोई ऐसी सूचना नही प्राप्त हुई है कि वहां पर भारतीयों को जानबूझकर गोली का शिकार बनाया जा रहा है । हमें केवल यही जानकारी प्राप्त है कि गत अक्तूबर में एक अन्य भारतीय मारा गया था उसका नाम था फिदा हुसैन और 19 मार्च को 3 और व्यक्ति एक कारखाने में मारे गए।

**श्री रामगोपाल रेड्डी :** क्या सरकार ने उन व्यक्तियों के सम्बन्धियों का पता लगाने की कोई कोशिश की है जो इन दुर्घटनाओं में मारे गए है ? क्या वहां की सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा गया है ?

**श्री बिपिनपाल दास :** स्थिति ऐसी है कि विरोध पत्र भेजने का कोई लाभ नहीं है लेकिन इन दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को हमने सूचना दे दी है ।

**खेतिहर मजदूरों को संगठित करना**

*504. **श्री बाल कृष्ण बेंकना नायक :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अंग के रूप में खेतिहर मजदूरों के मजदूर संघों को संगठित करने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इसे बढ़ावा देने के काम में वित्तीय सहायता देने का है ?

**श्रम मंत्री (श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी)** : (क) और (ख) खेतिहर श्रमिकों संबंधी स्थायी समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसरण में राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल के दूरस्थ ग्रामों में आठ ग्रामीण श्रमिक शिविर आयोजित किए गए हैं । इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों की चेतना के स्तर को ऊँचा उठाना है ताकि वे विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत लाभ उठा सकने के लिए अपने आपको संगठित कर सकें, उन्हें अपने अधिकारों और सुविधाओं के बारे में अवगत कराया जा सके तथा जो बात सब से महत्वपूर्ण है, वह यह है कि उनके एकीकरण के रास्ते में जो सामाजिक और सांस्कृतिक रुकावटें खड़ी हैं, उनका पता लगा कर उन्हें स्वयं को संगठित करने की आवश्यकता के बारे में अवगत कराया जाए । तथापि, खेतिहर श्रमिकों के मजदूर संघ संगठित करने सम्बन्धी सरकार के पास कोई विशेष प्लान अथवा कार्यक्रम नहीं है ।

**श्री बी० वी० नायक** : क्या मैं मंत्री महोदय से खेतिहर श्रमिकों के संघ के संगठन के लिए दी जा रही वित्तीय सहायता के बारे में जान सकता हूं ? क्या खेतिहर श्रमिकों के संगठन को कार्मिक संघों या कार्य संघों का रूप देने में सरकार के समक्ष कोई सैद्धान्तिक या अन्य प्रकार की रुकावट है ? क्या इस बारे में कोई आपत्ति है ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : यदि श्री स्टीफन या श्री साल्वे जैसे कार्मिक संघों के नेता खेतिहर श्रमिकों का संगठन करते हैं तो सरकार इसका स्वागत करेगी । किन्तु सरकार किसी भी खेतिहर श्रमिक संगठन को आर्थिक संगठन का रूप नहीं दे रही है ।

**श्री बी० वी० नायक** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार खेतिहर या ग्रामीण श्रमिकों के संगठन या संघीकरण के प्रति अनिच्छुक रही है। क्या मंत्री जी को इस बात का पता है कि गत डेढ़ दशक के दौरान खेतिहर तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए श्रम सोवद सहकारिताओं को संगठित करने के प्रयास गैर-सरकारी ठेकेदारों तथा राज्यों में राज्य के ठेकेदारों ने विफल कर दिए और श्रम सहकारी आन्दोलन अब बहुत धीमा है। श्रम मंत्रालय खेतिहर तथा ग्रामीण श्रमिकों के हितार्थ क्या करने का विचार कर रहा है ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : श्रम मंत्रालय का प्रयास खेतिहर श्रमिकों को नेतृत्व प्रशिक्षण देने का है ताकि वे अपने आपको संगठित कर सकें । किन्तु सरकार कार्मिक संघों के संगठन को अपने हाथ में नहीं लेगी। कार्मिक संघ ही उनके संगठन को अपने हाथों में रखें ।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख की गई सहकारी समिति का सम्बन्ध है, केवल मुझे इतना याद है कि एक समय ऐसा था जबकि खेतिहर श्रमिकों की फील्ड लेबर सोसाइटी होती थी किन्तु देश के विभिन्न भागों में वे भी ढीली पड़ गई क्योंकि स्वयं श्रम नेताओं ने उनमें कोई रुचि नही ली।

**श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर** : हमारे देश में कृषि श्रमिक को सबसे कम मजूरी मिलती है । पश्चिम बंगाल में खेतिहर मजदूर की औसत आय 37 पैसे प्रति दिन है। उन्हें समूचे वर्ष में 150 से 170 दिन तक कार्य मिलता है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उन्हें न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है।

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : इस विषय पर सूची में एक और भी प्रश्न है जो कि पश्चिम बंगाल से सम्बन्धित है।

**अध्यक्ष महोदय** : यह न्यूनतम मजूरी लागू करने के बारे में है । क्या राज्य का मामला नहीं है ? मेरा विचार है कि यह काम राज्य सरकार का है ।

**(व्यवधान)**

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी के सामान्य प्रश्न के सम्बन्ध में...

**अध्यक्ष महोदय** : आप न्यूनतम मजूरी के कार्यान्वयन के बारे में बोल सकते हैं।

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : मैं यही तो कहना चाहता था। न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने, न्यूनतम मजूरी बढ़ाने तथा इसे कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में इस विषय पर दो बार चर्चा हुई जिसके फलस्वरूप कई राज्यों में न्यूनतम मजूरी में वृद्धि की गई और इस निर्णय के अनुसरण में इसे कार्यान्वित करने का भार कई अधिकारियों को सौंपा गया यह अवश्य ही राज्य क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है ।

**श्री के० लकप्पा** : हमारे देश में खेतिहर भूमिहीन श्रमिक वर्ग ही सर्वाधिक रूप से असंगठित है । किन्तु इन श्रमिकों के लिए मजूरी समुचित ढंग से निर्धारित नहीं की गई है । इतना ही नहीं इस वर्ग का शोषण बढ़ता जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है कि देश में इन असंगठित भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का जमीदारों द्वारा शोषण नहीं किया जायेगा । इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए है और क्या राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में कोई निदेश जारी किए गए हैं ?

**श्री रघु नाथ रेड्डी** : मैं पहले ही निबेदन कर चुका हूं कि राष्ट्रीय श्रम संस्थान क्या कार्य कर रहा है। श्रीमान एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने और उसमें श्रमिकों के समक्ष भाषण देने की आपने कृपा की थी । इसके अतिरिक्त हम कुछ क्षेत्र संगठनों को सलाह तथा साहित्य भी दे रहे हैं । और यदि किसी का अपना प्रशिक्षण कैम्प है तो हम वहां कुछ कार्मिकों को भेजने का प्रयास भी कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त हम अपनी ही ओर से क्लासें की लगा रहे हैं। अतः श्रम मंत्रालय इस तरह विभिन्न प्रकार की सहायता दे रहा है । इसके अतिरिक्त श्रम मंत्रालय के लिए कृषि क्षेत्र में कार्मिक संघों को सरकारी संगठनों के रूप में संगठित करना असंभव है।

**Shri K. M. Madhukar** : Hon. Minister has stated that Government have no intention to undertake the organisation of agricultural labour. I want to know from the Government whether by recognising All India Agriculture Labour Union, which is a well established Union, they are going to solve the problems of agricultural labourers.

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप इन कार्मिक संघों को मान्यता दे रहे हैं ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : जहां तक कार्मिक संघों की गतिविधियों का सम्बन्ध है, कार्मिक संघ अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत खेतिहर मजदूरों को संगठित किया जा सकता है और कार्मिक संघ संगठन के रूप में उनका पंजीकरण किया जा सकता है । इसमें कोई कठिनाई नहीं है । कहा गया है कि भारत के

लगभग 480 लाख लोग खेतिहर मजदूर हैं । इनमें से 30 या 37 लाख श्रमिक विभिन्न कार्मिक संघ संगठनों के अन्तर्गत संगठित हैं और जहां तक खेतिहर श्रमिक संगठनों का सम्बन्ध है, ये पूर्णतया अव्यवस्थित हैं । कुछ राज्यों में ये संगठन सुव्यवस्थित हैं और कुछ राज्यों में तो इनके संघ भी नहीं बने हुए हैं ।

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि क्या गत एक वर्ष में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंटक ने ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने का प्रयास किया है ? नेशनल ओमन वर्कर्स फेड्रेशन भी देश में ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने का कार्य कर रहा है । क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की पांच मुख्य बातों के कार्यान्वियन हेतु ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने का प्रयास करते हुए कार्यान्वियन तंत्र को राज्य स्तर पर मजबूत करना है ताकि न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने, बंधक श्रम प्रणाली समाप्त करने तथा ग्रामीण ऋण ग्रस्तता तथा अन्य समस्याओं को हल करने में सहायता मिले और उन्हें राज्य स्तर पर प्रभारी ढंग से हल किया जा सके । अतः क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय श्रम मंत्रालय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया है कि खेतिहर मजदूरों के लिए कार्यान्वयन तंत्र मजबूत किया जाना चाहिए और यदि हां तो केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने राज्य स्तर पर कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी :** मुझे इस बात का पूरा पता है कि इंटक के अध्यक्ष, श्री भगवती के विशिष्ठ नेतृत्व में खेतिहर मजदूरों को कई राज्यों में संगठित किया जा रहा है । कुछ राज्यों में इन्होंने कुछ अग्रणी कदम उठाये हैं और उनके संगठन को कुछ महत्व मिल गया है । न्यूनतम मजूरी के कार्यान्वयन के लिए कितने कार्मिकों को नियुक्त किया जाये, इस प्रश्न पर श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में दो बार बातचीत हुई है । विभिन्न राज्य सरकारों ने कुछ कदम उठाये हैं । वास्तव में केन्द्रीय सरकार ने इस प्रश्न की ओर राज्य मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया है । इस विषय में मैंने स्वयं राज्यों के श्रम मंत्रियों को लिखा है ।

**श्री वसंत साठे :** यह सही है कि आप कार्मिक संघों का सरकारी संगठनों के रूप में संगठन नहीं कर सकते । किन्तु आप खेतिहर मजदूरों की सहकारी समितियां बनवाने में सहायता क्यों नहीं कर सकते ताकि सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी जा सके । मुख्य बाधा कार्य की कमी है । अधिकांश सरकारी एजेन्सियों, चाहे वह रेलवे हो, सरकारी क्षेत्र के संगठन हों या कोई अन्य संस्थाएं हों, गैर-सरकारी ठेकेदारों को ही कार्य देती हैं न कि सहकारी समितियों को । क्या आप समुचित समन्वय की व्यवस्था करेंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की स्थापना से भूमिहीन श्रमिक समितियों को अधिक कार्य मिल सके ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी :** मैं इस पहलू की जांच करूंगा ।

## पाकिस्तान का फ्रांस के साथ सुरक्षा समझौता

*506. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक स्थानीय दैनिक में प्रकाशित 'पाकिस्तान का फ्रांस के साथ सुरक्षा समझौता' संबंधी समाचार देखा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**उप विदेश मंत्री (श्री बिपिनपाल दास)** : (क) जी हां। लेकिन फ्रांस की सरकार ने पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार के सुरक्षा समझौते की बात को अस्वीकार किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ?

**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : यह समाचार ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन ने प्रसारित की थी और भारतीय समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ । मैं नहीं समझता कि बिना आग के धुआ निकलता हो । क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री महोदय इस बारे में व्यापक रूप से जांच करने जा रहे हैं क्योंकि इनमें से अधिकांश समझौते गुप्त रूप में हैं ?

**श्री बिपिनपाल दास** : पैरिस में स्थित हमारे दूतावास ने फ्रांस सरकार से संपर्क किया और उन्होंने स्पष्ट रूप से इस तरह के किसी गुप्त समझौते का खंडन किया है ।

**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या मैं जान सकता हूं कि खाड़ी देशों के बीच सहयोग तथा हथियारों तथा सामग्री की सप्लाई भी इस्लामाबाद तथा फ्रांस के बीच हुए गुप्त समझौते का एक अंश है ? या यह एक पृथक समझौता है ? क्या फ्रांस की सरकार ने हमें इस बारे में कोई जानकारी दी है ?

**अध्यक्ष महोदय** : वह कहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई गुप्त समझौता नहीं हुआ है ।

**श्री बिपिनपाल दास** : पाकिस्तान और फ्रांस के बीच हुए किसी रक्षा या सुरक्षा समझौते की हमें कोई खबर नहीं है । किन्तु यह निश्चित है कि फ्रांस पाकिस्तान को आधुनिकतम हथियारों की सप्लाई करता है । यह सही है ।

**श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद राव** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या फ्रांस ने हाल ही में पाकिस्तान को आधुनिकतम विमान सप्लाई करने का कोई समझौता किया है ?

**श्री बिपिनपाल दास** : मैं पहले ही कह चुका हूं कि फ्रांस पाकिस्तान को आधुनिकतम हथियारों की सप्लाई करता है ।

**लीमा सम्मेलन में 'न्यूज पूल' के बारे में लिये गये निर्णय पर विचार-गोष्ठी**

*507. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लीमा में आयोजित पिछले गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन ने 'न्यूज पूल' बनाने पर आगे विचार किया तथा ट्यूनीसिया में विचार-गोष्ठी आयोजित करने के लिए ट्यूनीसिया को समन्वय कर्ता बनाया और गुट-निरपेक्ष देशों की इस वर्ष नई दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाना निर्धारित किया ;

(ख) क्या गुट-निरपेक्ष देशों की वर्तमान एजेंसियों के प्रतिनिधियों द्वारा नई दिल्ली में आयोजित बैठक में भाग लिये जाने की आशा है ; और

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा में गुट-निरपेक्ष देशों की संख्या दो गुटों की संयुक्त संख्या से अधिक है ?

**उप विदेश मंत्री (श्री बिपिन पाल दास)** : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि गुट-निरपेक्ष देश अपने आपको गुट नहीं मानते ।

**Shri Rajdeo Singh**: A conference of the Foreign Ministers of the non-aligned countries was held in Lima, in which a idea was developed that a news-pool should be made of the non-aligned countries. It was also decided there that a preparatory conference should be held in Tunis and the larger conference will be held in Delhi where this idea will be given final shape. A symposium in this regard was organised in Tunis in this month or at the end of the last month. A delegation from our country also attended that symposium. Prime Minister's special representative, Shri Unus also attended that symposium.

**Mr. Speaker** : Please don't give more details. You simply ask the question.

**Shri Rajdeo Singh** : I want to know whether any decision to set up a single news media was also taken in that symposium held in Tunis and what is the programme of the larger conference of the non-aligned countries going to be held in Delhi.

**श्री बिपिनपाल दास** : स्वयं लीमा में ही एक निर्णय लिया गया था। अब तो इसे अंतिम रूप दिया जाना है और ऐसा करने के लिये अगली बैठक दिल्ली में बिठाने का निर्णय किया गया है । यह सम्मेलन जुलाई के आरम्भ में आरम्भ होगा और यह मंत्री स्तर पर होगा। ट्यूनिस में केवल विचार-गोष्ठी हुई थी ।

**Shri Rajdeo Singh** : The part (c) of my question is as following:—

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा में गुट-निरपेक्ष देशों की संख्या दो गुटों की संयुक्त संख्या से अधिक है ?

उसके उत्तर में कहा गया है :--

चूंकि गुट-निरपेक्ष देश अपने आपको कोई गुट नहीं समझते, अतः ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता।

It is a fact that non-aligned countries are devided in some blocks. For example there is a separate block of African countries. A conference is going to be held in Asia also. Including all these non-aligned countries make a block. Hon. Minister may differentiate between power block and block.

**Mr. Speaker** : Please you ask the question. The Minister says that there is no block whereas the Hon. Member says that there is block.

**Shri Rajdeo Singh** : I want to know whether the Hon. Minister finds any difference between the power blocks and blocks.

**श्री बिपिनपाल दास** : गुट में कुछ सम्पृक्तार्थ होते हैं । इस दृष्टि से गुट-निरपेक्ष देशों ने कोई गुट नहीं बनाया।

**श्री पी० जी० मावलंकर** : मंत्री जी ने कहा है कि मंत्री स्तर पर होने वाली बैठक इस वर्ष जुलाई के आरम्भ में होगी । चूंकि यह बैठक दिल्ली में होगी अतः क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या गुट-निरपेक्ष देशों के लिये एक न्यज पूल के संबंध में भारत सरकार ने लीमा में हुई बैठक में पहल दिखाई थी ? यदि हां तो क्या वह हमें इस संबंध में कुछ बता सकते हैं ?

**श्री बिपिनपाल दास**: इस पूल की स्थापना करने के संबंध में लीमा में मतैक्य हुआ था । हमें यह सम्मेलन आयोजित करने के लिये कहा गया है। बातचीत चल रही है और हमने इस बारे में एक प्रारूप कार्यसूची तथा प्रारूप संविधान तैयार कर लिया है । सभी गुट-निरपेक्ष देशों को उनका परिचालन कर दिया गया है । हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

## खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम मजूरी

*508. **श्री एच० एन० मुखर्जी**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी खेतिहर मजदूर अपनी मजूरी में वृद्धि के बारे में अनभिज्ञ हैं :

(ख) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल में खेतिहर मजदूरों को केवल 37 पैसे मिलते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कृषि मजदूरों के लिये न्यूनतम वेतन दिया जाना लागू करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

**श्रम मत्री (श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी)** : (क) और (ख) राज्य श्रम विभाग द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण, जिसके अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में 519 खेतिहर मजदूर आते हैं, से संबंधित एक प्रेस रिपोर्ट के अनुसार, साक्षात्कार किए गए मजदूरों में से बहुत से मजदूर सांविधिक न्यूनतम मजदूरी से अनभिज्ञ थे । उनकी वार्षिक औसत कमाई भी कम सूचित की गई थी ।

(ग) राज्य सरकार ने अधिसूचित मजदूरी दरों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हाल ही में ब्लाक स्तर पर निरीक्षकों के 335 पद और सहायक श्रम आयुक्तों के 30 पद सर्जित किए हैं ।

**श्री एच० एन० मुखर्जी** : प्रधान मंत्री ने हाल ही में कहा है कि उन्हें विशेषरूप से हमारे आंकड़ों में विश्वास नहीं है । क्या सरकार बतायेगी कि पश्चिम बंगाल में खेतिहर मजदूरों की दैनिक आय क्या है जो कि सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी आंकड़ों के अनुसार 37 पैसे प्रतिदिन प्रतीत होती है ? सरकार इन खेतिहर मजदूरों की समस्या को किस प्रकार हल करेगी जिनकी आय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार 1970-71 में 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति मास थी ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : पश्चिम बंगाल सरकार ने बुर्दवान, बंकुरा और पश्चिमी दिनाजपुर में एक सर्वेक्षण किया था जिसके एक अध्याय में सर्वेक्षण का सारांश दिया गया है, जिसमें बताया गया है :

> "पश्चिम बंगाल में एक खेतिहर मजदूर के औसतन 3-4 आश्रित हैं और उसे साल में 150 से 170 दिन से अधिक काम नहीं मिलता । उसकी आय 37 पैसे प्रति व्यक्ति प्रति दिन बैठती है।" सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 150 दिन की आय को जब 4 व्यस्कों में बांटा जाता है तो 37 पैसे बैठती है । पश्चिम बंगाल में न्यूनतम मजदूरी दरें इस प्रकार हैं : 6.63 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन, और 4.75 प्रति दिन प्रति बालक । न्यूनतम मजदूरी लागू करने के लिये हमने ब्लाक स्तर तक व्यापक व्यवस्था की है जिसके अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में प्रत्येक ब्लाक के लिये एक न्यूनतम मजदूरी इन्सपेक्टर होगा और प्रत्येक डिवीजन के लिये एक सहायक श्रम आयुक्त होगा ।

**श्री एच० एन० मुखर्जी** : मंत्री महोदय के वक्तव्य से एक अत्यधिक सोचनीय स्थिति का पता चला है जिसे शीघ्राताशीघ्र समाप्त किया जाना चाहिये । क्या सरकार नौकरशाही पर विश्वास करना बन्द करके, राजनैतिक कार्यकर्ताओं का एक ऐसा संगठन बनायेगी जो प्रशासन की वर्तमान अपेक्षाओं को पूरा कर सके ? राजनीतिक इच्छा की वास्तविक अभिव्यक्ति नहीं हो रही है और इस बात का उल्लेख

आर्थिक सर्वेक्षण के प्रतिवेदन में भी किया गया है । खेतिहर मजदूरों की दशा सुधारने के लिये क्या सरकार भूमि सुधारों संबंधी प्रस्तावों को तथा अन्य संबंधित कार्यों को कार्यान्वित करने हेतु जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी:** जैसा मैंने बताया कार्यान्वयन के लिये 335 इंसपेक्टर और 30 सहायक श्रम आयुक्त नियुक्त किये जा चुके हैं ।

**श्री के० मालन्ना:** कर्नाटक सरकार ने भी न्यूनतम मजदूरी में 30 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। बहुत से मजदूरों को इस वृद्धि का पता नहीं है । न्यूनतम मजदूरी देने में भी भेदभाव करना पाया है । न्यूनतम मजदूरी संबंधी इस नीति को लागू करने हेतु क्या प्रभावी पग उठाये जा रहे हैं ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी :** यह प्रश्न कर्नाटक सरकार से संबंध रखता है ।

**अध्यक्ष महोदय :** आप इस प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं ?

**श्री इन्द्रजीत गुप्त:** मंत्री महोदय ने कहा है कि खेतिहर मजदूर की आय को जब आप उसके 4 या 5 आश्रितों की संख्या से भाग देते हैं तो यह 37 पैसे बैठती है । यदि आप 37 पैसे को 4 या 5 से गुणा करें तो 2 रुपये से भी कम बैठती है जबकि पश्चिम बंगाल में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन बढ़ाई गई न्यूनतम मजदूरी 6 50 रुपये से 8.50 रुपये प्रति दिन है जब इसे आप 4 या 5 से भाग दें तो यह 1.25 रुपये से अधिक आता है । ऐसी स्थिति में क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को यह आदेश देगी कि वे इन अधिसूचित दरों की जानकारी प्रत्येक कोने में पहुंचाने का प्रयत्न करे ? इन दरों को गजट में छापने से कोई लाभ नहीं होगा। यह सुनिश्चित करने हेतु कि अधिसूचित दरें वास्तविक रूप में लागू हों क्या कोई कार्यान्वयन समितियां बनाई जायेंगी या आप केवल इन्सपेक्टर का कार्यालय ही खोलेंगे ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी :** ये दोनों बातें राज्य सरकार को बता दी जायेंगी ।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य :** मंत्री महोदय ने अपनी सुविधा के लिये पश्चिम बंगाल सरकार के एक प्रतिवेदन का उल्लेख किया है । जब कभी भी उनसे इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वह उत्तर न देकर यह कहते हैं कि प्रश्न को राज्य सरकारों को संबोधित किया जाये और पता लगाया जाये कि वे क्या कदम उठा रही हैं ? न्यूनतम मजदूरी कम ही नहीं है बल्कि निश्चित की गई न्यूनतम मजदूरी को भी लागू नहीं किया जा रहा है । आप देख रहे हैं कि खेतिहर मजदूरों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन कृषकों की संख्या कम हो रही है । एक ओर तो उन्हें निश्चित की गई न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है और दूसरी ओर, उनकी संख्या बढ़ रही है । इससे पता चलता है कि सरकार इसे लागू करने के मामले में ढील बरत रही है । यही नहीं जब पुलिस के पास ऐसे मामले भेजे जाते हैं तो उन मामलों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती क्योंकि पुलिस भी कृषकों से मिली हुई है ।

**अध्यक्ष महोदय :** यह काफी है ।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य:** श्री रेड्डी इस प्रश्न का उत्तर वैसे ही नहीं दे रहे हैं जैसे पश्चिम बंगाल में राज्य श्रम मंत्री नहीं दे रहे हैं ?

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय इस बात पर प्रकाश डाल सकते हैं । एक तो यह कि खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़ रही है और दूसरे सरकार में निजी स्वार्थ वाले लोग हैं ।

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसमें उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है, कोई प्रश्न नहीं पूछा । आपके आदेशानुसार, मैं बता दूं कि 1971 की जनगणना के अनुसार खेतिहर, मजदूर जो कुल मजदूरों का 15.3 प्रतिशत थे बढ़कर 25.7 प्रतिशत हो गये । कुछ सीमांत किसान भी खेतिहर मजदूर बन गये । निस्सन्देह, श्री इन्द्रजीत गुप्त के विचारों पर ध्यान दिया जायेगा और हम राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करेंगे ।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : इनका रवैया देखिये ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप उनकी सलाह भी मानिये ।

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : जहां तक श्री भट्टाचार्य का प्रश्न है, समाचारों के अनुसार 12 श्रमिक संघ हैं, और प्रत्येक श्रमिक संघ में केवल 1000 सदस्य हैं । मैं उन्हें सलाह दूंगा कि वह अपना समय इस प्रश्न पर बरबाद करने के बजाय उन्हें उन श्रमिक संघों को संगठित करने का प्रयत्न करना चाहिये । (**व्यवधान**)

**श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : क्या यह सच है कि प्रति वर्ष सीमांत और छोटे किसान अपनी अलाभप्रद जोतों के कारण खेती छोड़कर खेतिहर मजदूर बन जाते हैं और इस प्रकार खेतिहर मजदूरों की संख्या में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है । इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

दुसरे, मंत्री ने कहा है कि खेतिहर मजदूरों की आय बहुत कम है और वे साल में छः महीने बेकार रहते हैं । क्या यह सच है कि कृषि उत्पादों के मूल्यों में मन्दी आने के कारण, किसान लोग सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी नहीं दे सकते और क्या सरकार किसानों को कुछ सहायता देने के संबंध में कोई योजना तैयार कर रही है ताकि वे न्यूनतम मजदूरी दे सकें ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप उनके सुझाव को ध्यान में रख सकते हैं ।

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : यह एक विस्तृत विषय है ।

**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

## दिल्ली प्रशासन द्वारा परिवार नियोजन के उपाय

*509. **श्री रानेन सेन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने प्रत्येक अध्यापक/अध्यापिका के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वह मार्च, 1976 का अपना वेतन प्राप्त करने से पहले नसबन्दी के लिये पांच मामले लाएं ; और

(ख) क्या नसबन्दी के लिये पांच मामले नहीं लाने वाले अध्यापकों को वार्षिक वेतन वृद्धि तथा पदोन्नति नहीं मिलेगी ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम में अध्यापकों को लगाने के प्रयत्न तो किये गये हैं परन्तु यह सही नहीं है कि दिल्ली प्रशासन ने प्रत्येक अध्यापक/अध्यापिका के लिये यह अनिवार्य कर दिया है कि वह अपना मार्च, 1976 का वेतन लेने से पहले अथवा अपनी सालाना तरक्की या पदोन्नति से पहले नसबन्दी के लिये पांच मामले लाये । किसी भी अध्यापक/अध्यापिका को इस संबंध में वेतन, वार्षिक वृद्धि अथवा पदोन्नति पाने से वंचित नहीं किया गया है ।

**श्री रानेन सेन** : पिछले कुछ दिनों के समाचार पत्रों से पता चला है कि एक सरकारी सर्कुलर के अनुसार अध्यापकों से नसबन्दी के लिये पांच व्यक्ति लाने को कहा गया है वर्ना उनकी सलाना तरक्की रुक जायेगी । यह भी खबर मिली है कि अध्यापकों, डाक्टरों और नर्सों के साथ-साथ कुछ अन्य एजेंसियां भी इस आंदोलन में भाग ले रही हैं जिनका इससे या दिल्ली प्रशासन अथवा स्वास्थ्य मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है । समाचार पत्रों में इस संबंध में कई पत्र छपे हैं जिनमें इस संबंध में उत्सुकता व्यक्त की गई है । क्या ऐसा कोई सर्कुलर जारी किया गया है ?

**चौधरी राम सेवक** : अध्यापकों से कहा गया था कि वे स्कूल के बच्चों के परिवारों, उनके मित्रों और संबंधियों आदि से संपर्क करें और परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाये । परन्तु अनिवार्यता की कोई बात नहीं है ।

**डा० रानेन सेन** : मैंने यह पूछा है कि क्या ऐसा कोई सर्कुलर है ?

**चौ० राम सेवक** : दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय की ओर से परिवार नियोजन आंदोलन के अन्तर्गत, अध्यापकों से एक अपील की गई थी । यह एक पत्र है जो अपील के रूप में जारी किया गया है । लेकिन अध्यापकों के लिये पांच मामले लाना अनिवार्य नहीं है ।

**अध्यक्ष महोदय** : वह कह रहे हैं कि यह एक अपील थी, कोई अनिवार्यता नहीं ।

**डा० रानेन सेन** : यह समाचार पत्रों में छपा है और एक या दो लोगों के नाम भी दिये गये हैं । इस प्रचार के कारण शहर में आतंक हैं । क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि मुसलमान लोग अनिवार्य नसबन्दी अथवा परिवार नियोजन के खिलाफ हैं । कुछ हिन्दू लोग भी यह प्रश्न उठा रहे हैं । अतः इस अपील को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार परिवार नियोजन संबंधी अपनी नीति स्पष्ट करेगी ।

**चौ० राम सेवक** : परिवार नियोजन राज्य का विषय है और सामान्यता केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों द्वारा अपने विषयों के संबंध में अपनाये गये उपायों में हस्तक्षेप नहीं करती ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या एक सर्कुलर के रूप में कोई अपील अन्य सरकारी कर्मचारियों को भी की गई है ? क्या नसबन्दी के मामले लाने वाले अन्य लोगों की तरह अध्यापकों को भी कुछ धनराशि दी जायेगी ?

**चौ० राम सेवक** : दिल्ली प्रशासन ने यह अपील सभी लोगों को की है और समाचार पत्रों में भी इस आशय का एक प्रेस नोट जारी किया गया है ।

**श्री टी० लक्ष्मीकान्तम्मा** : क्या यह सच है कि बहुत से अध्यापकों ने यह आशंका व्यक्त की है कि यदि वे अनिवार्य नसबन्दी के चार या पांच मामले नहीं लाये तो उन्हें वेतन नहीं मिलेगा । माननीय मंत्री महोदय इसकी जांच करेंगे और यदि इस आशय का कोई सर्कुलर है तो क्या वे इस भय को दूर करेंगे ?

**चौ० राम सेवक** : यदि ऐसा कोई मामला मेरे ध्यान में लाया गया तो मैं उसकी जांच करूंगा ।

**अध्यक्ष महोदय** : वह कहते हैं कि जांच करेंगे ।

**Shri Ramavatar Shastri** : Is it a fact that some additional tax is proposed to be levied on mothers with three or more children and their ration cards are to be forfeited ?

**Ch. Ram Sewak** : No please. However, Government have issued a circular that free medical aid will be available to parents with two children and parents with more than two children will be charged Rs. 5 in O.P.D. and Rs. 10 for indoor treatment.

**श्रीलंका के साथ 'समुद्री क्षेत्र' समझौता**

*511. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में श्रीलंका के साथ किसी 'समुद्री क्षेत्र' समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

**उपविदेश मंत्री श्री बिपिनपाल दास** : (क) भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा के बारे में एक करार पर नई दिल्ली में 23 मार्च, 1976 को हस्ताक्षर हुए थे ।

(ख) इस करार में मध्य रेखा के सिद्धांत के आधार पर मन्नार और बंगाल की खाड़ियों में भारत तथा श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा अंकित कर दी गई है । करार के साथ पत्रों का आदान-प्रदान हुआ जिनमें भारत द्वारा एकमात्र आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के बाद वाज किनारे पर श्रीलंका द्वारा मछली पकड़ने के लिए तीन साल की चरण-बद्ध अवधि निर्धारित की गई थी ।

**श्री राम सहाय पांडे** : चूंकि विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया गया है इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं समुद्री तट का कितना क्षेत्र ऐसा है जिसे मछली पकड़ने या तेल की खोज करने के लिये भारतीय सीमा के रूप में जाना जा सकता है ।

**श्री बिपिनपाल दास** : करार का विस्तृत ब्यौरा 24 मार्च, 1976 को सभा पटल पर रख दिया गया था ।

**श्री राम सहाय पांडे** : यह इतना तो बता सकते हैं कि वह ब्यौरा क्या है ?

**अध्यक्ष महोदय** : ब्यौरा पहले ही सभा पटल पर रखा जा चुका है ।

**बम्बई और दिल्ली के बीच सूक्ष्म तरंग पारेषण व्यवस्था**

*512. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और दिल्ली के बीच सूक्ष्म तरंग पारेषण व्यवस्था स्थापित की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त काम में कितनी प्रगति हुई है, वह कब तक पूरा हो जाएगा ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली और बम्बई के बीच दिए जाने वाले लिन्क से रास्ते में पड़ने वाले जयपुर, कोटा, इंदौर, धुलिया, और थाना शहर भी परस्पर जुड़ जायेंगे । जयपुर-कोटा-इन्दौर-धुलिया सेक्शन पहले ही पूरा हो चुका है और आशा है कि लिंक का शेष काम अर्थात् धूलिया-थाना-बम्बई तथा दिल्ली-जयपुर सेक्शनों का काम दिसम्बर 1976 तक पूरा हो जाएगा ।

**श्री शंकर राव सांवत** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सूक्ष्म तरंग वर्तमान लाईन के स्थान पर प्रतिस्थापित की जायेगी या वह वर्तमान लाइन के अतिरिक्त होगी ।

**श्री जगन्नाथ पहाड़िया** : वह वर्तमान लाईन के अतिरिक्त होगी ।

**श्री शंकर राव सांवत** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इससे सूक्ष्म तरंग लाईन में परिणत करने पर नम्बर घुमाने की व्यवस्था स्वचलित होगी ?

**श्री जगन्नाथ पहाड़िया** : बम्बई तथा दिल्ली, बम्बई और कलकता तथा कुछ अन्य मार्गों के बीच स्वचलित व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है ।

**भारतीय नौवहन निगम द्वारा वसूल की गई नकद गारन्टी**

***514. श्री डी० के० पंडा :**

**श्री एन० श्रीकांतन नायर :**

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड ने जहाजों पर प्रशिक्षणार्थ प्रशिक्षणार्थियों के रूप में नियुक्त किये गये 'डायरैक्ट केडेटों' से नगद गारंटी वसूल की थी ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि की गारंटी वसूल की गई और यह कितने समय के लिये ली गई ; और

(ग) क्या निगम द्वारा इन केडेटों को उनसे वसूल की गई नगद गारंटी की राशि पर उतनी ही दर पर ब्याज दिया जाता है जितनी दर पर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सर्वाधिक जमाराशि पर दिया जाता है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी)** : (क) जी, हां । शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया अपने जहाजों पर अप्रेंटिसी प्रशिक्षण के लिये नियुक्त सीधे आने वाले प्रत्येक केडट से 2500 रुपए की नकद गारंटी प्राप्त करता है ।

(ख) अक्तूबर, 1972 से, जब से योजना शुरु की गई, सीधे आने वाले 373 केडटों से नकद गारंटी के रूप में कुल 9,32,500 रुपये वसूल किये गये हैं । केडट जब द्वितीय मेट एम० ओ० टी० प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेता है तो पांच वर्षों की सेवा के बाद जमा राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जाती है।

(ग) जी, नहीं।

**श्री डी० के० पंडा** : यदि कोई व्यक्ति स्कूटर खरीदना चाहता है तो उसे 500 रुपया जमा करवाना पड़ता है जिस पर उसे ब्याज मिलता है । इसी प्रकार दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास जी 5000 या 8000 रुपया मकान के आंबटन के लिए जमा करवाया जाता है, उस पर भी ब्याज दिया जाता है ।

जहां तक इस प्रशिक्षणार्थियों के विशिष्ट मामले का सम्बन्ध है, उनका प्रशिक्षण काल 3 वर्ष का है तथा उसके उपरान्त पांच वर्ष का उनका सेवा काल है जो कुल मिलाकर आठ वर्ष हुआ। आठ वर्ष तक जब यह धन जमा रहेगा, तो फिर भला सरकार इस पर भी अन्य जमा धनराशियों की तरह ब्याज क्यों नहीं होती है ?

**श्री एच० एम० त्रिवेदी** : प्रथम बात तो यह है कि शिपिंग कारपोरेशन द्वारा प्रत्येक परिक्षार्थी को परीक्षण देने के लिए लगभग 50,000 से 60,000 रुपया खर्च करना पड़ता है और इसके तुलना में 2,500 रुपये का ब्याज तो बहुत ही मामूली होगा। दूसरे आपको यह भी मालूम होगा कि शैक्षिक या प्रशिक्षण संस्थाओं में जमा धनराशि पर कोई ब्याज नही दिया जाता यद्यपि वह धनराशि वापिस की जानी होती है।

**श्री डी० के० पंडा** : क्या इस बात की गारंटी होती है कि प्रशिक्षण काल की समाप्ति पर प्रशिक्षार्थी की नियुक्ति कर दी जायेगी और यदि नहीं, तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि जिन मामलों में यह आठ वर्ष की कालावधि बढ़ा दी जाती है क्या उन मामलों में भी सरकार ब्याज देगी या नहीं ?

**श्री एच० एम० त्रिवेदी** : प्रथमतः मैं यह बता दूं की प्रशिक्षण पूरा होने पर शिपिंग कारपोरेशन या किसी अन्य भारतीय पोत पर नियुक्ति की गारंटी रहती ही है ।

**श्री डी० के० पंडा** : कुछ ऐसे भी मामले है जहां कि उनकी नियुक्ति नही की गई है क्योंकि उन्हें कम वेतन देने की पेशकश की गई और यही कारण है कि वह विदेश जा रहे है। प्रशिक्षणकाल की समाप्ति पर उन्हें नौकरी की पेश कश की जाती है तो उन्हें उचित वेतन दिया जाना चाहिये ।

**श्री एच० एम० त्रिवेदी** : इण्डियन फ्लेग शिप्स पर कार्य करने वाले गोदी अधिकारियों की परिलब्धियों का निर्णय मारटाइम यूनियन ऑफ इण्डिया और इण्डियन नेशनल शिप ओनरर्ज एसोसिएशन की द्विपक्षीय बातचीत द्वारा किया जाता है ।

**श्री इंद्रजीत गुप्त** : इस द्विपक्षीय बातचीत के बावजूद भी तथ्य यह है कि भारतीय पोतों पर कार्य करने वाले वाणिज्य पोत अधिकारियों की परिलब्धियां उनके समकक्षी विदेशी पोतों पर कार्य करने वाले अधिकारियों की तुलना में काफी कम है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी ऐसी योजना पर विचार किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षित अधिकारियों को प्रशिक्षणकाल की समाप्ति कर भारतीय पोतों पर ही चाहे वह शिपिंग कारपोरेशन के हो या अन्य भारतीय पोत, सेवा करनी पड़े और वह अन्य विदेशी पोत कम्पनियों के अधिक परिलब्धियों के प्रलोभन में न आ सकें । मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को इतना तो भली भांति मालूम ही है कि भारतीय व्यापार पोतों के पास अधिकारियों का काफी अभाव है क्योंकि वह अन्य पोत कारपोरेशनों द्वारा अपनी ओर आकृष्ट कर लिये जाते हैं।

**श्री एच० एम० त्रिवेदी** : तथ्यात्मक दृष्टि से यह सत्य ही है कि हमारे प्रशिक्षित अधिकारी अन्य विदेशी पोतों की अधिक परिलब्धियों की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि केवल चार ही महीने पहले, मारटाइम यूनियन ऑफ इण्डिया ने भारतीय अधिकारियों को ऊंचे वेतनमान देने के लिये पोत मालिकों के साथ बातचीत की थी ।

**Pending cases and appeals relating to Mines**

*515. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the number of cases and appeals relating to mines pending with Union Government for review; and

(b) steps taken to dispose of these cases expeditiously?

**The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Chandrajit Yadav)** : (a) and (b) : Special steps have already been enforced for some time so as to expedite disposal of revision petitions under the Mineral Concession Rules, 1960. The number of such petitions pending on 1-4-75 was 1318. 885 new cases were instituted during the year 1975-76. Due to disposal during the year having increased to 1328, the number of total pending cases as on 1-4-1976 has already reduced sharply to 875.

**Shri M. C. Daga** : It has been stated that 1318 cases are lying pending under Mineral Concession Rules. I want to know how many of them are pending for the last 10 years, how many for the last 5 years and how many for the last 3 years.

**Shri Chandrajit Yadav** : It will not be possible for me to give this detail just now but if Hon. Member desires, it can be made available to him later on. I may further state that attempts are being made to dispose off these cases expeditiously. It is apparent from the figures that this year the double number of cases has been disposed off as compared to those of last year. Instructions have been issued to dispose off these cases expeditiously. The actual problem is that we are to call for the comments of the State Government and then we are also to seek the comments of the party and that takes sufficient time. But we are grappling with this hurdle also and the Rules of Procedure is being simplified for the speedy disposal of such cases.

**Shri M. C. Daga** : May I know how long you take in deciding a revision petition?

**Shri Chandrajit Yadav** : No definite time limit has been fixed for that but normally three months time is given to the State Governments for offering their comments. Mostly the comments of State Governments are received earlier than this time limit. Though according to rules an *ex-parte* decision can be given in case the party fails to give his comments within the stipulated time but still the extension of time is granted for meeting the ends of justice. Despite all this we are trying for speedy disposal of cases.

**Shri Swaran Singh Sokhi** : It has been stated by the Minister that decision is taken after calling the comments of the State. Recently an appeal of a private owner of Singhbhum District was allowed by Supreme Court. A comment from the Bihar Government was called for and that man filed an appeal in the Supreme Court which the Government lost. I want to know how the Government is going to react in such cases?

**Shri Chandrajit Yadav** : It is the right of every citizen to go to Supreme Court and a decision of Supreme Court will be a binding.

**Mr. Speaker** : It is an undisputed fact that the decision of Supreme Court will be a binding.

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर
## Written Answers and Questions

**दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आधारित जहाजरानी कान्फ्रेंस**

503. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रसंघ आधारित जहाजरानी कान्फ्रेंस शीघ्र ही समवेत होंगी;

(ख) इससे 'फारईस्ट फ्रेट कान्फ्रेंस' के एकाधिकार को समाप्त करने में कहां तक सहायता मिलेगी; और

(ग) उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी)** : (क) सरकार को किसी ऐसे प्रस्ताव के बारे में कोई निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**पश्चिम जर्मनी के व्यापारिक शिष्टमण्डल की यात्रा**

*505. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी के व्यापारिक शिष्टमंडल ने मार्च, 1976 में भारत की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास)** : (क) जी हां।

(ख) इस यात्रा से दोनों पक्षों को परस्पर हित के विविध आर्थिक मामलों पर विचारों के आदान-प्रदान का अवसर प्राप्त हुआ जिससे कि दोनों देशों के बीच आर्थिक एंव वाणिज्यिक संबंधों के विकास के लिए और भी सद्भाव बढ़े।

**Bridge across Ganga**

†*510. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the funds allocated so far by Central Government for the bridge being constructed across Ganga at Patna;

(b) the amount proposed to be allocated by the Central Government in the current financial year;

(c) the progress of construction of the bridge and the amount incurred thereon so far; and

(d) the time by which it would be completed?

**The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Dalbir Singh)**: (a) to (d) : The Ganga bridge under consturction at Patna falls on a State road and as such the Bihar Government are primarily concerned with this projcet. In order, however, to assist the State Government financially, in the construction of this bridge, the Central Government agreed to provide during the 4th Plan period a non-plan loan to meet 50% of the expenditure during that plan subject to a maximum of Rs. 4.50 crores, the entire balance being met by the State Government from their own resources. This amount of Rs. 4.50 crores was duly paid to the State Government during the 4th Plan period.

There is no provision in the 5th Plan for the continuance of the aforesaid Central financial assistance. The bridge is, therefore, now being financed by the State Government out of their 5th Plan allocations which include a provision of Rs. 21.65 crores for the bridge in question. In addition, there is also a provision of Rs. 1.20 crores for the project establishment.

The expenditure incurred by the State Govt. so far is as under :

| | Rs. crores |
|---|---|
| Fourth Plan (1969—74) | 11.01 (against this, the Central loan assistance of Rs. 4.50 crores) |
| 1974-75 | 5.43 plus 0.24 crores (project Establishment) |
| 1975-76 (anticipated) | 8.26 plus 0.24 ,, |

For 1976-77, the Planning Commission have agreed to a provision of Rs. 7.01 crores for the bridge project including Rs. 0.26 crore for project establishment as suggested by the State Govt.

According to the agreement entered into by the State Govt. with the contractors (M/s. Gammons India Ltd.), the bridge is scheduled to be completed by June, 1978.

**मलंगटोली लोह-अयस्क परियोजना प्रतिवेदन**

*513. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलंगटोली लौह-अयस्क परियोजना प्रतिवेदन पूरा होने वाला है ; और

(ख) क्या इस प्रतिवेदन को वर्ष 1976 के अन्त तक मंत्रालय के पास पहुंचा देने के लिये सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव)** (क) और (ख) आशा है कि मलंगटोली में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा किया जा रहा क्षेत्र-अन्वेषण कार्य वर्ष 1976 के अन्त तक पूरा हो जाएगा । इन अन्वेषणों के परिणाम उपलब्ध हो जाने के पश्चात् परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में लगभग छः मास का समय लगेगा ।

**बड़े पत्तन के रूप में चेतुआ का विकास**

*516. **श्री वरके जार्ज** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में चेतुआ का एक बड़े पत्तन के रूप में विकास करने सम्बन्धी कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना पर कुल कितना खर्च होगा; और

(ग) उक्त योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**भारतीय नौवहन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का कथित अतिक्रमण**

*517. **चौधरी नीतिराज सिंह** :
**श्री भोगेन्द्र झा** :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार को सामान्यतः भारतीय नौवहन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के अतिक्रमण की जानकारी है जिसके परिणामस्वरूप, ऐसा समय जबकि भारतीय जहाजों को ढोने के लिए पर्याप्त माल नहीं मिलता है, विदेशी जहाजों को किए जाने वाले भुगतान में वृद्धि होती है ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी)** : (क) इस बात के प्रमाण हैं कि कुछ विदेशी गैर-सम्मेलन नौवहन कंपनियां भारत के समुद्रपारीय व्यापार में अपने जहाज चला रही हैं, जिसमें भारतीय कंपनियां सम्मेलनों और संयुक्त नौवहन सेवाओं के सदस्य के रूप में अपने जहाज चला रही हैं।

(ख) सरकार भारत के समुद्रपारीय व्यापार में भारतीय नौवहन के हितों की रक्षा के उपायों पर विचार कर रही है।

**भाड़ा दलालों के स्थान पर सैण्ट्रल बुकिंग एजेंसी**

*519. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाड़ा दलालों के स्थान पर सैण्ट्रल बुकिंग एजेंसी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस सम्बंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी)** : (क) और (ख) सरकार इस समय मौजूदा भाड़ा बुकिंग प्रबंध और उस संभव भूमिका का अध्ययन कर रही है, जो एक केन्द्रीय बुकिंग एजेंसी भारत के समुद्रपारीय व्यापार के और अधिक कुशलता से वहन करने के लिए भारतीय ध्वज पोतों में उपलब्ध नौवहन स्थान के अधिकतम उपयोग के लिए अदा करेगी। चूंकि अध्ययन अभी प्रारम्भिक चरण में है, अतः ब्यौरा देने का प्रश्न नहीं उठता।

**सरगुजा में एल्यूमिना संयंत्र**

2426. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरगुजा जिले में मेनपुट के निक्षेपों पर आधारित एल्यूमिना संयंत्र स्थापित करने के लिए संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना कब तक तैयार हो जाने की संभावना है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : (क) और (ख) जी, हां। साध्यता रिपोर्ट पर विचार हो रहा है।

**घटिया किस्म के धूप के चश्मों की बिक्री**

2427. **श्री बसन्त साठे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अंधता निवारण सोसाइटी ने घटिया किस्म के धूप के चश्मों की बढ़ती हुई बिक्री की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : (क) जी हां।

(ख) सरकार इस समस्या को समझती है और इस दिशा में क्या आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए इस पर विचार करेगी।

**आसाम राष्ट्रीय राजपथ**

2428. **श्री नूरुल हूडा**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आसाम राज्य में कितने राष्ट्रीय राजपथ हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान आसाम के ग्वालपाड़ा जिले को पश्चिम बंगाल राज्य से जोड़ने वाले राजपथ की मरम्मत न किये जाने तथा उसकी खराब स्थिति की ओर दिलाया गया है; और

(ग) क्या उक्त राजपथों को उचित स्थिति में रखने तथा बनाये रखने के संबंध में पर्याप्त उपाय किये गये हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) असम में सात राष्ट्रीय राजमार्ग हैं।

(ख) और (ग) असम के ग्वालपाड़ा जिले में 31 और 31बी दो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनकी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। इन राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :--

(1) बाढ़ से हुई क्षति की मरम्मत कार्य के लिए 1975 में 43.50 लाख रुपये के अनुमान स्वीकृत किये गये और कार्य परे जोरों पर हो रहा है ।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर गाईड बांध और पहुंच मार्गों सहित गंगाधर पुल के पुनर्निर्माण के लिए 465.00 लाख रुपये की लागत के अनुमान के प्रस्ताव पर सहमति हो गयी है। पुल, गाईड बांध और पहुंच मार्गों के लिए भूमि अर्जन के लिए 297.755 लाख रुपये की लागत का अनुमान पहले ही स्वीकृत किया गया है। पहुंच मार्गों के निर्माण के अनुमान की संवीक्षा की जा रही है और संस्वीकृति की शीघ्र ही जारी किये जाने की संभावना है।

(3) ग्वालपाड़ा जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 31 बी के लिए 70 लाख के सुधार कार्य स्वीकृत किये गये हैं और कार्य निर्माण के विभिन्न चरणों में है ।

(4) उपरोक्त सुधार कार्यों के अतिरिक्त, निर्धारित मानकों के अनुसार गड्ढों की मरम्मत, नवीकरण करके साधारण रख रखाव और मरम्मतों के लिए प्रतिवर्ष राज्य सरकार को धन जी आबंटित किया जाता है।

**नसबन्दी के बाद बच्चों का जन्म**

2429. **श्री एम० ई० होरो : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नसबंदी के बाद भी बच्चे के जन्म होने का कोई मामला सरकार के ध्यान में आया है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में, राज्यवार, ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में आये हैं ; और

(ग) नसबंदी के दोष दूर करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : (क) जी, हां।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश से विफलता की एक शिकायत मिली है । किन्तु किन्हीं अध्ययनों के आधार पर विफल आपरेशनों की दरें पुरूषों के मामले में 0.15 प्रति सौ व्यक्ति और महिलाओं के मामले में 0.04 से लेकर 0.08 तक सूचित की गई है ।

(ग) नसबन्दी आपरेशनों के बाद विफल घटनाओं को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :--

(1) डाक्टरों को नसबंदी की सही क्रियाविधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(2) नसबंदी आपरेशन बिलकुल विफल न हों अथवा कम से कम विफल हों, इसके लिए उत्तम कार्य-विधि तैयार करने हेतु अनुसंधान कार्य चल रहा है ।

(3) नसबंदी आपरेशन करवाने वाले पुरुषों को तीन महीने तक निरोध अथवा परिवार नियोजन का कोई और तरीका अपनाने की सलाह दी जा रही है क्योंकि इस काल में गर्भ ठहरने की सम्भावना रहती है।

**बालाघाट में तांबा परियोजना**

2430. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बालाघाट जिले में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित तांबा परियोजना का कितना कार्य पूरा हुआ है ;

(ख) इस परियोजना पर कितनी लागत आयेगी ;

(ग) अब तक, इस परियोजना पर कितना व्यय हुआ है ;

(घ) वर्ष 1976-77 में कितना व्यय होने का अनुमान है ; और

(ङ) परियोजना के कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : (क) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा नियुक्त सोवियत एजेंसी ने बालाघाट जिले की मालंजखंड तांबा परियोजना के बारे में केवल खनन के संबंध में व्यापक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। प्रस्तावित सांद्रक संयंत्र सहित समूचे मालंजखंड उद्योग समूह के लिए व्यापक परियोजना रिपोर्ट जनवरी, 1976 में प्राप्त हुई है । समूचे उद्योग समूह हेतु व्यापक परियोजन रिपोर्ट की सरकार द्वारा जांच की जा रही है ।

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत 95.95 करोड़ रुपए है ।

(ग) मार्च, 1976 के अंत तक इस परियोजना पर लगभग 128 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

(घ) 1976-77 के बजट में 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ।

(ङ) सरकार द्वारा पूंजी निवेश के बारे में फैसला कर लिए जाने के बाद ही परियोजना का काम शुरू किया जाएगा।

**गंधक का आयात**

2431. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गंधक की कुल मांग को केवल आयात के द्वारा पूरा किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा चाहिए ;

(ग) क्या लद्दाख की पूगा घाटी में गंधक के बड़े निक्षेप हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन निक्षेपों को निकालने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :** (क) देश के प्रद्रावक गैसों/प्रक्षालन-शाला से उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न थोड़ी सी मात्रा को छोड़कर गंधक की समूची मांग आयातों से पूरी की जाती है ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गंधक के आयात पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा इस प्रकार है :--

| वर्ष | मात्रा (लाख टनों में) | मूल्य (करोड़ रुपयों में) |
|---|---|---|
| 1973-74 | 5.89 | 17.66 |
| 1974-75 | 6.88 | 48.86 |
| 1975-76 (संभावित) | 5.62 | 34.92 |

(ग) व (घ) लद्दाख की पूगा घाटी में भूतापीय द्रवों से कुछ मात्रा में अमिश्रित गंधक होने का पता चला है । क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू, उसको निकालने की विधियों के बारे में परीक्षण कर रही है।

**उत्तर-पश्चिम सर्किल में रेल डाक छांटने के नये कार्यालयों की स्थापना**

2432. **श्री नरायण चन्द्र पराशर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पश्चिम सर्किल में उन स्थानों के नाम क्या है जहां रेल डाक छांटने वाले नये कार्यालय खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) प्रत्येक कार्यालय को मंजूरी दिये जाने और उसे खोले जाने की संभावित तारीखें क्या हैं ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** : (क) और (ख) मरांडा (पालमपुर), फगवाड़ा और लुधियाना सिटी में छंटाई कार्यालय खोलने की मंजूरी दे दी गई है । आशा है कि उपयुक्त जगह मिलते ही ये कार्यालय खोल दिए जाएंगे ।

**गुजरात में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षण**

2433. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग खनिजों का पता लगाने के लिये गुजरात में अपना खोज कार्य कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसने बोक्साइट, लौह अयस्क और/अथवा अन्य खनिजों का वर्ष 1975-76 में पता लगाया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या हैं ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : (क) जी, हां ।

(ख) व (ग) बोर होल खंडों में 1 से 2.5 मीटर तक की मोटाई वाले बोक्साइट मिट्टी के दो क्षेत्रों का पता चला है जिनमें 48 से 55 प्रतिशत एलूमिना है । इस अवधि में गुजरात में किसी अन्य खनिज निक्षेप का पता नहीं चला है ।

**Connecting Ratlam with Micro-wave System**

†2434. **Dr. Laxminarayan Pandaya** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the extent to which work of connecting Ratlam with micro-wave system has been completed so far;

(b) when the work had to be completed; and

(c) the places with which Ratlam would have direct connections after the work of connecting it with micro-wave system is completed?

**Minister of Communications (Dr. Shankar Dayal Sharma)** : (a) Work of connecting Ratlam with a micro-wave system to Indore and Ahmedabad is in progress. Installation in Indore-Ratlam section is in an advanced stage.

(b) The section is targetted for completion by December, 1976.

(c) The micro-wave system will provide blocks of circuits to Ahmedabad and Indore for eventual introduction of Subscriber Trunk Dialling.

**स्वास्थ्य संकट से प्रभावित होने वाले व्यक्ति**

2435. **श्री के० मालन्ना :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोगों की वर्तमान प्रतिशतता क्या है जो स्वास्थ्य संकट से प्रभावित हैं ;

(ख) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को कितनी सहायता दी है; और

(ग) क्या इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अपना सहयोग दिया है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :** (क) भारत में लगभग 80 प्रतिशत लोग देहातों में रहते हैं किंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से कितने लोगों को खतरा बना हुआ है इसका ठीक-ठीक प्रतिशत जानने के लिए कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) देहातों में राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उपकेन्द्रों और औषधालयों का जाल सा बिछाकर उनके माध्यम से वहां पर रोगों के इलाज और उनकी रोकथाम की सुविधाएं दी जा रही हैं। राज्य सरकारों को आवश्यक तकनीकी मागदर्शन करने के अलावा केन्द्रीय सरकार देहातों समेत समूचे देश में चलाए जा रहे मलेरिया, फाइलेरिया, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, हैजा, चेचक रोहे और रतिज रोग आदि जैसे संचारी रोगों के उन्मूलन/नियंत्रण संबंधी केन्द्र पोषित विभिन्न कार्यक्रमों के स्टाफ के लिए निर्धारित पैटर्न के अनुसार सामग्री और उपकरणों आदि के रूप में और/अथवा नकदी के रूप में सहायता दे रही है। समस्या प्रधान और अभावग्रस्त ग्रामों में, जिनमें ऐसे देहात भी शामिल हैं जहां पर हैजा एक महामारी के रूप में फैलता हो, जो ग्राम नहरुया ग्रस्त हों, और जहां के पानी में लोहा, क्लोराइड अथवा फ्लुओराइड तत्वों की मात्रा काफी होने की समस्या बनी हुई हो, वहां पर रहने वाले लोगों को साफ पीने के पानी देने के काम को राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम (देहात) के अधीन प्राथमिकता दी जा रही है।

(ग) जी हां। विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने सदस्य देशों को स्वास्थ्य के स्तर में सुधार करने के प्रयोजन के लिए मदद देता है। वह मुख्यतः विशेषज्ञ और परामर्श सेवाओं, भारतीयों को विदेशों में प्रशिक्षण, सामान तथा उपकरणों आदि के रूप में सहायता देता है। इस संगठन की सहायता परियोजना-प्रधान होती है जो मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों में मिल रही है :--

(1) स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए,
(2) परिवार स्वास्थ्य (फेमिली हैल्थ), पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा,
(3) स्वास्थ्य जन शक्ति विकास,
(4) संचारी रोगों की रोकथाम,
(5) असंचारी रोग-निवारण और नियंत्रण,
(6) रोग निरोधी और उपचारार्थ पदार्थ,
(7) पर्यावरणिक स्वास्थ्य कार्यों में सुधार,
(8) स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े,
(9) जीव चिकित्सा अनुसंधान।

**कोचीन तथा मद्रास से नारियल जटा का पोत-लदान**

2436. **श्री वयालार रवि : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नारियल जटा के निर्यातकर्ताओं के सम्मुख मद्रास तथा कोचीन से पोत-लदान सबंधी कठिनाइयां आ रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये पोत उपलब्ध कराने की दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी)** :(क) और (ख) सरकार को नाइजीरिया को निर्यात के लिए नौवहन स्थान प्राप्त करने में पोत वणिकों को हो रही कठिनाई का पता है। यह समस्या इसलिए पैदा हुई है कि भारी जमाव के कारण नाइजीरिया के पत्तनों में जहाज 3 से 6 महीने रुक जाते हैं। परन्तु शिपिंग कम्पनियों ने कोटनाव को पारगमन के साथ माल स्वीकार करने का प्रस्ताव किया है बशर्ते कि प्राप्तकर्ता माल को नाइजीरिया ले जाने का तत्काल प्रबंध करे। पोत वणिकों को इस प्रबंध में कोई रुचि दिखाई नहीं देती।

**राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा घोषित महामारी वर्ष**

2437. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने वर्ष 1975 को महामारी वर्ष घोषित किया था; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1975 के दौरान दर्ज किये गये पोलियो के मामलों का ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : (क) जी नहीं।

(ख) पोलियो कोई अधिसूच्य रोग नहीं है, इसलिए देश में यह रोग कितना फैला हुआ है इसके प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। चिकित्सा संस्थाओं में 1975 में पोलियो के जितने मरीजों का इलाज किया गया था उनकी संख्या लगभग 6,500 थी।

**यूरोप और अमरीका में पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार**

2438. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोप और अमरीका के देशों में स्थित पाकिस्तानी दूतावासों द्वारा जनता तथा समाचार पत्रों के लिये भारत विरोधी सामग्री परिचालित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इसके प्रतिकार के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विपिन पाल दास)** : (क) और (ख) यूरोपीय तथा अमरीकी देशों में स्थित पाकिस्तानी राजदूतावासों ने पाकिस्तान के नेताओं के वक्तव्य प्रचारित किए हैं जिनसे भारत विरोधी दृष्टिकोण प्रकट होता है।

(ग) इन देशों में तथा और भी देशों में जो हमारे मिशन हैं वे नियमित रूप से संगत प्रश्नों पर उचित प्रचार साधनों तथा सरकारी क्षेत्रों के माध्यम से ठीक स्थिति बताने का बराबर प्रयास करते रहते हैं।

**Benefit of Labour Laws to Workers of Panna Diamond Mines**

2439. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the number of employees, temporary and permanent, of the Panna Diamond Mine Project Majhgawan and Ram Khiria Diamond Mines under the N.M.D.C. during the years 1972-73, 1973-74 and 1975-76, year-wise; and

(b) the number of workers among them who have been deprived of the benefits of labour welfare laws?

**The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad)** : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**Faster Ships from Mainland to Andaman Islands**

†2440. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Government are considering any Scheme for introducing less expensive and faster ships keeping in view the inadequate shipping service and the longer time taken in journery to Calcutta, Madras and Visakhapatnam, from Andaman and Nicobar Islands at present;

(b) the routes for journey from these Islands at present and the time taken as also the fare charged for journey to Calcutta, Madras and Visakhapatnam through these routes, separately; and

(c) whether people are held up for many days for want of adequate shipping service at present?

**The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H. M. Trivedi)** : (a) The Shipping Corporation of India, who are running the Mainland Andaman Shipping Service are planning to acquire a suitable second hand fast passenger ship for plying in this sector to replace the existing passenger ship "State of Haryana", which is due to be scrapped in October, 1976. The faster ship will, however, be more expensive to run than the existing vessels.

(b) Journey routes and the time taken are indicated below :

| | Approximate time taken for single journey |
|---|---|
| Port Blair/Calcutta/Port Blair | Four days |
| *Port Blair/Madras/Port Blair | Four days |
| *(During alternate voyages when vessel calls at Car Nicobar). | Five days |
| **Port Blair/Vizag/Port Blair | Three days |

**(This service is presently operated on an experimental basis in order to assess the traffic potential. Regular calls are expected to be planned on the basis of experience gained in *ad hoc* sailings).

**Fares charged for single journey between Port Blair and Calcutta/Madras/Visakhapatnam**

| Grade of accommodation | State of Haryana | MV Andamans |
|---|---|---|
| | Rs. | Rs. |
| State Room | 446 (Air-conditioned) | 400 |
| Deluxe Cabin . | 410 | 410 |
| 'A' Grade Cabin | 400 | 390 |
| 'B' Grade Cabin. . | 390 | 311 |
| Economic class Cabin | 311 | — |
| 'C' Grade Cabin | 284 | — |
| Bunk Class | 55 | 55 |

(c) Generally passengers do not have to wait long as one ship operates from Calcutta and another from Madras to Port Blair and back every 15/16 days, except during vacation rush or annual survey of one of the passenger vessels.. Efforts are, however, made during such periods to provide a substitute vessel and also achieve quicker turn round to minimise the waiting time for passengers.

**खेतड़ी तांबा उद्योग समूह की परिष्करणशाला और स्पेल्टर से छोड़ी गई गैसें**

2441. **श्री एस० एन० सिंह : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी तांबा उद्योग समूह खेतड़ी की परिष्करण शाला (रिफाइनरी) और प्रद्रावक स्पेल्टर से छोड़े जाने वाली गैस से स्वास्थ्य और खेती पर कुप्रभाव पड़ने के विरुद्ध स्थानीय लोगों ने शिकायतें की हैं, और यदि हां, तो इस बारे में बचाव के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) कुल कितनी मात्रा में गैस छोड़ी गई और उर्वरक संयंत्र के लिये कुल कितनी गैस की आवश्यकता होती है?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : (क) खेतड़ी उद्योग समूह से निकलने वाली गैस से स्वास्थ्य और फसलों पर कुप्रभाव के बारे में शिकायतें मिली हैं।

दूषण की समस्या के प्रभावी नियंत्रण हेतु खेतड़ी के तांबा प्रद्रावक की डिजाइन में नई प्रौद्योगिकी अपनायी गई है। सल्फर डायआक्साइड गैसों के शमन और सफाई के लिए संयंत्र में इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपीटेटर्स, वेस्ट हीट बायलर्स, वैलून फ्लू, गैस एयर हीट एक्सचेंजर, धूल जमाव साइक्लोन जैसे उन्नत किस्म के उपकरण लगाए गए हैं। प्रद्रावक से उत्पन्न सल्फर डायआक्साइड गैसों का सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में प्रयोग किया जाता है। प्रद्रावक और सल्फ्यूरिक अम्ल संयंत्र सामान्यतः साथ-साथ चलते हैं। हिन्दुस्तान कॉपर लि० ने गैसों की निकासी के लिए एक 121 मीटर ऊंची चिमनी बनाई है ताकि जब कभी वायु मंडल में गैस छोड़ी जाए तो आस-पास के इलाके में किसी प्रकार का वायु दूषण न हो।

(ख) जिन दिनों सल्फूरिक अम्ल संयंत्र नहीं चल रहा होता है उन दिनों फिलहाल 50—55,000 एन० एम० 3 (सामान्य घन मीटर) गैसें प्रति घंटे वायु मंडल में छोड़ी जाती हैं जिनमें अन्य विभिन्न तत्वों के साथ केवल $4\frac{1}{2}$ से 5 प्रतिशत तक सल्फर डाइआक्साइड होती है। सल्फूरिक अम्ल संयंत्र को पूरी क्षमता से चलने की हालत में कुल 90,000 एन० एम० 3 गैस की प्रति घंटे जरूरत होती है जिसमें औसतन 6% सल्फर डाइआक्साइड होती है।

**खेतड़ी तांबा परियोजना को अयस्क की सप्लाई**

2442. **श्री एस० आर० दामाणी : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतड़ी तांबा परियोजना में क्षमता का अधिक उपयोग करने में आ रही बाधायें कौन-कौन सी हैं और क्या इनमें से एक बाधा तांबा अयस्क की सप्लाई है ;

(ख) पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिये प्रतिदिन तांबा अयस्क की औसत आवश्यकता कितनी है और इस समय इसकी वास्तविक उपलब्धता कितनी है; और

(ग) तांबा अयस्क की पूरी मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित करने और अन्य बाधायें दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : (क) खेतड़ी कापर काम्प्लेक्स की क्षमता के बढ़े हुए उपयोग में आने वाली मुख्य बाधा तांबा अयस्क की प्राप्ति के बारे में है। दूसरी बाधा तार छड़ ढलाई संयंत्र के चालू होने में देरी की है। इस संयंत्र को प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और हिन्दुस्तान कापर लि० ने अब तक इसे टर्न की ठेकेदारों से अधिग्रहीत नहीं किया है।

(ख) संयंत्र की पूरी क्षमता के उपयोग के लिए प्रतिदिन औसतन 9,600 टन अयस्क की जरूरत है। 1975-76 के दौरान तांबा अयस्क की वास्तविक दैनिक उपलब्धि औसतन 2,550 टन (अनुमानित) रही। 1976-77 के दौरान इस दैनिक औसत उपलब्धि के 3,800 टन होने की आशा है।

(ग) हिन्दुस्तान कापर लि० ने खनन क्षेत्र की एक विख्यात फर्म को अपना सलाहकार बनाया है जो इस परियोजना से अयस्क की वर्तमान उत्पादन दर को तेज करने संबंधी उसकी खनन योजनाओं में सुधार/परिवर्तन करने की सलाह देगी। सलाहकारों के अनुमान के अनुसार परियोजना से 1979 तक 19.50 लाख टन तांबा अयस्क का उत्पादन होने लगेगा। कंपनी ने खेतड़ी तांबा परियोजना के निकट चांदमारी तांबा खान का भी विकास किया है जिससे प्रति वर्ष 1,50,000 टन अयस्क का उत्पादन होगा। इस खान की क्षमता को बढ़ाकर 3,00,000 टन प्रति वर्ष किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दरीबा ताम्र परियोजना से उत्पादित तांबा सान्द्रों, जिसकी अयस्क पिसाई क्षमता 100 टन प्रतिदिन है, की भी खेतड़ी प्रद्रावक को भेजा जा रहा है। किन्तु खेतड़ी प्रद्रावक में पूरी क्षमता से काम तभी हो सकेगा जब मालजंखंड कॉपर काम्पलेक्स में उत्पादन शुरू हो जाएगा।

जहां तक तार छड़ ढलाई संयंत्र की बात है, टर्न की ठेकेदारी के इस संयंत्र को सफलतापूर्वक चालू करने में लगातार असफल होने पर अब कम्पनी अन्य स्रोतों से तकनीकी सहायता तलाश कर रही है ताकि इस संयंत्र को संतोषजनक रूप से चलाया जा सके।

**Extraction from Bailadila Iron Ore Mine**

2444. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the quantity of iron ore extracted from Bailadila Iron Ore Mine in Madhya Pradesh during the period from 1972 to 31st December, 1975 and the quantity exported; and

(b) the amount given as royalty to Madhya Pradesh Government on the iron ore extracted from Bailadila Mine?

**The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad)** : (a) During the period from 1st January, 1972 up to 31st December, 1975, a quantity of 166 lakh tonnes of lump ore was produced from Bailadila in Madhya Pradesh. During the same period, a quantity of 160 lakh tonnes was exported from Bailadila.

(b) An amount of Rs. 4.45 crores has been paid to the Madhya Pradesh Government as royalty by the Bailadila Mine, from its inception up to 31st March, 1976.

**दिल्ली में लारेन्स रोड स्थित औद्योगिक एककों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन लाना**

2445. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में लारेंस रोड क्षेत्र में कार्य कर रहे अधिकांश औद्योगिक एकक कर्मचारी राज्य बीमा योजना का अनुकरण नहीं कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन एककों के नाम क्या हैं;

(ग) इसके फलस्वरूप सरकार को अनुमानतः कितनी हानि हो रही है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे एककों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने तथा उन्हें इस योजना के अधीन लाने का है ?

**श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी)** : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना दी है :--

(क) इस क्षेत्र में ध्यान में आए 44 कारखानों/प्रतिष्ठानों में से, 35 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन कर रहे हैं, 5 चूक में हैं और 4 अन्य, जो हाल में ध्यान में आये हैं, के मामलों की उन की व्याप्ति निर्धारित करने के लिए जांच की जा रही है।

(ख) पांच चूक कर्ताओं के नाम नीचे दिए गए हैं:--

क्रमांक कारखानों/प्रतिष्ठानों के नाम

1. मैसर्स राधा कृष्ण कृष्णा गोविंद राम (पी०) लि०, सी-22, लारेंस रोड, नई दिल्ली ।
2. मैसर्स मदन इंडस्ट्रीज, बी-2, लारेंस रोड, दिल्ली ।
3. मैसर्स राजेन्द्र प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, बी-55, लारेंस रोड, दिल्ली ।
4. मैसर्स जी० आर० एन्टरप्राइसेस, 53-54, लारेंस रोड, दिल्ली ।
5. मैसर्स नारदर्न इंडिया इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, डब्ल्यु जेड, गोल्डन पार्क, लारेंस रोड, दिल्ली ।

(ग) और (घ) : अभी तक कोई नुक्सान नहीं हुआ है । अंशदानों की बकाया वसूल की जाने वाली कुल राशि रु० 29,133,30 है, जिसके लिए उचित कानूनी कार्रवाई पहले ही कर दी गई है।

## गोदी श्रम बोर्ड

2446. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी पत्तन विशेष में गोदी श्रम बोर्ड बनाने की शर्तें क्या हैं ; और

(ख) क्या पारादीप पत्तन इन शर्तों को पूरा करता है।

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी)** : (क) गोदी कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 में व्यवस्था है कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गयी रोजगार योजनाओं के विनियमन का प्रबंध चलाने के लिए पत्तन या पत्तनों के समूहों के लिए सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गोदी श्रम बोर्ड स्थापित करे। किसी भी पत्तन पर गोदी श्रम बोर्ड के बनाने के लिए अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों में कोई शर्त निर्धारित नहीं की गई है, परन्तु रोजगार योजनाओं का विनियम बनाने और किसी पत्तन में गोदी श्रम बोर्ड स्थापित करने के प्रश्न पर तब विचार किया जाएगा, जब गोदी कर्मकारों की नियुक्ति के लिए पर्याप्त और निरन्तर यातायात उपलब्ध होगा।

(ख) पारादीप पत्तन का मुख्य यातायात खनिज लौह का निर्यात है, जिसके लिए किसी गोदी श्रम की आवश्यकता नहीं है। पत्तन द्वारा धरा-उठाई किए गए अन्य माल की मात्रा रोजगार नियमों के विनियम बनाने और इस पत्तन पर गोदी श्रम बोर्ड की स्थापना करने का अभी कोई औचित्य नहीं है।

## राष्ट्रीय राजपथ अधिनियम

2447 **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने नगरपालिका क्षेत्र के वर्तमान जनसंख्या के 20,000 के आकार को बढ़ाकर एक लाख या इससे अधिक करके राष्ट्रीय राजपथ अधिनियम की धारा 3 में संशोधन करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) से (ग) केरल सरकार के प्रतिनिधि और दूसरे आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि ने बैठकों में से एक में इस बात पर जोर दिया कि नगरपालिका क्षेत्रों के वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 में निर्धारित 20 हजार की आबादी की सीमा एक लाख या उससे अधिक बढ़ाये जाने के लिए विचार किया जाए क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के कानून बनने से स्थिति बहुत बदल गयी है। चूंकि इस सुझाव से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, जो पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होता है, के उपबंध की समीक्षा का प्रश्न पैदा होता है, अतः नगरपालिका शहरी योजक सड़कों के साथ-साथ भीड़-भाड़ के निवारण से संबंधित इसके तकनीकी, वित्तीय और अन्य पेच विचाराधीन हैं। चूंकि मामला विचाराधीन है, अतः और जानकारी देने या सरकार के निर्णय का प्रश्न इस समय पैदा नहीं होता।

## दिल्ली परिवहन निगम का कार्यकरण

2448. **मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम लाभ में चल रहा है, और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ख) दिल्ली परिवहन निगम का कुल वार्षिक खर्च कितना ;

(ग) इस निगम में ड्राईवरों, क्लीनरों तथा कंडक्टरों के रूप में कितने कर्मचारी हैं; और

(घ) दिल्ली परिवहन निगम की प्रबंध व्यवस्था में कुल कितने अधिकारी इंजीनियर कार्यरत हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) दिल्ली परिवहन निगम को घाटा हो रहा है। ब्यौरा नीचे दिया गया है :--

| अवधि | कार्य घाटा | मूल्यह्रास और ऋण प्रभार | कुल घाटा | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|
| | (रु० लाखों में) | (रु० लाखों में) | (रु० लाखों में) | |
| 3-11-71 से 31-3-72 | 56.30 | 106.86 | 163.16 | |
| 1972-73 | 211.90 | 323.42 | 535.32 | |
| 1973-74 | 261.20 | 372.41 | 633.61 | लेखा परीक्षा के अधीन |
| 1974-75 | 526.90 | 516.75 | 1043.65 | —यथोक्त— |
| 1975-76 | 545.83 | 789.68 | 1335.51 | संशोधित अनुमानों के अनुसार |

(ख) निगम का कुल व्यय प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न होता है। निगम के प्रारंभ से संबंधित ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

| अवधि | कार्य व्यय | मूल्य ह्रास और ऋण प्रभार (रु० लाखों में) | कुल | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|
| 3-11-71 से 31-3-72 | 362.35 | 106.86 | 469.21 | |
| 1972-73 | 1043.11 | 323.42 | 1366.53 | |
| 1973-74 | 1155.84 | 372.41 | 1528.25 | लेखापरीक्षाधीन |
| 1974-75 | 1653.60 | 516.75 | 2170.35 | —यथोक्त— |
| 1975-76 | 2238.53 | 789.68 | 3028.21 | संशोधित अनुमानों के अनुसार |

(ग) क्रमशः 4289, 359 (क्लीनर्स और स्वीपर्स) और 4936 ।

(घ) 1-4-76 को 92 अधिकारी और 38 इंजीनियर।

**महाराष्ट्र में किये गये परिवार नियोजन संबंधी उपाय**

2449. **श्री अन्नासाहेब गोटखिण्डे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन के गर्भ-निरोधक उपाय करने के लिए महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न तहसीलों और जिलों में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को इस समय किसी न किसी रूप में उन तहसीलों और जिलों की जनसंख्या की प्रतिशतता के साथ संबद्ध किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र में पंचायत समितियों और/अथवा जिलापरिषदों ने यह मांग की है कि इस लक्ष्य को पात्र युगलों, अर्थात् ऐसे पति-पत्नी जिनकी आयु सन्तान-उत्पत्ति के योग्य है, की संख्या की प्रतिशतता से संबद्ध किया जाए; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : (क) जी हां, और जिलों और तहसीलों के ये लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा तय किए जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**वैस्ट कोस्ट रोड पर निर्माण कार्य**

2450. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य सरकार ने वैस्ट कोस्ट रोड (राष्ट्रीय राजपथ 17) पर 123 निर्माण कार्यों के लिये 3,71,49,688 रुपयों के पुनरीक्षित अनुमान का अनुमोदन करने के लिये केन्द्र से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या निर्णय किया है ;

(ग) क्या वैस्ट कोस्ट रोड को दिनांक 7 मार्च, 1972 को राष्ट्रीय राजपथ-17 घोषित किये जाने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा किये गये खर्च के आंकड़ों को सभी राज्य और केन्द्र सरकारों द्वारा तय किया जाना है; और

(घ) यदि हां, तो इन आंकड़ों को जल्दी तय करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ) भारत सरकार ने अन्तर्राज्यीय एवं आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अधीन भूतपूर्व पश्चिम तट सड़क पर 135 कार्यों के लिए 3.74 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा तक वित्तीय सहायता स्वीकृत की। कार्यों की स्वीकृति देते समय केरल सरकार को यह स्पष्ट किया गया था कि व्यय की उपरोक्त सीमा से अधिक और प्रत्येक कार्यों की स्वीकृत लागत से अधिक कोई भी व्यय की गई राशि राज्य सरकार को अपनी स्वयं की निधि से पूरी करनी होगी। यह भी बताया गया था कि कोई भी कार्य, जिसकी भारत सरकार ने स्वीकृति नहीं दी, शुरु न किया जाये और किसी कार्य के लिये व्यवस्थित राशि किसी दूसरे कार्य पर प्रयुक्त न की जाये। उपरोक्त 135 कार्यों में से राज्य सरकार ने केवल 123 कार्य शुरु किये।

महाराष्ट्र और कर्नाटक के राज्यों और गोवा संघ राज्य क्षेत्र से गुजरने वाली पश्चिम तट सड़क के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता की पद्धति 1-4-1951 से 31-3-1955 तक सड़क के निर्माण की लागत के 50 प्रतिशत तक सहायता अनुदान, 1-4-1955 से 31-3-1969 तक 100 प्रतिशत सहायता अनुदान और उसके बाद 100 प्रतिशत ऋण सहायता की थी। पश्चिम तट सड़क 7-3-1972 को राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में शामिल की गई और तब से सड़क के विकास, सुधार, रखरखाव की संपूर्ण लागत केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जा रही है।

राज्य सरकार का प्रस्ताव यह है कि प्रत्येक कार्यों के व्यय की न केवल अधिकता की राशि जो पश्चिम तट सड़क के लिये वित्तीय सहायता देने की शर्तों के अनुसार स्वीकार्य नहीं है। केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाये बल्कि संपूर्ण व्यय राशि 1-4-1969 से स्वीकृत 100 प्रतिशत ऋण सहायता में से सहायता अनुदान के रूप में मानी जाये। मामला विचाराधीन है।

**जिम कार्बेट स्मारक डाक टिकट**

2451. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जिम कार्बेट स्मारक डाक टिकट जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें कोई भारी भूल अथवा गलती हो गई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** : (क) जी हां ।

(ख) इस डाक टिकट के संबंध में जो फोल्डर जारी किया गया था उसके आवरण पृष्ठ पर एक जगह छपाई की गलती थी।

(ग) सूचना व प्रसारण मंत्रालय इस फोल्डर के मुद्रक के खिलाफ कार्रवाई करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

**छोटे इस्पात कारखाने**

2452. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
**श्री वेकारिया :**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में, राज्यवार कितने, छोटे इस्पात कारखाने स्थापित किये गये :

(ख) उनमें से इस समय कितने कार्य कर रहे हैं और कितने बंद हो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

**कुद्रेमुख लौह-अयस्क पर आधारित इस्पात संयंत्र**

2453. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुद्रेमुख लौह-बयस्क पर आधारित एक इस्पात संयंत्र का निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो संयंत्र का निर्माण करने हेतु व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**सीधे टेलीफोन करने के लिये (एस० टी० डी०) डायल करना**

2454. **श्री राजाराम दादासाहेब निम्बालकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीधे टेलीफोन करने के लिये (एस०टी०डी०) औसतन कितनी बार डायल घुमाना पड़ता है जिस पर इच्छित नम्बर मिल जाता है ;

(ख) कितनी बार गलत नम्बर मिल जाते हैं; और

(ग) इस खराबी को दूर करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** : (क) कालें पाने के लिए कितनी बार डायल करने की जरूरत होती है, इसके बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, जब अन्य बातों के साथ-साथ भारी यातायात के कारण संकुलता होती है और जिस टेलीफोन नंबर के लिए डायल किया गया हो, वह खाली न हो तब वांछित टेलीफोन नंबर पाने के लिए एक से अधिक बार डायल करना पड़ता है।

(ख) उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग कालों पर गलत नंबर मिल जाने की घटनायें नगण्य होती हैं।

(ग) उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग कालें ड्राप होने, चैनल फ्लिक, कांटैक्ट पिटिंग आदि जैसी खराबियों पर काबू पाने के लिए विशेष रूप से क्रासबार टाइप ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंजों में अनेक सर्किट-सुधार शामिल किए जा रहे हैं। ये संशोधन कृतिक बल (टास्क फोर्स) की जांच और सिफारिशों के अनुसार किए जा रहे हैं। उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग की कार्यप्रणाली में दोष के कारणों का पता लगाने और उन्हें दूर करने के उपायों के संबंध में सुझाव देने के लिए एक विभागीय समिति बनायी गयी है। आशा है कि उनकी सिफारिशें लागू कर देने से उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा आगे और बेहतर हो जाएगी।

**मैसर्स गिरि लैंड एण्ड फाइनेंस कंपनी, दिल्ली द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि का जमा न कराया जाना**

2455. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मैसर्स गिरि लैंड एण्ड फाइनैंस कंपनी, दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा की जमा राशि का भुगतान करने में कितनी बार दोषी हुई; और

(ख) सरकार के पास समय पर धन जमा न कराने के लिये उस पर कितनी बार मुकदमा चलाया गया/जुर्माना किया गया ?

**श्रम मंत्री (श्री रखुनाथ रेड्डी)** : भविष्य निधि प्राधिकारियों तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नानुसार सूचित किया है :—

(क) और (ख) : मैसर्स गिरि लैंड एण्ड फाइनैंस कंपनी, दिल्ली, कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत लाग योग्य नहीं है। अतः भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा की देय राशियों के भुगतान न करने का प्रश्न नहीं उठता।

**हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का रासायनिक कच्चा माल**

2456. **श्री एन० आर० बेकारिया** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, कलकत्ता के रासायनिक कच्चे माल के उत्पादन में एकाधिकार तथा बड़े व्यावसायिक गृहों का हिस्सा है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने सूचित किया है कि वे जिन उपोत्पाद रसायनों का उत्पादन करते हैं उनको कम्पनी की कारबार संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार उन उद्योगों को जिन्होंने अपने कारखाने लगा रखे हैं और जो उसे कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं तथा अन्य इच्छुक खरीददारों, विशेषतः उपभोक्ताओं, को सप्लाई करते हैं।

**डाक टिकट संकलन संबंधी परामर्शदात्री समिति**

2457. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक टिकट संकलन परामर्शदात्री समिति का पुनर्गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान समिति का गठन किस तारीख को हुआ तथा इसके सदस्य कौन-कौन हैं ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) :** (क) और (ख) : फिलैटली सलाहकार समिति का शीघ्र ही गठन किये जाने की संभावना है।

**हिन्दुस्तान लेटैक्स का विस्तार**

2458. **श्री बयालार रवि :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लेटैक्स, त्रिवेन्द्रम के विस्तार कार्य को शीघ्रता से किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) विस्तार की योजनाएं क्या हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :** (क) से (ग) हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, त्रिवेंद्रम के विस्तार कार्यग्रम के अन्तर्गत 14 करोड़ 40 लाख निरोधों की वर्तमान उत्पादन-क्षमता को बढ़ा कर दुगना कर देने की व्यवस्था है। हिन्दुस्तान लेटेक्स के विस्तार का काम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, (भारत सरकार का एक उपक्रम) को सौंप दिया गया है। यह कार्य निश्चित समयानुसार हो रहा है और आशा है कि नया प्लांट चालू वर्ष के मध्य तक चलना शुरू हो जाएगा ।

**हिन्दुस्तान लेटैक्स के घटिया उत्पाद**

2459. **श्री बयालार रवि :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिंदुस्तान लेटैक्स, त्रिवेंद्रम के उत्पादों को परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा बड़ी मात्रा में रद्द कर दिए जाने के कारण गैर-सरकारी उत्पादक बाजार पर हावी हो गए हैं ?

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच कराई जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :** (क) जी, नहीं। 1971-72 के दौरान 40.70 लाख (10 बैच) और 1973-74 में 107.10 लाख (26 बैच) हिंदुस्तान लेटेक्स त्रिवेंद्रम द्वारा निर्मित निरोधों को परीक्षण प्रयोगशाला ने घटिया किस्म का पाया। फिर भी इस स्टाक के रद्द किये जाने के परिणामस्वरूप निरोधों की खरीद के लिये हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड को मूलरूप से दिये गये सप्लाई आर्डर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

(ख) भारत सरकार ने हिंदुस्तान लेटेक्स फैक्टरी द्वारा निर्मित निरोधों की अच्छी किस्म बनाये रखने के संबंध में सुझाव देने के लिए एक गुण-नियंत्रण-विशेषज्ञ समिति का गठन किया।

(ग) इस गुण-नियंत्रण-विशेषज्ञ समिति तथा जापानी विशेषज्ञों के दल की सिफारिशों पर हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित निरोधों की क्वालिटी में सुधार लाने के लिये कार्यवाही की गई है।

**पांचवी योजना के दौरान प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना**

2460. **श्री बसंत साठे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के दौरान चिकित्सा विज्ञान की प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को तेजी से बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र राज्य में प्रस्तावित परियोजनाओं का विशेष उल्लेख करते हुए उसकी रूपरेखा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :** (क) और (ख) पांचवीं योजना में प्राकृतिक चिकित्सा के विकास के लिए अनुदान देने के हेतु 20 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। ये अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए दिए जाते हैं :--

(1) अध्ययन पलंगों के अनुरक्षण के लिए।

(2) प्राकृतिक चिकित्सा में एक वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिए।

(3) प्राकृतिक चिकित्सा में चार वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिए।

(4) प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री तैयार करने के लिए।

(5) भरती शिविर।

(6) रोगविज्ञान से संबंधित उपकरणों के लिए।

पूर्ण में एक राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान खोलने का विचार है।

**महाराष्ट्र के जिला मुख्यालयों को बम्बई के साथ संबद्ध करना**

2461. **श्री अन्ना साहेब गोटखिण्डे :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सभी जिला मुख्यालयों को मांग सेवा प्रणाली (डिमांड सर्विस सिस्टम) के अंतर्गत बंबई के साथ संबद्ध करने के बारे में सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार किन-किन जिला मुख्यालयों को बंबई के साथ सम्बद्ध कर दिया गया है; और

(ग) शेष जिला मुख्यालयों को बंबई के साथ कब तक संबद्ध किये जाने की संभावना है।

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) :** (क) से (ग) सरकार का इरादा यह है कि राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाले मार्गों पर शुरु में ट्रंक डिमांड सेवा दी जाय और बाद में उत्तरोत्तर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा (एस०टी०डी०) चालू की जाय।

महाराष्ट्र में बंबई के अलावा 26 जिला मुख्यालय हैं। एक जिला मुख्यालय यानी थाना, बंबई टेलीफोन प्रणाली का अंग है। तीन जिला मुख्यालयों, यानी नागपुर, नासिक और पूना से राज्य की राजधानी बंबई के लिए उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा उपलब्ध है। सात जिला मुख्यालय यानी अकोला, अमरावती, धूलिया, जलगांव, सांगली, कोल्हापुर और शोलापुर डिमांड सेवा के जरिये पहले से ही बंबई से जुड़े हुए हैं। अहमदनगर के लिए डिमांड सेवा की व्यवस्था शीघ्र ही कर दी जाएगी। शेष 14 जिला मुख्यालयों के लिये डिमांड सेवा की व्यवस्था विभिन्न चरणों में की जाएगी।

**भारत और पाकिस्तान के बीच तीर्थ-यात्रा**

2462. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय और पाकिस्तानी नागरिकों को वर्ष 1973 से वर्ष 1975 के दौरान पाकिस्तान और भारत स्थित धार्मिक स्थानों की यात्रा करने की अनुमति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसे तीर्थ यात्रियों ने भारत और पाकिस्तान में सामान्यतः किन-किन स्थानों की यात्रा की; और

(ग) वर्ष 1973 से वर्ष 1975 के बीच भारतीय और पाकिस्तानी तीर्थ यात्रियों के तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं?

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास)** : (क) भारत और पाकिस्तान में धार्मिक स्थानों के लिए क्रमशः पाकिस्तानी और भारतीय नागरिकों की यात्राएं 14 सितम्बर 1974 को भारत सरकार और पाकिस्तान की सरकार के बीच एक प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद ही पुनः प्रारम्भ हुई हैं।

(ख) उपर्युक्त प्रोतोकोल में भारत और पाकिस्तान के निम्नलिखित धार्मिक स्थानों की व्यवस्था है :

**भारत में**

(1) सिरहंद शरीफ (पंजाब) में हज़रत मुजद्दिद अलफ सानी का मकबरा।

(2) कल्यार शरीफ़ (उ०प्र०) में हज़रत ख्वाज़ा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर।

(3) अजमेर शरीफ़ में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती।

(4) दिल्ली में हज़रत अमीर खुसरो।

(5) दिल्ली में हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया।

**पाकिस्तान में**

(1) गुरद्वारा श्री पंजा साहिब।

(2) गुरद्वारा श्री ननकाना साहिब।

(3) महाराजा रणजीत सिंह जी की समाधि।

(4) गुरद्वारा श्री डेरा साहिब।

(5) गुरद्वारा जनम स्थान।

(6) गुरद्वारा दीवान खाना, चूना मंडी।

(7) गुरद्वारा शहीद गंज सिहानियन।

(8) गुरद्वारा शहीद गंज भाई तारूसिंह जी शहीद; और

(9) गुरद्वारा छेविन पातशाही, मोज़ांग ।

(ग) 1974 और 1975 के दौरान जो भारतीय और पाकिस्तानी उपरोक्त धार्मिक स्थानों की यात्रा पर गए हैं, उनकी संख्या इस प्रकार है :

| वर्ष | भारतीय यात्री | पाकिस्तानी यात्री |
|---|---|---|
| 1974 | 304 | कोई नहीं |
| 1975 | 5000 (लगभग) | 393 |

**विदेशों में भारतीय दूतावासों द्वारा सांस्कृतिक गतिविधियां**

2463. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा, मलाया, सिंगापुर, थाईलैंड, कम्बोदिया, लाओस, वियतनाम और इंडोनेशिया स्थित भारतीय दूतावास इन देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने तथा वहां के निवासियों की भारत में प्रगति के लिये हो रहे विकास कार्यों से अवगत कराने के लिये सांस्कृतिक केन्द्र, वाचनालय और पुस्तकालय चला रहे हैं और पुस्तकें, पुस्तिकायें और सूचना पत्र प्रकाशित कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास)** : (क) और (ख) उल्लिखित देशों में भारतीय मिशनों द्वारा इस प्रकार के कार्यकलाप किए जाते हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट में दिया गया है ।

**परिशिष्ट**

**बर्मा**

राजदूतावास भारत के बारे में अक्सर समाचार बुलेटिन, विशेष विज्ञप्तियां तथा रूप लेख जारी करता है और 'प्रेस' में उन्हें वितरित कराता है। राजदूतावास कोई सांस्कृतिक केन्द्र/वाचनालय नहीं चलाता क्योंकि स्थानीय विनियममों के अनुसार इन्हें चलाने की अनुमति नहीं है।

**मलेशिया**

हाई कमीशन का अपना पूर्ण विकसित पुस्तकालय है और वह भारत से प्राप्त पुस्तकों और पुस्तिकाओं को मलेशिया के प्रमुख नागरिकों को तथा संस्थानों में वितरित करता है। भारत पर बनी वृत्त फिल्में नियमित रूप से सप्ताह में तीन बार दिखाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त 'इंडिया न्यूज' नामक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली जाती है जिसमें भारत की प्रगति और उसके विकास कार्यों का लेखा जोखा रहता है।

**सिंगापुर**

हाई कमीशन का अपना पुस्तकालय-एवं-वाचनालय है और पढ़ने के लिये किताबें दी जाती हैं। यह मिशन एक मासिक बुलेटिन प्रकाशित करता है और जब कभी जरूरत होती है साइक्लोस्टाइल किए हुए समाचार बुलेटिन भी जारी किये जाते हैं। भारत से जो प्रचार पुस्तिकाएं प्राप्त होती हैं वे भी स्थानीय पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों, भारतीय एसोसिएशनों तथा दूसरी संस्थाओं को बांटी जाती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में भारत के विकास और उसकी संस्कृति पर फिल्में दिखाई जाती हैं या दिखाने के लिए दी जाती हैं।

**थाईलैण्ड**

राजदूतावास का एक वाचनालय है। यह थाईलैंड के बड़े-बड़े पुस्तकालयों; थाई और भारतीय दोनों, को समाचार पत्र और पठनीय सामग्री देता है। साधारण बंटन, प्रेस विज्ञप्तियां और विशेष फीचर अंग्रेजी और थाई दोनों भाषाओं में जारी करने के अतिरिक्त वह समय-समय पर थाई भाषा में विशेष पुस्तिकाएं भी प्रकाशित करता है जिनमें भारत की प्रगति का वर्णन रहता है। राजदूतावास का कोई सांस्कृतिक केन्द्र नहीं है लेकिन कुछ दशाब्दि पूर्व जो 'थाई-भारत कल्चरल लाज' स्थापित की गई थी वह एक सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में बहुत सुन्दर कार्य कर रही है और उसे राजदूतावास का पूर्ण सहयोग प्राप्त है। 'थाई-भारत कल्चरल लाज' एक पत्र भी निकालती है और उसका एक पुस्तकालय भी है। भारतीय समुदाय द्वारा चलाये जाने वाले अन्य सामाजिक धार्मिक संस्थानों के भी पुस्तकालय हैं और इन्हें भी राजदूतावास का पूर्ण सहयोग प्राप्त है। इन संस्थानों को बारी-बारी से पुस्तकें भेंट की जाती हैं।

**लाओस**

लाओस स्थित भारतीय राजदूतावास का अपना पुस्तकालय और वाचनालय है। वाचनालय में भारतीय पत्रिकाएं सुलभ रहती हैं जिनमें भारत की प्रगति और विकास का लेखा जोखा रहता है। यह राजदूतावास समाचार बुलेटिन भी जारी करता है जिनमें भारत की प्रगति और विकास पर विशेष चर्चा रहती है। यह भारत से प्राप्त साहित्य और सावधिक पत्रिकाएं भी स्थानीय संस्थाओं और व्यक्तियों को वितरित करता है जिनमें भारत की प्रगति और विकास की झांकी प्रस्तुत की गई होती है।

**वियतनाम**

भारतीय राजदूतावास का पुस्तकालय तो है किन्तु वह कोई सांस्कृतिक केन्द्र नहीं चलाता। यह राजदूतावास एक सावधिक संवादपत्र निकालता है जिसमें भारत के विषय में समाचार रहते हैं, विकास संबंधी प्रगति का वर्णन रहता है; इसके अतिरिक्त यह राजदूतावास वियतनाम के टेलीविजन पर दिखाये जाने के लिए भारतीय वृत्त चित्र भी देता है।

**इन्डोनेशिया**

भारतीय राजदूतावास का अपना वाचनालय है और वह एक साप्ताहिक संवाद पत्र प्रकाशित करता है। जब कभी आवश्यकता होती है, विशेष संवादपत्र भी प्रकाशित किए जाते हैं।

**कम्बोडिया**

इस समय वहां कोई भारतीय मिशन नहीं है।

**Recommendations of National Sample Survey on Landless Labourers and Farmers**

2464. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) The main recommendations made by the National Sample Survey in their report on landless labourers and farmers based on the survey conducted in 1971-72; and

(b) the action taken by Government thereon?

**The Minister of Labour (Shri Raghunatha Reddy)** : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**खेतड़ी में तांबे का उत्पादन**

2465. **श्री एस० एन० सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतड़ी तांबा परियोजना चालू होने के समय से वहां कुल कितने मूल्य के तांबे का उत्पादन हुआ और तांबे की प्रति टन उत्पादन लागत कितनी आयी है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान शोधशाला तथा प्रद्रावक (स्मेल्टर) ने कितने घंटे कार्य किया है; और

(ग) उत्पादन लागत में कमी लाने तथा प्रद्रावक और शोधशाला को पूरे समय चलाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : (क) खेतड़ी का तांबा प्रद्रावक नवम्बर, 1974 में चालू हुआ था। मार्च, 1976 तक ब्लिस्टर तांबे का उत्पादन 12,055 टन रहा। खेतड़ी में इलेक्ट्रोलाइटिक शोधनशाला दिसम्बर, 1974 में चालू हुई। मार्च, 1976 तक तांबा कैथोडो का कुल 9,225 टन उत्पादन हुआ। ब्लिस्टर तांबे तथा तांबा कैथोड की प्रति टन उत्पादन लागत, मार्च, 1976 में इस प्रकार रही :

ब्लिस्टर तांबा : 23,381 रु० प्रति टन

तांबा कैथोड : 24,817 रु० प्रति टन

खेतड़ी के तार छड़ ढलाई संयंत्र को शुरु से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इस संयंत्र को हिंदुस्तान कॉपर लि० ने टर्न की ठेकेदारों से अपने हाथ में नहीं लिया हैं ।

**(ख) इलेक्ट्रोलिटिक शोधनशाला**

यह शोधनशाला अपनी स्थापना के समय से ही लगातार चालू है, हां । केवल 12-6-75 से 27-7-75 तक ओवरहाल के लिए संयंत्र को बंद किया गया था।

**प्रद्रावक :**

नवम्बर, 1974 में अपनी स्थापना से लेकर अब तक, केवल निम्नलिखित अवधियों को छोड़कर प्रद्रावक में बराबर काम होता रहा है।

जून से अगस्त, 1975 तक 68 दिन।
दिसम्बर, 1975 में 15 दिन।
जनवरी, 1976 में 12 दिन।
मार्च, 1976 में 8 दिन।

(ग) हिंदुस्तान कॉपर लि० प्रद्रावक क्षमता के अधिकतम उपयोग हेतु खान के उत्पादन तथा संयंत्रों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। खेतड़ी में सांद्रों के उत्पादन के अलावा कम्पनी बाहर से भी सांद्रों का आयात कर रही है। प्रद्रावक और शोधनशाला की क्षमताओं का पूरी तरह उपयोग होने पर उत्पादन लागत के कम हो जाने की आशा है।

**खेतड़ी तांबा उद्योग समूह**

2466. **श्री शिवनाथ सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतड़ी स्थित खेतड़ी तांबा उद्योग समूह के कंसंट्रेटर स्मेल्टर और रिफाइनरी की ईंधन क्षमता क्या है तथा गत एक वर्ष के दौरान उसमें से कितनी क्षमता का उपयोग हो रहा था ;

(ख) कंसंट्रेटर और स्मेल्टर की पूरी क्षमता पर चलाने के लिए प्रति माह कितने कच्चे माल और कंसंट्रेटर की आवश्यकता है तथा गत एक वर्ष में स्थानीय खानों से प्रति माह कितना कच्चा माल निकाला गया; और

(ग) कमी को पूरा करने के लिए क्या योजना है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : (क) इसका संबंध खेतड़ी कॉपर कम्पलैक्स के सांद्रक संयंत्र, प्रद्रावक और शोधनशाला की पूरी क्षमताओं से है। 1975-76 के दौरान सांद्रक, संयंत्र, प्रद्रावक और शोधनशाला की क्षमता और उसके वास्तविक उपयोग के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

| संयंत्र | प्रतिवर्ष पूर्ण निर्धारित क्षमता | 1975-76 के दौरान उत्पादन | उपयोगिता प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| सांद्रक . | 28,00,000 टन | 8,76,000 टन | 31% |
| प्रद्रावक . . | 31,000 टन | 9,231 टन | 30% |
| इलैक्ट्रोलिटिक रिफाइनरी . . . | 31,000 टन | 8,058 टन | 26% |

(ख) सांद्रक की निर्धारित क्षमता के अनुसार तांबा अयस्क की मासिक जरूरत 2,33,000 टन है। प्रद्रावक की डिजाइन के अनुसार तांबा सांद्रों की मासिक जरूरत 19,250 टन है। 1975-76 के दौरान खेतड़ी ताम्र परियोजना में माहवार अयस्क उत्पादन निम्नलिखित है :--

| माह | 1975-76 में अयस्क उत्पादन (टनों में) |
|---|---|
| अप्रैल, 1975 | 66,230 |
| मई, 1975 | 66,761 |
| जून, 1975 | 54,397 |
| जुलाई, 1975 | 50,166 |
| अगस्त, 1975 | 68,051 |
| सितम्बर, 1975 | 65,038 |
| अक्तूबर, 1975 | 62,027 |
| नवम्बर, 1975 | 55,437 |
| दिसम्बर, 1975 | 71,229 |
| जनवरी, 1976 | 69,693 |
| फरवरी, 1976 | 62,537 |
| मार्च, 1976 | 83,827 |

(ग) खेतड़ी ताम्र परियोजना में अयस्क का उत्पादन अगामी वर्षों में लगातार बढ़ते जाने की आशा है। हिंदुस्तान कॉपर लि० के खनन सलाहकारों द्वारा किए गए अनुमानों के अनुसार इस परियोजना में 1979 तक लगभग 19.50 लाख टन ताम्र अयस्क का उत्पादन होने लगेगा । कम्पनी प्रति वर्ष 1,50,000 टन अयस्क का उत्पादन करने हेतु चांदमारी तांबा खान का भी विकास किया है जो खेतड़ी ताम्र परियोजना के निकट है। इस खान की वार्षिक क्षमता को 3,00,000 टन तक बढ़ाया जा रहा है। दरीबा ताम्र परियोजना, जिसकी दैनिक क्षमता 100 टन अयस्क की है, में उत्पन्न सांद्रो को खेतड़ी प्रद्रावक भेजा जा रहा है। परन्तु खेतड़ी प्रद्रावक में क्षमता से उत्पादन तभी होगा, जब मालंजखंड कॉपर कम्पलेक्स में उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस बीच तांबा सांद्रों की कमी का कुछ अंश आयातों से भी पूरा करने का प्रस्ताव है ।

**श्रीलंका से वापस भेजे गये भारतीय मूल के व्यक्तियों को मुआवजा**

2467. **श्री शंकर राव सांवत :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीलंका द्वारा वासप भेजे गये भारतीय मूल के व्यक्तियों को उनके द्वारा छोड़ी सम्पति और निष्कासन की कार्यवाही के लिये मुआवजे की कितनी राशि दी जा रही है ?

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास)** : श्रीलंका में रहने वाला भारतीय मूल का कोई व्यक्ति श्रीलंका से निकाला नहीं गया है । 1964 और 1974 के समझौते के अन्तर्गत इनमें से कुछ लोग उत्तरोत्तर देश प्रत्यावर्तित किए जा रहे हैं । सामान्य नियमानुसार, देश-प्रत्यावर्तन के समय उन्हें अपनी मूल आस्तियां अपने साथ लाने की अनुमति होती है। देश प्रत्यावर्तियों द्वारा अचल आस्तियां छोड़कर आने का कोई मामला हमारी जानकारी में नहीं आया है ।

**कोयला उद्योग में अनुपस्थिति के बारे में सेमिनार**

2468. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**
**श्री प्रबोध चन्द्र :**

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उद्योग में अनुपस्थिति के बारे में मार्च, 1976 में धनबाद में कोई सेमिनार हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई थीं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी)** : (क) धनबाद में 13 मार्च, 1976 को इंडियन नेशनल माईन वर्कर्स फेडरेशन, धनबाद के तत्वावधान में कोयला उद्योग में अनुपस्थिति के बारे में एक विचार-गोष्ठी हुई थी ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें इस विचार-गोष्ठी के निर्णय और इसकी सिफारिशें समाविष्ट हैं । विचार-गोष्टी के परिणाम को सरकार ने दिलचस्पी के साथ नोट किया है ।

**विवरण**

धनबाद में 13-3-1976 को "कोयला उद्योग में अनुपस्थिति" के बारे में हुई विचार-गोष्ठी के निर्णय और उसकी सिफारिशें दर्शाई गई हैं ।

**इंडियन नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन, राजेन्द्र पथ, धनबाद**

**धनबाद में 13-3-1976 को "कोयला उद्योग में अनुपस्थिति" के बारे में हुई उच्चतम स्तरीय विचार-गोष्ठी**

**निर्णय और सिफारिशें**

1.1 विभिन्न अभिकरणों द्वारा अनुपस्थिति के बारे में सांख्यिकी की संगणना का वर्तमान तरीका मामलों की यथार्थ स्थिति प्रकट नहीं करता । प्रबन्ध द्वारा छुट्टी की मंजूरी के संदर्भ में अधिकृत अनुपस्थिति तथा अनधिकृत अनुपस्थिति में अन्तर दिखाना आवश्यक है। इसलिए अनुपस्थितिवाद के बारे में आंकड़ों का संकलन निम्नलिखित कारकों पर आधारित किया जाना चाहिए :--

(1) वार्षिक विशेषाधिकार छुट्टी, जिसके लिए पूर्व मंजूरी प्राप्त की गई है ।

(2) बीमारी छुट्टी

(4) निलम्बन की अवधि ।

(4) संगरोध क्वारन्टीन छुट्टी ।

(5) दुर्घटना से आई चोट और विकलांगता के कारण अनुपस्थिति ।

(6) खान सुरक्षा महानिदेशालय के आदेशों के अन्तर्गत काम का निलम्बन ।

(7) हड़ताल या तालाबन्दी ।
(8) जबरी छुट्टी । } यह प्रथा पहले से ही विद्यमान है ।
(9) प्रसूति छुट्टी ।

1.2. सामान्य अनुपस्थितिवाद का मंजूर की गई छुट्टी वाले और मजदूरियों/भत्तों के भुगतान सहित अनुपस्थितिवाद के रूप में वर्गीकरण किया जाना चाहिए । जो अनुपस्थिति इस सीमा के अतिरिक्त हो, उसे असामान्य अनुपस्थिति समझा जाना चाहिए ।

1.3. कोयला उद्योग के संबंध में अनुपस्थिति के बारे में आंकड़ों को मासिक और वार्षिक आधार पर संकलित करने तथा उनको पेश करने की वर्तमान प्रणाली को जारी रखा जाए ।

2.1. सभी उपलब्ध आंकड़ों से यह प्रतीत होता है कि पिछले वर्षों की तुलना में 1974 के दौरान कोयला उद्योग में अनुपस्थिति की दर में सीमातरीय वृद्धि हुई ।

2.2. भूमिगत खानों में फेस वर्कर्ज में अन्य भूमि पर काम करने वाले श्रमिकों की अपेक्षा अनुपस्थिति की दर उच्चतर है । इसके अतिरिक्त, खान के ऊपर काम करने वाले श्रमिकों और ओपन कास्ट खानों में रत श्रमिकों में भूमि के अन्दर काम करने वाले श्रमिकों की अपेक्षा अनुपस्थिति की दर कम है।

2.3. ऐसी संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए जिनके द्वारा उजरती दर पर काम करने वाले फेस वर्कर को 45 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर दूसरी जगह समय-दर कार्य के लिए स्वेच्छा प्रकट करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए । यदि इस प्रक्रिया में कोई प्रशिक्षण अपेक्षित हो तो प्रबन्ध को आवश्यक व्यवस्थाएं करनी चाहिएं ।

2.4. नीरस कार्य में रत श्रमिकों को राहत प्रदान करने के लिए, कार्य आवर्तन की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

3.1. उत्पादन पर अनुपस्थिति के प्रभाव को कम करने के लिए बहु-दक्षता दिशामान की जांच-पड़ताल की जानी चाहिए ।

4.1. भूमिगत खानों में वास्तविक वातावरणात्मक स्थितियों का अनुपस्थिति की दर पर सीधा प्रभाव पड़ता है और इसलिए इन स्थितियों को सुधारा जाना चाहिए ।

4.2. जहां कहीं संभव हो गैर-उत्पादक कार्य के संबंध में श्रमिकों की थकान को कम करने के लिए उपाय किए जाने चाहिएं ।

5.1. आवास, जल प्रदाय, सफाई, स्वास्थ्य, शैक्षिक और मनोरंजन संबंधी सुविधाओं और कोयला खनिकों के लिये सुविधाओं में सुधार की तत्काल आवश्यकता है । इन सुविधाओं और सुख-साधनों को प्रदान करते समय, प्रत्येक जातीय समूह की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि विशेषकर आवास और पारिस्थितिक तत्वों के संबंध में, को पुनर्निर्मित किया जाए ।

5.2. यह महसूस किया जाता है कि ऐसी सुविधाओं और ऐसे सुख साधनों की व्यवस्था एक वचनबद्ध और सुस्थापित औद्योगिक श्रमिक दल निर्मित करने में काफी सहायक होगी । प्रसंगवश यह गांवों से संबंधों और खिचांव को कम करने में सामर्थ्य देगी ताकि अनुपस्थिति की प्रवृत्ति कम हो सके ।

6.1. चूंकि कोयला खनिकों में शराब पीने की आदत व्यापक रूप से है और यह अनुपस्थिति, आर्थिक कठिनाइयों के अतिरिक्त स्वास्थ्य जोखिमों की उच्च दर में वृद्धि करती है, अतः, कोयला खान के क्षेत्रों में शराब बन्दी के दिनों (ड्राई डेज) को आरम्भ करने के लिए यह एक विशिष्ट पृष्ठभूमि है जिसमें वेतन के दिन और आगामी दो दिन शामिल होंगे । इस बारे में प्रवर्तन कार्रवाइयां कठोरता से की जानी चाहिएं ।

6.2. कोयला खनन क्षेत्रों में इस समय स्थित शराब की दुकानों को हटाकर कोयला खान तथा रहायशी आबादी से कम से कम 3 किलोमीटर के व्यासार्ध की दूरी पर अलग स्थानों में ले जाया जाना चाहिए ।

7. कोयला खान क्षेत्रों में महाजनों की गतिविधियों को दबाने के लिए कठोर कार्रवाइयां करनी चाहिएं और श्रमिकों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रबन्धतन्त्र के सहयोग से सहकारी ऋण समितियों की स्थापना की जानी चाहिए ।

8. न ली गई बीमारी की छुट्टी के संचयन और/या नकद भुगतान के लिए प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाए ।

9. श्रमिकों को योजनाबद्ध तरीके से छुट्टी लेनी चाहिए ।

10. सामाजिक, वैज्ञानिक, श्रमिक संघ और प्रबन्ध विशेषज्ञ परस्पर अपना पूल बनाएं और अनुपस्थिति की समस्याओं का गहन अध्ययन करें ताकि इस समस्या का अतिव्यवहार्य समाधान उद्भूत किया जा सके ।

**प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम को कृषि महिलाओं पर लागू करना**

2469. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में दिल्ली में "आल इंडिया यूथ फेडरेशन" की युवा महिला समिति द्वारा प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किए गए मांग-पत्र की जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार को उस एक मांग की भी जानकारी है जिसमें प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम को कृषि महिलाओं पर लागू करने हेतु सरकार से अनुरोध किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या राय है ?

**श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी)** : (क) और (ख) जी हां,

(ग) भारत में महिलाओं की स्तर संबंधी समिति ने भी अन्य बातों के साथ-साथ प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 के उपबन्धों को कृषि संबंधी श्रमिकों पर विस्तारित करने की सिफारिश की है। राज्य सरकारों से अन्य बातों के साथ-साथ इस मंत्रालय को अधिनियम की धारा 2(1) के परन्तुक के अनुसार कृषि संबंधी प्रतिष्ठानों पर अधिनियम के उपबन्धों को विस्तारित करने के प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।

**इस्पात-उत्पादन**

2470. **श्री नाथूराम अहिरवार** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के किन इस्पात संयंत्रों ने निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार उत्पादन शुरू कर दिया है ; और

(ख) कितने इस्पात संयंत्रों में उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम हैं और इसके क्या कारण हैं ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : (क) और (ख) नीचे दी गई तालिका में वर्ष 1975-76 में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक इस्पात कारखाने का उत्पादन लक्ष्य, वास्तविक उत्पादन और विक्रेय इस्पात के उत्पादन लक्ष्य की पूर्ति का प्रतिशत दिया गया है।

(हजार टन)

| कारखाना | लक्ष्य | वास्तविक उत्पादन | लक्ष्य की पूर्ति का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| भिलाई | 1770 | 1850 | 104.5 |
| दुर्गापुर | 780 | 751 | 96.3 |
| राउरकेला | 900 | 1041 | 115.7 |
| बोकारो | 250 | 150 | 60.0 |

दुर्गापुर में उत्पादन में मामूली कमी रही है। मुख्य बाधा यह थी कि कोयले की क्वालिटी घटिया थी जिसके परिणामस्वरूप कोक की क्वालिटी घटिया हो गई और फलस्वरूप धमन भट्टियों के उत्पादन और सर्वतोमुखी कारखाने के परिचालन पर प्रभाव पड़ा। बोकारो का लक्ष्य इस धारणा के आधार पर बनाया गया था कि दूसरी धमन भट्टी अगस्त, 1975 में चालू हो जायेगी लेकिन इस वर्ष के पहिले कुछ महीनों में योजना के अनुसार पूरी मात्रा में कोककर कोयले की आपूर्ति न होने के कारण यह भट्टी चालू नहीं हो सकी।

**हृदय संरचना और उपाचयन के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन**

2471. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्टीट्यूट आफ हिस्ट्री आफ मेडीसिन एण्ड मैडिकल रिसर्च ने इस वर्ष मार्च महीने में दिल्ली में हृदय संरचना और उपाचयन (कार्डियक स्ट्रक्चर एण्ड मेटाबोलिज्म) के बारे में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था ;

(ख) क्या आयुर्वेदिक प्रणाली के अनुसार हृदय, मस्तिष्क और गुर्दा नामक तीन महत्वपूर्ण अंगों के क्षतिग्रस्त होने पर मृत्यु हो सकती है; और

(ग) क्या आयुर्वेदिक विद्वानों के अनुसार हृदय रोग के उपचार के लिए अच्छी औषधियां उपलब्ध हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

**जनसंख्या की वृद्धि-दर में वृद्धि**

2472. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महिलाओं की अपेक्षा पुरुष अधिक हैं ;

(ख) क्या विगत 10 वर्षों में इस से पूर्व की दशाब्दी की 21.51 प्रतिशत की वृद्धि-दर की तुलना में यह वृद्धि-दर 24.80 प्रतिशत रही; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : (क) जी हां।

(ख) 1961 और 1971 की जन-गणना के अनुसार 1961—71 के बीच जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि-दर 24.80 थी, जबकि 1951--61 के बीच यह दर 21.64 थी।

(ग) जनसंख्या की वृद्धि-दर में बढ़ोतरी मुख्य रूप से मृत्यु-दर में कमी के कारण है।

**ग्रामों की कुल संख्या और डाकघरों में अनुपात**

2473. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न प्रकार के डाकघरों की संख्या कितनी है ;

(ख) इन डाकघरों और उनकी सेवा के अन्तर्गत कुल ग्रामों के बीच क्या अनुपात है ; और

(ग) क्या देश के सभी नगरीय केन्द्रों को टेलीफोन लाइनों से संबद्ध कर दिया गया है ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) :** (क) 1-3-1976 को डाकघरों की संख्या इस प्रकार थी :--

| | |
|---|---|
| (1) मुख्य डाकघर . . . . | 579 |
| (2) विभागीय उप डाकघर . . | 20027 |
| (3) विभागीतर उप-डाकघर . . . . . | 779 |
| (4) विभागीय शाखा डाकघर . | 12 |
| (5) विभागीतर शाखा डाकघर . . . | 96667 |
| योग : | 1,18,064 |

(ख) इनमें से 1,06,412 डाकघर देहाती इलाकों को सेवा प्रदान कर रहे हैं । इन डाकघरों और इनसे सेवा पाने वाले गांवों की कुल संख्या के बीच का अनुपात 6.2 है ।

(ग) जी नहीं ।

**संयुक्त प्रबन्ध-परिषदें**

2474. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त प्रबन्ध परिषदों की योजना को सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में लागू करने के लिये जोरों से प्रयास किए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस समय क्षेत्रवार कितने औद्योगिक उपक्रमों में ये परिषदें काम कर रही हैं ; और

(ग) संयुक्त प्रबन्ध परिषदों के विचार को सिद्धांत रूप में स्वीकार करने के बारे में शेष औद्योगिक उपक्रमों की स्थिति क्या है ?

**श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी)** : (क) से (ग) संभवतः यह प्रश्न श्रमिकों द्वारा उद्योग में शाप फ्लोर और प्लाण्ट स्तर पर प्रबन्ध में भाग लेने संबंधी नई योजना की ओर निर्दिष्ट करता है, जो कि सरकार द्वारा अपने दिनांक 30 अक्तूबर, 1975 के संकल्प में घोषित की गई है । सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों में योजना को कार्यान्वित करवाने के लिए जोरदार प्रयास किए जा रहे हैं । यह 92 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और निजी-क्षेत्र में लगभग 140 प्रतिष्ठानों में कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है । इस योजना के संबंध में प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही है और श्रमिक संघों और प्रबन्धों ने योजना को सफल बनाने के लिये इच्छुक सहयोग व्यक्त किया है ।

**अन्धता नियंत्रण के लिए उपाय**

2475. **श्री रानेन सेन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल जनसंख्या की तुलना में कितने व्यक्ति अन्धेपन के शिकार हैं; और

(ख) अन्धता नियंत्रण के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा हाल में किये गये सर्वेक्षणों के अनुसार कुल आबादी का लगभग 1.4 से 1.5 प्रतिशत लोग अन्धेपन से ग्रस्त हैं । इस प्रकार देश में लगभग 90 लाख लोग अन्धे हैं ।

(ख) अन्धेपन को रोकने के लिये जो राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया गया है उसे सभा पटल पर रख दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-10693/76] ।

**Length of G. T. Road**

2476. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the total and State-wise length of the longest National Highway (G.T. Road) in the country;

(b) the funds allocated to these States, State-wise for carrying out repairs afresh of this Highway recently; and

(c) whether all the States have completed the work they were entrusted with and the nature of work done ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Dalbir Singh)** (a) & (b) Presumably, the Honourable Member is having in mind the old G.T. Road from Pakistan Border to West Bengal which route is now more or less covered by National Highways 1 and 2. The State-wise and total length of these two National Highways

and the funds allotted to the States concerned for maintenance and repairs thereof during 1975-76 are indicated below:—

| State | Length in Km. | | | Funds allotted for maintenance and repairs of NH 1 & 2 during 1975-76 |
|---|---|---|---|---|
| | N.H. No. 1 | N.H. No. 2 | Total | |
| | | | | (Rs. in lakhs) |
| Delhi . . . . | 22 | 19 | 41 | 10.09 |
| Haryana . . | 180 | 74 | 254 | 33.24 |
| Punjab . . . | 254 | — | 254 | 34.47 |
| Uttar Pradesh . . . | — | 770 | 770 | 20.57 |
| Bihar . . | — | 392 | 392 | 16.00 |
| West Bengal . | — | 235 | 235 | 20.32 |
| Total . . . . | 456 | 1490 | 1946 | 134.69 |

(c) The maintenance and repairs of the National Highways is a continuous process and works are taken up according to requirements and availability of funds.

**भारत-मलयेशिया वार्ता**

2477. **श्री राम सहाय पांडे :**
**श्री रामभगत पासवान :**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में भारत-मलयेशिया वार्ता हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास)** : (क) जी, हां । 18 और 19 मार्च, 1976 को नई दिल्ली में सरकारी स्तर पर द्विपक्षीय वार्ता हुई थी ।

(ख) यह बातचीत सौहार्द एवं मैत्रीपूर्ण वातावरण में हुई और इस बातचीत के दौरान समान हित के अन्तर्राष्ट्रीय मसलों, खास तौर पर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के मसलों पर चर्चा हुई । जिन महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हुई, वे हैं :--'एशियन' शिखर सम्मेलन, हिन्द महासागर की शांति क्षेत्र के रूप में घोषणा, कोलम्बो में अगामी निर्गुट देशों का शिखर सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं पर पेरिस वार्ता । दोनों देशों के बीच आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने की दृष्टि से द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा भी की गई ।

**स्टेनलैस स्टील का निर्माण और आयात**

2478. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में कितनी मात्रा में स्टेनलैस स्टील का निर्माण किया गया और कितना विदेशों से आयात किया गया;

(ख) वास्तविक उपभोक्ताओं को स्टेनलैस स्टील वितरित करने की क्या व्यवस्था है ; और

(ग) इसके वितरण संबंधी सिद्धांत क्या हैं ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुख देव प्रसाद)** : (क) गत तीन वर्षों में बेदाग इस्पात के आयात की मात्रा तथा उसका देशीय उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(मात्रा टन)

| वर्ष | आयात | देशीय उत्पादन |
|---|---|---|
| 1973-74 | 17112 | 5192 |
| 1974-75 | 34246 | 6621 |
| 1975-76 . . . . . | 5583* | 7090 |

*जून 1975 तक

(ख) और (ग) वास्तविक उपभोक्ताओं तथा पंजीकृत निर्यातकों के लिये बेदाग इस्पात का आयात समय-समय पर लागू आयात नीति के अनुसार किया जाता है । आयात किया गया बेदाग इस्पात वास्तविक उपभोक्ताओं को मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात द्वारा जारी किये गये रिलीज आर्डरों तथा वर्तन निर्माताओं को विकास आयुक्त, लघु उद्योग की सिफारिश पर तथा विकास आयुक्त, लघु उद्योग के पास पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों को उसकी सिफारिश पर तथा महानिदेशक, तकनीकी विकास के पास पंजीकृत इकाइयों को उसकी सिफारिश पर खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा दिया जाता है । जहां तक देशीय उत्पादन का संबंध है, बेदाग इस्पात के वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है ।

**राउरकेला इस्पात संयंत्र का विस्तार**

2479. **श्री डी० के० पंडा०** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राउरकेला इस्पात संयंत्र के विस्तार कार्यक्रम को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**नये तार घर खोलना**

2480. **श्री चौधरी राम प्रकाश** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976-77 के दौरान नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः कितने-कितने तारघर खोले जाने की संभावना है ; और

(ख) वर्ष 1976-77 के दौरान हरियाणा राज्य के नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः कितने-कितने तारघर खोले जाने की संभावना है ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** : (क) वर्ष 1976-77 के दौरान देश के शहरी और देहाती इलाकों में क्रमशः 76 और 896 तारघर खोले जाने की संभावना है ।

(ख) वर्ष 1976-77 के दौरान हरियाणा राज्य के शहरी और देहाती इलाकों में क्रमशः एक और सत्रह तारघर खोले जाने की संभावना है ।

**Payment of Telephone bills by Government**

†2481. **Shri M. C. Daga** :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the total number of telephones in the country annual rent in respect of which is paid by Government themselves; and

(b) the number of free local calls allowed to those persons who get telephones free of cost ?

**The Minister of Communications (Dr. Shankar Dayal Sharma)** : (a) About 98,170.

(b) 1,500 local calls per quarter in addition to 250 free calls per quarter allowed by the P & T Department.

**हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में डाक व तार प्रतिष्ठानों को खतरा**

2482. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० एस० एल० परियोजनाओं/पंजाब विद्युत बोर्ड से खींची गई बिजली की लाईनों के कारण हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में स्थित डाक व तार प्रतिष्ठानों को गंभीर खतरा पैदा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना अधिकारियों ने इन लाईनों के बिछाये जाने से पूर्व उन प्रतिष्ठानों के स्थानांतरण के लिये कोई राशि प्रदान की है ;

(ग) टेलीफोन लाइनों जैसे उन प्रतिष्ठानों के क्या नाम हैं जो इस विद्युत समान्तरण तथा प्रस्तावित वैकल्पिक लाइनों से प्रभावित होंगे ;

(ब) क्या इसके फलस्वरूप दूर संचार व्यवस्था और उसके भावी विकास को अस्त-व्यस्त होने से बचाने के लिये नये कार्यों को तेजी से शुरू किया जायेगा ; और

(ङ) इस उद्देश्य के लिए कुल कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** : (क) जी हां । देहर से पानीपत और गुंगवाल जाने वाली बिजली की प्रस्तावित लाइनों से, जिनका निर्माण पंजाब बिजली बोर्ड कर रहा है, बिलासपुर क्षेत्र के आस-पास की मौजूदा दूर संचार लाइनों में काफी बाधा पहुंचने की संभावना है।

(ख) परियोजना प्राधिकारी इस मामले पर विचार कर रहे हैं ।

(ग) देहर-बिलासपुर-नौनी सैक्शन में ट्रंक लाइनों पर दिये गये सभी दूरसंचार सर्किट इस विद्युत समान्तरता से प्रभावित हुए हैं । इन सर्किटों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. शिमला-धर्मशाला 8-चैनल कैरियर प्रणाली ।
2. शिमला-मंडी 8-चैनल कैरियर प्रणाली ।
3. शिमला-बिलासपुर 3-चैनल कैरियर प्रणाली ।
4. बिलासपुर-सुन्दरनगर कैरियर प्रणाली ।
5. बिलासपुर-घूमरविन एस० ए० एक्स० ट्रंक सर्किट ।
6. बिलासपुर-देहर और बिलासपुर-झांडुत्ता पी० सी० ओ० ट्रंक सर्किट ।
7. नांगल-सुन्दरनगर स्पीच सर्किट, जो पंजाब बिजली बोर्ड को पट्टे पर दिया गया है ।
8. शिमला-बिलासपुर-सुन्दरनगर-मंडी-कुल्लू टैलीग्राफ सर्किट ।
9. बिलासपुर-झांडुत्ता-घूमरविन-बरघीन-लेहरी सराय-हाटवार टेलीग्राफ सर्किट ।
10. बिलासपुर की स्थानीय टेलीफोन प्रणाली का एक छोटा हिस्सा ।

प्रस्तावित वैकल्पिक व्यवस्थाएं निम्नलिखित हैं :--

1. शिमला और मंडी के बीच माइक्रोवेव सर्किट की व्यवस्था करना और मंडी-धर्मशाला व मंडी-सुन्दरनगर प्रणालियों के रूप में काम करने के लिए शिमला-धर्मशाला व शिमला-मंडी कैरियर प्रणालियां शिफ्ट करना ।
2. शिमला और बिलासपुर के बीच यू० एच० एफ० प्रणाली ।
3. मंडी से शिमला, बिलासपुर, कुलू और सुन्दरनगर के लिये चार एस+4 डी० एक्स० प्रणालियों की व्यवस्था करना ।
4. हमीरपुर और घूमरविन के बीच नई लाइन का निर्माण और नये तार लगाना ।
5. इस इलाके में ट्रंक और टेलीग्राफ सर्किटों की पुनर्व्यवस्था ।
6. बिलासपुर की स्थानीय टेलीफोन प्रणाली के प्रभावित क्षेत्र में आवृत्त (स्क्रीन्ड) केबुल बिछाना ।
7. प्रभावित लाइनों का हटाना ।

(घ) जब बिजली प्राधिकारी वैकल्पिक व्यवस्थाओं की लागत का भुगतान करने के लिए सपमत हो जाएंगे तब नये काम प्राथमिकता के आधार पर शुरू कर दिये जायेंगे।

(ङ) पुनर्व्यवस्था संबंधी सभी कार्यों की अनुमानित लागत 39,07,000 रुपये है, जिसकी व्यवस्था बिजली परियोजना प्राधिकारियों को करनी होगी ।

**टाटा की कोयला खानों का विस्तार**

2483. **श्री प्रबोध चन्द्र :**
**श्री राम भगत पासवान :**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टाटा की कोयला खानों के लिये उनकी विस्तार योजना को स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री ( श्री सुखदेव प्रसाद)** : (क) और (ख) हाल में टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लिमिटेड ने अपनी पश्चिमी बोकारो की कोयला खान की 7 लाख टन अपरिष्कृत कोयले की वर्तमान लाइसेंसीकृत वार्षिक क्षमता को 25 लाख टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिया है । यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

**अपर वोलटा और भारत के बीच सहयोग**

2484. **श्रीमती रोज़ा विद्याधर देशपांडे :**
**श्री के० लकप्पा :**
**श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अपर वोल्टा के बीच आर्थिक, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग संबंधी सद्भाव ज्ञापन पर अभी हाल में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) 22-3-1976 को जिस सद्भाव-ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए उसकी मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :--

(1) भारत अपर वोल्टा को वनस्पति तेल निकालने, चर्मशोधन, सूती कपड़े, सिलाई धागे, सिलेसिलाए कपड़े, खाद्य संसाधन, मृत्तिका उद्योग, कांच की चादरें तथा कांच के बर्तन, लोहे के इमारती सामान और सैनिटरी के सामान आदि जैसे लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिये सहयोग देने के लिये सहमत हो गया है ।

(2) कृषि के क्षेत्र में भारत अपर वोल्टा को सामुदायिक विकास, फल और सब्जी उत्पादन, कृषि के औजार और उपकरण निर्माण में सहयोग प्रदान करेगा ।

(3) भारत अपर वोल्टा को पैट्रोलियम तथा अन्य खनिजों के अन्वेषण तथा तकनीकी विशेषज्ञ प्रदान करने में सहयोग प्रदान करने को सहमत है ।

**आंध्र प्रदेश के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से निधि का जारी किया जाना**

2485. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि से आवंटित धनराशि राज्य को देने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस निधि से कितनी धनराशि आवंटित की गई है ; और

(ग) उस के लिये राज्य सरकार ने क्या अनुरोध किया है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने पांचवीं योजना के दौरान राज्य को देय केन्द्रीय सड़क निधि (नियतन) से राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों की पूरी राशि के लिये अनुरोध किया है जो कि वर्तमान अनुमानों के अनुसार 158.75 लाख रुपये आती है । परन्तु यह प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं है क्योंकि वास्तविक आवंटन वार्षिक आधार पर किये जाते हैं । जो कि इससे आगे इस बात पर निर्भर करता है कि संसद द्वारा स्वीकृत वार्षिक बजट के लिये इस प्रयोजन के लिये कितनी धन राशि उपलब्ध हो सकती है, कार्य की प्रगति क्या है और विभिन्न राज्यों की मांगें क्या हैं ।

**आंध्र प्रदेश स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास**

2486. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास कार्य प्रारम्भ करने हेतु आंध्र प्रदेश की सरकार को धन देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने आश्वासन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय राज्यमार्गों संबंधी प्रारम्भिक कार्यों के लिये वर्ष 1975-76 के लिये 6.56 करोड़ रुपये का और वर्ष 1976-77 के लिये 6.51 करोड़ रुपये का अनुदान देने के लिये राज्य सरकार ने अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह)**: (क) से (ग) चूंकि संवैधानिक रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग एक केन्द्रीय विषय है और इन राजमार्गों के विकास तथा रख-रखाव के लिये केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है, अतः इन प्रयोजनों के लिये भारत सरकार संसाधनों की उपलब्धि, कार्यों की प्रगति और विभिन्न राज्यों की मांग के अनुसार संवैधानिक जिम्मेदारी के निर्वाह के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जाती है । यह एक निरन्तर प्रक्रिया है और इसलिये मामले में कोई आश्वासन देने का प्रश्न नहीं उठता ।

आंध्र प्रदेश सरकार ने 1975-76 के अन्तिम आवंटन के समय, राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिये 340.00 लाख रुपये की मांग की । यह पूरा का पूरा दिया गया है । जहां तक 1976-77 का प्रश्न है आंध्र प्रदेश में रा० रा० मार्गों के विकास के लिये 394.00 लाख रु० की राशि अलग से रखी गई है । 1976-77 के दौरान आंध्रप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिये धन की अन्तिम मांग का पता कार्यों की प्रगति के आधार पर वर्ष के अन्त में चलेगा ।

**गर्भपात के लिए अधिक सरल तरीका**

2487. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में हाल ही में गर्भपात के अधिक सरल तरीके का सफल परीक्षण किया गया है ;

(ख) क्या उक्त तरीके के लिए किसी विशेष उपचार की जरूरत पड़ती है; और

(ग) क्या इस तरीके का स्वरूप अस्थायी है अथवा स्थायी ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०के०एम० इसहाक)** : (क) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई तरीका नहीं आया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**गुजरात में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए पंजीकरण**

2488. **श्री अरविंद एम० पटेल :**
**श्री एन० आर० वेकारिया है:**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में प्रत्येक जिले में 31 दिसम्बर, 1975 तक नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिये टेलीफोन विभाग में कितने आवेदन पत्र पंजीकृत किये गये ; और

(ख) आवेदकों को नये टेलीफोन कनेक्शन कब तक मिल जाएंगे ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)**: (क) 31-3-76 को गुजरत में दर्ज अर्जियों के संबंध में जिलावार आंकड़े संलग्न अनुबन्ध में दे दिए गए हैं।

(ख) यह बताना संभव नहीं है कि किस समय तक प्रतीक्षासूची में दर्ज आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जायेंगे । फिर भी, उपलब्ध सीमित साधनों के अन्तर्गत यथाशीघ्र अनिर्णीत अर्जियों पर अधिक से अधिक टेलीफोन कनेक्शन देने के निमित्त टेलीफोन प्रणालियों का विस्तार करने के लिए निरन्तर प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

**"विवरण"**

31-3-76 को गुजरात में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए जिलावार दर्ज अर्जियों के संबंध में विवरण पत्र ।

| क्रम सं० | जिला | अर्जियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | अहमदाबाद | 10742 |
| 2. | अमरेली | 74 |
| 3. | बनास कांठा | 129 |
| 4. | बड़ौदा | 3288 |
| 5. | भावनगर | 518 |
| 6. | भड़ौंच | 150 |
| 7. | बुलसर | 537 |
| 8. | डांग | कोई नहीं |
| 9. | गांधीनगर | 14 |
| 10. | जामनगर | 1385 |
| 11. | जूनागढ़ | 616 |
| 12. | कैरा | 751 |
| 13. | कच्छ | 89 |
| 14. | मेहसाना | 348 |
| 15. | पंचमहल | 354 |
| 16. | राजकोट | 1833 |
| 17. | सावरकांठा | 198 |
| 18. | सूरत | 6541 |
| 19. | सुरेन्द्रनगर | 300 |

**राष्ट्रीय मैंगनीज मजदूर संघ, नागपुर द्वारा अभ्यावेदन**

2489. **श्री बसन्त साठे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :--

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय मैंगनीज मजदूर संघ, नागपुर से लौह अयस्क मजूरी बोर्ड के पंचाट के समान मैंगनीज खान कर्मचारियों की न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने तथा डोंगरी बुजरुक खान को अपने अधिकार में लेने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो संघ द्वारा उठाये गये विभिन्न मामलों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ;

(ग) क्या मैंगनीज खानों के राष्ट्रीयकरण का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो कौन-कौन सी खानें सरकारी अधिकार में लेने का विचार है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : (क) राष्ट्रीय मैंगनीज मजदूर संघ, नागपुर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह मांग की गई है कि मैंगनीज और (इंडिया) लि० में काम कर रहे कामगारों की न्यूनतम मजूरी लोह खनिज खनन उद्योग में प्रवर्तमान मजूरी के बराबर होनी चाहिए ।

(ख) यह मामला विचाराधीन है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**न्यू मंगलौर पत्तन पर यातायात**

2490. **श्री पी० रंगानाथ शिनाय** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू मंगलौर पत्तन पर अब तक कितना यातायात रहा ; और

(ख) इस यातायात को सम्भालने में यदि कोई कठिनाई आयी तो वह क्या है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच०एम० त्रिवेदी)** : (क) नव मंगलौर पत्तन 4 मई, 1974 को बड़ा पत्तन घोषित किया गया। नव मंगलौर पत्तन द्वारा अब तक धरा-उठाई किए गए यातायात की मात्रा 4,30,164 टन है । वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :--

(टनों में)

| वर्ष | धरा-उठाई किए गए यातायात की मात्रा |
|---|---|
| 1974-75 . . . . . | 91,398 |
| 1975-76 . . . . . | 3,38,766 |

(ख) यातायात की धरा-उठाई करने में कोई कठिनाई नहीं हुई ।

**मंगलौर और पानम्बूर को एक ही पत्तन न्यास के अधीन रख जाना**

2491. **श्री पी० रंगानाथ शिनाय** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर और पानम्बूर में नये और पुराने पत्तनों के प्रबन्ध को एक ही पत्तन न्यास के अधीन रखे जाने की मांग की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी)**: (क) और (ख) जी, हां । नव मंगलौर पत्तन के लिए पत्तन न्यास बनाने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है । एक ही पत्तन न्यास द्वारा पुराने मंगलौर पत्तन न्यास और नव मंगलौर पत्तन के प्रबंध के प्रश्न पर उचित समय पर विचार किया जाएगा ।

**कर्नाटक में बोक्साइट के निक्षेप**

2492. **श्री पी० रंगानाथ शिनाय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में गंगूली पत्तन के अन्तर्प्रदेश में बड़ी मात्रा में बोक्साइट उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो इस अयस्क का उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : (क) कुडापूर, दक्षिण कैनारा जिले (कर्नाटक) में गंगूली पत्तन के भीतरी प्रदेश में निम्न व मध्यम ग्रेड बाक्साइट के 145 लाख टन तथा एल्यूमिनियम मिश्रित लेटराइट के 25 लाख टन भंडारों का अनुमान लगाया गया है ।

(ख) कर्नाटक सरकार ने प्रारम्भिक परीक्षण करने के लिए उस इलाके में बाक्साइट की खुदाई की है।

**गुजरात में मेडिकल कालेज**

2493. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में मैडिकल कालेजों की संख्या बढ़ाने अथवा वर्तमान कालेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

**बर्मा, श्रीलंका और इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमाएं तय करना**

2494. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने बर्मा, श्रीलंका और इंडोनेशिया के साथ अपनी समुद्री सीमाएं तय कर ली हैं;

(ख) क्या इन समझौतों में समुद्र के अन्दर पाये जाने वाले मूल्यवान पदार्थ निकालने की भी व्यवस्था है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास)** : (क) भारत और इंडोनेशिया के बीच 1974 में एक समझौता हुआ था जिसके द्वारा ग्रेट निकोबार द्वीप और सुमात्रा के बीच ग्रेट चैनल में उनकी महाद्वीपीय शेल्फ सीमा के कुछ भाग का परिसीमन हुआ । भारत और श्रीलंका के बीच उनकी समुद्री सीमा से संबंधित दो समझौते हुए हैं जिनमें पहला 1974 में हुआ जिसका संबंध 'पाक वे' से है और दूसरा 1976 में जो मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी से संबंधित है । लेकिन श्रीलंका के साथ 1976 में हुए इस दूसरे समझौते का अनुसमर्थन बाकी है । भारत और बर्मा के बीच अभी तक कोई समुद्री सीमा समझौता नहीं हुआ है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 26/28 जून 1974 को भारत और श्रीलंका में दोनों देशों के बीच के ऐतिहासिक जल की सीमा तथा अन्य सम्बन्धित प्रश्नों पर जो समझौता हुआ था उसकी एक प्रति 23 जुलाई 1974 को सदन की मेज पर रख दी गई थी । मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी में दोनों देशों के बीच की समुद्री सीमा तथा अन्य संबंधित प्रश्नों पर 23 मार्च 1976 को भारत और श्रीलंका के बीच जो समझौता हुआ उसकी एक प्रति 24 मार्च 1976 को सदन की मेज पर रखी गई । 8 अगस्त 1974 को भारत और इंडोनेशिया के बीच दोनों देशों की महाद्वीपीय शैल्फ सीमा से संबंधित जो समझौता संपन्न हुआ उसकी एक प्रति 14 अगस्त 1974 को सदन की मेज पर रखी गई थी ।

**दिल्ली में गलत नम्बर मिलने वाली टेलीफोन कालें**

2496. **श्री राजाराम दादासाहेब निम्बालकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में डायल करने पर 30 प्रतिशत से अधिक टेलीफोन नम्बर गलत मिलते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस खराबी को दूर करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** : (क) जी, नहीं। जैसा कि दिल्ली टेलीफोन प्रणाली में रोजाना नियमित परीक्षण-कालों से पता चला है डायल की गई कालों में से केवल लगभग 0.9 प्रतिशत कालें गलत नम्बर पर लग जाती हैं ।

(ख) यद्यपि सही नम्बर न मिलने का प्रतिशत बहुत अधिक नहीं है, तथापि निम्नलिखित ढंग से कार्रवाई की जाती है :

(1) डायलों की नेमी जांच ।

(2) एक्सचेंजों के बीच के जंक्शनों की जांच ।

(3) टेलीफोन एक्सचेंजों का, जिनमें क्रासबार एक्सचेंज भी शामिल हैं, विशेष रख-रखाव ।

**"गोल्ड स्पाट" निर्माताओं पर मुकदमा चलाया जाना**

2497. **श्री अरविंद एम० पटेल :**

**श्री एन०आर० बेकारिया :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'गोल्ड स्पाट' निर्माताओं पर मुकद्दमा चलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनको क्या दण्ड दिया गया ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :** (क) जी, हां ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार दिल्ली नगर निगम के स्टाफ ने 1967 में "गोल्ड स्पाट" का एक नमूना लिया था जो धातु संबंधी दूषण के कारण मिलावटी पाया गया था । गोल्ड स्पाट के निर्माता मैसर्स दिल्ली बौटलिंग कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा बनाए गए "लिम्का" के जो दो नमूने नई दिल्ली नगर पालिका के स्टाफ द्वारा 1973 और 1974 में लिए गये थे उनमें कोई और चीज मिली हुई पायी गई थी । उसी फर्म द्वारा बनाए गए "रिमझिम" का भी जो एक नमूना दिल्ली नगर निगम के स्टाफ द्वारा 1973 में लिया गया था उसमें एक कीड़ा पाया गया था ।

(ग) 1967 वाले मामले में सेल्समैन-ड्राइवर को छः महीने की सख्त कैद और 1,000 रु० जुर्माना किया गया । उक्त फर्म के उस केमिस्ट को जिसको उसने इन चीजों को सही रखने का काम सौंपा हुआ था, दो वर्ष की कड़ी कैद और 5,000 रु० जुर्माना किया गया और इसी प्रकार फर्म के प्रबन्धक को भी दो वर्ष की कड़ी कैद और 5,000 रु० जुर्माना किया गया ।

लिम्का का 1973 में जो नमूना लिया गया था उसके मामले में फर्म के सैल्समैन को छः महीने की कड़ी कैद और 1,000 रु० जुर्माना किया गया ।

अन्य दोनों मामले न्यायालयों में चल रहे हैं ।

# सभा-पटल पर रखे गए पत्र

## Papers laid on the table

दिल्ली विक्रय कर (दूसरा संशोधन ) नियम, 1976 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1949 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं;

**राजस्व तथा बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :--

दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975 की धारा 72 के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 24 मार्च, 1976 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4/61/75-फिन (जी) (दो) में प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-10685/76]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944, के अन्तर्गत जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

सा० सां० नि० 437 जो दिनांक 27 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

सा० सां० नि० 438 जो दिनांक 27 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

सा० सां० नि० 233 (ङ) जो दिनांक 5 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-10686/76]

मुगल लाइन्स लिमिटेड तथा भारती नौवहन निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा ।

**नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०एम० त्रिवेदी)** : मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :--

(क) (एक) मुगल लाइन लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मुगल लाइन लिमिटेड बम्बई का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-10687/76]

(ख) (एक) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०--10688/76]

## आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में बिवरण

**संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : मैं पांचवी लोकसभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्नलिखित विवरण सभा-पटल पर रखता हूं :--

| | |
|---|---|
| (एक) विवरण संख्या 25 | सातवां सत्र, 1973 |
| (दो) विवरण संख्या 21 | आठवां सत्र, 1973 |
| (तीन) विवरण संख्या 18 | नौवां सत्र, 1973 |
| (चार) विवरण संख्या 22 | दसवां सत्र, 1974 |
| (पांच) विवरण संख्या 15 | ग्यारहवां सत्र, 1974 |
| (छः) विवरण संख्या 14 | बारहवां सत्र, 1974 |
| (सात) विवरण संख्या 18 | तेरहवां सत्र, 1975 |
| (आठ) विवरण संख्या 2 | पन्द्रहवां सत्र, 1976 |

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—10689/76]

## विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 तथा मंत्रालयों की विस्तृत मांगों के बारे में विवरण

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :--

"विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 को लागू करने के लिये जारी किया गया स्पष्टीकरण तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों की व्याख्या" संबंधी एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वर्ष 1976-77 के लिये निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०--10690/76]

(एक) वाणिज्य मंत्रालय
(दो) राजस्व और बैंककारी विभाग
(तीन) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय
(चार) विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय
(पांच) योजना मंत्रालय
(छः) आपूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय
(सात) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय
(आठ) इलेक्ट्रानिक्स विभाग

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०--10691/76]

**शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव):** मैं राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—10192/76]

## विधेयकों पर अनुमति

### Assent to Bills

**महासचिव** : मैं चालू सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किए गए तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 1976 ।

(2) भारतीय मानक संस्थान (प्रमाणन चिन्ह) संशोधन विधेयक, 1976 ।

(3) लौह अयस्क खान और मैंगनीज़ अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर विधेयक, 1976 ।

(4) बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक, 1976 ।

---

## लोक लेखा समिति

### Public Accounts Committee

### 210 वां तथा 206 वां प्रतिवेदन

**श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व)** : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1973-74 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (रक्षा सेवा) पैराग्राफ 2 पर नौसैनिक डोकयार्ड विस्तार योजना के सम्बन्ध में 210वां प्रतिवेदन ।

(2) भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1972-73 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (रेलवे) में सम्मिलित वित्तीय परिणामों तथा रेलवे की आय सम्बन्धी पैराग्राफों पर समिति के 148वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 206वां प्रतिवेदन ।

---

## प्राक्कलन समिति
## ESTIMATES COMMITTEE

### 91वां प्रतिवेदन

**श्री आर० के० सिन्हा (फैजाबाद)** : मैं निर्माण और आवास मंत्रालय—सम्पदा निदेशालय पर प्राक्कलन समिति के 74वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कायवाही के बारे में **91वां** प्रतिवेबन प्रस्तुत करता हूं।

---

## सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
## COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

**श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा)** : मैं हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 85वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

## अधीनस्थ विधान संबंधी समिति
## COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

### 19वां प्रतिवेदन

**श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण (कराड़)** : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 19वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

---

## चीन जनवादी गणराज्य के साथ हमारे संबंधों में हाल की घटनाओं के बारे में वक्तव्य
## STATEMENT RE : RECENT DEVELOPMENTS IN OUR RELATIONS WITH THE PEOPLES' REPUBLIC OF CHINA

**विदेश मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : सदन जानता है कि हमारी परम्परा और नीति यही है कि सभी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने का प्रयास किया जाय, खासतौर पर अपने पड़ोसियों के साथ। जैसा कि सदन को स्मरण होगा, पिछले सप्ताह विदेश मंत्रालय के बजट अनुमानों पर वहस का जवाब देते हुए मैंने कहा था कि हम चीन लोक गणराज्य के साथ इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। इसी नीति का अनुसरण करते हुए दोनों सरकारों के दिल्ली और पीकिंग स्थित प्रतिनिधियों ने दोनों देशों में राजनयिक प्रतिनिधित्व के स्तर को पुनः राजदूत के स्तर का बनाने के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया है।

श्री के० आर० नारायणन को, जो इस समय विदेश मंत्रालय में सचिव हैं, चीन लोक गणराज्य में अपना राजदूत नियुक्त करने का विचार है। वे भारतीय विदेश सेवा के एक योग्य और प्रतिष्ठित सदस्य हैं। चीन सरकार ने उनके नाम पर अपनी सहमति प्रकट कर दी है। श्री नारायणन करीब दो महीने में अपने इस नए पद का कार्यभार संभाल लेंगे।

जो विचार-विमर्श हुआ है उसके आधार पर हम यह समझते है कि पीकिंग में अपने राजनयिक प्रतिनिधित्व को ऊपर उठाने को दिशा में हमारी इस पहल पर चीन लोक गणराज्य की सरकार द्वारा भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।

---

# बजट (सामान्य) 1976-77—जारी
# BUDGET (GENERAL) 1976-77—*contd.*

## सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

**अध्यक्ष महोदय** : अब हम सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करेंगे और इसके बाद मत-विभाजन होगा।

**Dr. Rudra Pratap Singh (Bara Banki)** : I rise to support the Demands for Grants relating to Ministry of Information and Broadcasting. The performance of this Ministry during the year under review is really commendable and the Minister deserves to be congratulated for it. This Ministry has performed a commendable job in implementing the policies of the Government. Before proclamation of emergency, rightists and reactionary powers were engaged in polluting the atmosphere and their activities posed danger to the sovereignty, democracy and freedom. But all their nefarious activities were frustrated by the Congress Government under the leadership of Mrs. Gandhi. This Ministry had played an important role in communicating to the people the reasons for proclamation of emergency. The Prime Minister has declared 20-point programme for the smooth implementation of plans and programmes of the country. In making the programme a success, this Ministry had done commendable job.

The House is aware of the ways in which some of the newspapers have been functioning in this country. They have been trying to create an atmosphere of instability, disappointment and chaos which no Government can tolerate. Therefore, the imposition of censorship on the press is a very timely step for which the Minister deserves to be congratulated. The passing of the prevention of publication of objectionable matter is another welcome step taken by the Government.

Films are a powerful medium in our public life. In this House time and again concern has been expressed about the display of nudity, vulgarity, and violence in films. Fortunately during the year under review a new type of films were produced which gave a new direction to this industry. It is hoped that in the coming year still better films would be produced. Under National Film Festival Scheme certain good films have been given award. It will inspire producers to make good films.

For the production of good films there is great need for adequate finances. Unfortunately the present Film Finance Corporation do not have adequate finances. It should be strengthened by making available additional resources. It is also necessary that more cinema houses are opened in the country.

The Hon. Minister has given a direction to the Censor Board to scrutinise the vulgar pictures and news published in film magazines. For this, the Hon. Minister deserves congratulations.

Television plays an important role in communicating to the people the policies, plans and programmes of the Government. It is a matter of great satisfaction that television has performed commendable job. But there is a great need of opening T. V. centres in all the State capitals. Adequate finances should be provided for that purpose. It is also necessary that cheap television sets are produced so that more and more people can purchase them. The satellite television programme should be extended for further period.

The A.I.R. has also played a very important role in educating the people since the proclamation of emergency. But there are many areas in the country which do not have a radio station. This facility should be extended to these areas. High power radio stations should be set up in Union Territories of Northern India.

At present the A.I.R. is not giving adequate coverage to the 4-point programme of our youth leader Shri Sanjay Gandhi. More coverage should be given to that programme.

With these words, I support the Demands for Grants.

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बर्दवान) : सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कोई ऐसा कार्य नहीं किया, जिसे सराहनीय कहा जा सके । यदि हम समीक्षाधीन वर्ष पर ध्यानपूर्वक विचार करें तो हमें पता चलेगा कि यह मंत्रालय पक्षपातपूर्ण प्रचार करता रहा है तथा प्रतिपक्षी दलों पर कीचड़ उछलता रहा है । इस मंत्रालय ने सत्य को दबाने तथा झूठा प्रचार करने का कार्य किया है । यह मंत्रालय सतारूढ़ दल के प्रचार का साधन है तथा इसने सैंसरशिप का प्रयोग भेदभावपूर्ण ढंग से किया है । देश में प्रैस स्वतन्त्रता को समाप्त करने में इस मंत्रालय का बहुत बड़ा हाथ है । वस्तुतः प्रैस स्वतन्त्रता प्रजातन्त्र की आधारशीला तथा प्रजातांत्रिक गुणों का प्रतीक है ।

मुख्य न्यायाधीश पतजंलि शास्त्री ने 1952 में कहा था कि भाषण तथा प्रैस स्वतन्त्रता प्रजातांत्रिक संगठनों की आधारशिला है । इसके बिना कोई भी सरकार सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकती । वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा था कि भाषण स्वतन्त्रता तथा प्रैस स्वतन्त्रता को संविधान के अनुच्छेद 19(2) में दिए गए प्रतिबन्धों के अलावा किसी भी रूप में कम या समाप्त नहीं किया जा सकता । यदि मौलिक अधिकारों को निलम्बित न किया गया होता तो अब लगाए गए कुछ प्रतिबन्धों को असंवैधानिक करार दिया जा सकता था ।

एक प्रतिष्ठित प्रवक्ता का कहना है कि प्रैस स्वतन्त्रता मात्र एक नारा नहीं है बल्कि यह प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का एक अंग है । सरकार को प्रैस स्वतन्त्रता चाहे कितनी बुरी क्यों न लगे फिर भी इस स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करना गलत है । श्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि वह प्रैस पर अंकुश लगाने की बजाय उसे स्वतन्त्रता देना ज्यादा बेहतर समझते हैं चाहे इसमें कितना भी खतरा क्यों न उठाना पड़े ।

मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय यह घिसा पिटा जवाब देंगे कि समाचार पत्रों ने स्वतन्त्रता को लाइसेंस समझ लिया था । मैं इस सरकार को चुनौती देता हूं कि वह ऐसे कारण बताए जिससे सेंसरशिप करने से लाभ हुआ हो । मैं तो यह समझता हूं कि सेंसरशिप से जनता के गले को दबा दिया गया है । प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार समाचार पत्रों द्वारा की जाने वाली आलोचना को लम्बे समय से सहती आ रही है पर अब समाचार पत्र ऐसे समय में सरकार की आलोचना कर रहे हैं जब देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सेंसरशिप लगाकर सरकार ने आर्थिक कठिनाइयों के किस प्रकार छुटकार पाया है ? यदि सरकार जनता से भयभीत न होती तो वह ऐसे प्रतिबन्ध न लगाती ।

क्या न्यायालय की कार्यवाही के प्रकाशन को आर्थिक विकास के लिए रोका गया है? क्या आर्थिक विकास के लिए संसद् सदस्यों के भाषण प्रकाशित नहीं होते हैं ? जो कुछ सरकार के विरुद्ध कहा जाता उसे देश के हितों के विरुद्ध समझा जाता है । सरकार का कहना है कि उसने सेंसरशिप हटाकर मार्गनिर्देशी सिद्धान्त जारी किए हैं ।

सरकार द्वारा संसदीय कार्यवाहियां (प्रकाशन पर निषेध) निरसन विधेयक तथा आपेक्षणीय सामग्री प्रकाशन निरोधक विधेयक आदि को पारित कर प्रैस की स्वतन्त्रता का गला घोट दिया है। प्रैस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला होती है तथा प्रैस लोकतांत्रिक गुणों की प्रतीक। परन्तु हमारी सरकार लोकतंत्र के नाम पर पूर्ण निरकुशंतापूर्वक अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती चली आ रही है। सरकार सम्भवत: अब यह सोचने लग गई है कि जो कुछ वह करती है, उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिये क्योंकि उसमें किसी का दोष नहीं हो सकता। ऐसा सोचना जनता के लोकतांत्रिक अधिकार की हत्या करने के ही समान है।

सरकार द्वारा बार-बार इस आशय के वक्तव्य दिये जाते है कि प्रैस सेंसरशिप इसलिए लगाया गया है कि कुछ एकाधिकारवादियों द्वारा नियंत्रित बड़े समाचार पत्रों द्वारा अपनी स्वतन्त्रता का दुरुपयोग किया जा रहा था। यदि सरकार का यह तर्क वास्तविकता पर आधारित है तो फिर प्रश्न यह उठता है कि यदि बड़े एकाधिकारवादी समाचार पत्रों द्वारा ऐसा किया जा रहा था तो अन्य सभी प्रकाशनों को नियंत्रण में क्यों किया जा रहा है। तथ्य तो यह है कि ग्रंथालय पत्रिकाएं तथा छोटे समाचार पत्र भी सेंसर से मुक्त नहीं है। सेंसरशिप अधिकारियों की अनुमति के बिना नाटक भी नहीं खेले जा सकते। कैसी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे तो यह स्पष्ट है कि सरकार तथा सत्ताधारी दल देश की जनता से भयभीत हैं।

इस सदन में अनेक बार प्रैस के स्वामित्व विस्तार और प्रैस के बड़े व्यापार गृहों से अलग करने के बारे में कुछ न कुछ कहा जाता रहा है परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। हम यह जानना चाहते है कि प्रैस विस्तारण के बारे में सरकार क्या करने जा रही है? वर्तमान सेंसर से प्रतीत होता है कि सरकार की इसमें कोई रुचि नहीं है। ऐसा लगता है कि सत्ताधारी दल का एकाधिकारवादी प्रैस के साथ सम्बन्ध है। जहां तक छोटे समाचार पत्रों और विपक्षी समाचार पत्रों का सम्बन्ध है, यद्यपि सरकार के वक्तव्यों के अनुसार उन्हें पूर्व-सेंसर से मुक्त कर दिया गया है परन्तु हाल ही में जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के कारण वह सरकार के किसी भी कार्य की वैध आलोचना भी नहीं कर सकते हैं।

आज स्थिति यह है कि सत्ताधारी दल तथा उसके सहयोगी हमारे दल पर मिथ्या तथा नितान्त निराधार वक्तव्य दे रहे हैं जिन्हें निरन्तर प्रकाशित किया जा रहा है। परन्तु विडम्बना यह है कि इन मिथ्या वादों तथा मिथ्या आरोपों के उत्तर प्रकाशित करने की अनुमति उन्हें नहीं है। क्या इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि प्रैस अब पूर्णतया: सरकार तथा सेंसर अधिकारियों की दया पर ही आश्रित हैं। सरकार के इस रवैये से यह भी पूर्णतथा स्पष्ट होता है कि सरकार तथा सत्ताधारी दल देश की जनता की स्वतंत्रता से भी भयभीत हैं।

मैं सरकार का ध्यान 'स्टेट्समैन' समाचार के प्रबन्धकों के कर्मचारियों के प्रति अपनाये गये रवैये की ओर दिलाना चाहता हूं। 'स्टेटसमैन' में 28 कर्मचारियों को केवल इसलिए मुअत्तल कर दिया गया कि इन कर्मचारियों ने तथ्यों का पता लगाने वाली समिति के समक्ष साक्ष्य दिया था। इस सदन में मंत्री द्वारा आश्वासन दिये जाने के उपरान्त भी वहां के प्रबन्धक उनके विरुद्ध जांच करवाने में शीघ्रता कर रही है। अब स्थिति यह है कि इन कर्मचारियों को किसी भी समय नौकरी से अलग किया जा सकता है। मंत्री महोदय को इस मामले की स्वयं जांच करनी चाहिये।

समाचार पत्रों को दिये जाने वाले विज्ञापनों के बारे में भी स्थिति बहुत असंतोषजनक है । श्री पाटिल जो कि पत्रकारिता के बारे में काफी कुछ जानते हैं उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया है कि विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई अधिकांश धनराशि पर व्यय 'टाइम्स आफ इंडिया' के प्रकाशनों पर ही खर्च किया गया है । मैं यह मांग करता हूं विज्ञापन के खर्च का पूर्ण विवरण सभा-पटल पर रखा जाना चाहिये । यह बताया जाना चाहिये कि उसका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है तथा उस से समाचार पत्रों को क्या सुविधा मिल रही है ।

अखबारी कागज़ के सम्बन्ध में मुझे पता चला है कि बहुत से समाचार पत्रों की बिक्री में कमी होने या अखबारी कागज़ घटिया होने के कारण ये समाचार संस्थाए इस कागज का बहुत कम उपयोग कर रही हैं । मैं मंत्री महोदय से उस की स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं क्योंकि हमें इन तथ्यों की कोई सूचना नहीं मिली है ।

मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि यदि आपका यह विश्वास है कि सेंसर लगाने से ही देश की प्रगति हो सकती है तो यह आप का भ्रम है । आप लोगों के साधारण से अधिकार छीन कर उनका विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते ।

अत: मैं उस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूं ।

**Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon)**: Sir, I congratulate the Hon. Minister for the brilliant performance of his responsibilities and achievements ever since the proclamation of emergency. The first and foremost achievement has been the formation of the new News Agency—'Samachar' which will provide factual information to the people and not concocted news which were circulated by the previous news agencies. By circulating such concocted news these agencies had created an atmosphere of disappointment in the country wherein people do not see any ray of hope. This was something very harmful. Democarcy means discipline, the right of freedom of expression should not be misused.

The Minister of Information and Broadcasting has a greater role in implementing the 20-point programme through radio and television. Even the staff artists of these two mass media deserve congratulations.

Some foreign press representatives have been sending out distorted news and misguiding their countries. They were making false propaganda against our country. If any action has been taken against them it is perfectly justified. The exchange of news among the international news agencies is not balanced. So I urge the Hon. Minister that news representatives of the 'Samachar' should be appointed abroad.

The steps taken by the Hon. Minister for creating a new awakening in the country through the medium of television is really very praiseworthy. The staff artists also deserve congratulations for their dedicated work in this regard. These persons have popularised the 20-point economic programme.

At present the satellite programme is confined to 2400 villages. It should be extended to more and more villages so that more people may be benefited.

Attention has also been paid to the films. As a result of this the display of violence, hatred and nudity has been controlled and healthy films are being produced. A Film finance Corporation should be created to give financial help to such films.

More encouragement and incentives should be given to the small newspapers; and more advertisements should also be given to them.

There is a need to have high powered transmitters so that the news broadcasts from state capitals can be heard all over the country.

**Shri B. S. Bhaura (Bhatinda)**: After Shri Shukla has taken over charge of the Ministry of Information & Broadcasting, there has been a great improvement there. When he took over charge the reactionary forces were viciating the atmosphere of the country by misusing the freedom of speech and expression. The present Minister has tried to improve the situation by taking various measures.

**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**

**Mr. Deputy Speaker in the Chair**

The intention of imposing censorship is to prohibit harmful news to the country from being published. But today we find that even the news regarding implementation of the 20-point economic programme are being curbed. The censor officers do not care for it The Minister should look into this.

Some people are not caring for censor. For example the Illustrated Weekly of India publishes all sorts of objectionable articles which are against the interest of our country. I do not understand how such articles are allowed to be published by this paper.

The policy of the Government is that nothing should be published in the papers against the friendly countries. But we find that monopoly papers of Birla and Tata are publishing reports emanating from the western countries against USSR which is our friend. The Hon. Minister should look into it and let us know the action proposed to be taken in regard to this.

The Government has been talking about delinking for quite sometime. But they do not appear to be serious about it. The fact finding committee on delinking has said that pending the adoption and implementation of the requisite legal measures it would be desirable to take steps for checking the use of newspaper profits for non-newspaper purposes. I want to like to know steps taken by Government in this regard.

One of the items of the 20-point economic programme is workers' partic.pation in management. What the newspapers have done in this regard?

Government should render more help to small newspapers by giving them more advertisement and newsprint. There should be special reservation of newsprint for small and medium newspapers.

It is a matter of satisfaction that the prices of T.V. sets have been reduced. Now the prices of radios and transistors should also bere duced so that more and more people in the interior rural areas may hear government programmes.

The quality of newsprint should be improved. Government should pay attention to the working journalists although prices have gone up by 135 per cent increase in their pay has been only 50 per cent the formula of neutralisation has not been applied in their case. Government should see that the neutralisation formula is implemented.

The setting up of the news agency 'Samachar' is welcome. But we find that people, responsible for the mal-functioning of the previous news agencies are infiltrating in this newly formed news agency. Have the Government undertaken any screening of these people because they belong to RSS and other banned organisations? There should be representation of the empolyees of the newly formed 'Samachar' news agency in its management.

So far as the Song and Drama Division is concerned it is very strange that the man incharge of this organisation is being given extension despite the facts that there are very serious charges made against him. Secondly, the units of this devision should be set up in regional languages so that the people living in villages may be entertained.

The Punjabi programmes of Amritsar Television should be produced locally; because it would be cheaper. T.V. has been separated from All India Radio. But the services of the employees working in the T.V. centres should be secured. The construction work of Jullundhur station should be expedited.

The O.B. van meant for Punjab T.V. centre Amritsar has been shifted to West Bengal in order to counter T.V. programme of Pakistan. An O.B. van should be provided to Amritsar T.V. centre. There is only one station in Tirunevelli, Tamil Nadu which works only for four days in a week. Its working time should be extended'. It has been alleged that the Director of Childrens Society, Bombay is penalising its employees. This should be looked into.

Some junior Officers selected by the U.P.S.C. should be appointed.

**Shri C. D. Gautam (Balaghat)** : The present Minister deserves congratulations for his wonderful work in improving the functioning of this Ministry. The radio and television have been playing vital role in educating people, particularly, rural people in regard to the 20-point economic programme, family planning, prohibition of dowry, removal of untouchability and secularism. For this I congratulate the Hon. Minister and other officials of his Ministry.

**Shri Onkar Lal Berwa (Kota)** : The Ministry has a very vast organisation over which crores of rupees are spent. But unfortunately some of its units have not been functioning well. Means of communication have become mouthpiece of the Government.

As regards Television, 2400 sets have been set up in 6 States. But many of them are defective. Moreover, the timings of their programmes do not suit the farmers. For example, the Krishi Jagat programme is relayed from 5 P.M. to 7 P.M. when the farmers are in their fields. The timings of this programme should be suitably changed so that the farmers can see the programme.

There is a long standing demand for starting a Radio Station at Kotah. There is no death of power or electricity, but it is not known why Kotah is not being provided with a Radio Station. No attention has been paid to this matter.

There are very eminent musicians in Rajasthan, but they do not get an opportunity of broadcasting their programme from the Delhi-Station. Only recommendatory musicians are given chance. Musicians of Rajasthan should be given opportunity to broadcast from the Delhi Station.

Emergency powers are being misused in the country. Those newspapers which publish something against the Government are banned. For example the publication of Motherland has been stopped. The Ministry of Information and Broadcasting has become mouthpiece of the Government.

All India Radio is making a false propaganda. The Ministry of Information and Broadcasting is not serving the nation but simply rendering personal service.

As regards obscene literature, we find plenty of books displayed on book stalls which contain obscene literature. The display of such type of literature should be banned.

Our television programmes are not educative. Such programmes should be televised which can give good lesson to children. The Ministry should see that educative programmes are shown in the television.

Cameramen in Television Department still work on daily wages or contract. They should be made permanent.

Lastly, I request the Hon. Minister to lift the ban imposed on publication of 'Motherland'.

**Shri Hari Singh (Khurja)** : I rise to support the Demands for Grants of this Ministry. The Ministry deserve congratulations because they have presented a correct picture of the present tendencies of the re-construction in the country. The new enactments introduced by this Ministry were very much essential. The small newspaper correspondents at the district level were indulged in all sorts of blackmailing and mal-practices and character assassination of those who do not favour them. Therefore, the steps taken by the Ministry to check this type of nonsense were very much essential.

Certain newspapers were working as stooges of foreign power and were presenting distorted picture of India. Thus the steps taken by the Ministry to curb such elements are commendable. Liberty cannot be allowed to be converted into licence. In the name of the liberty of press certain big newspapers in collusion with some foreign elements have done much harm to this country. I suggest that censorship should be made more stringent, because they have misused the freedom of press.

Certain programmes started by Television and Radio, such as Yuva Vani or Farmers' programme, have created a new awakening in the minds of the people. Rural people are taking more and more interest in these programmes.

As regards the item of publicity, pictures of nude ladies are often displayed in advertisements and women are made a medium of publicity at every place. This should be banned.

It is heartening to note that the Report of this Ministry has a mention in it that the tendency of displaying such scenes as are obscene or arouse sex feeling is being curbed. More effective steps should be taken in this direction. Restrictions should also be imposed on such films as display the scenes of westernisation. It is high time that our pictures should depict our culture.

With these words I congratulate the Ministry and support the Demands for Grants of this Ministry.

**श्री सी०टी० दण्डपाणि (धारापुरम)** : आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद देश में प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों को नया अर्थ दिया गया है। इसी आधार पर प्रतिपक्ष दलों के कई दैनिक तथा साप्ताहिक पत्र बन्द कर दिए गए हैं। यहां तक कि ऐतिहासिक तथ्य छापने की अनुमति भी समाचार पत्रों को नहीं है। विश्व संस्कृति का उत्थान करने वाली कविताओं और गीतों का प्रकाशन भी बन्द कर दिया गया है। केवल वही खबरें अखबारों में छपती हैं जो सरकार का समर्थन करती हों। सभी समाचार एजेंसियों को एक संगठन के अन्तर्गत लाया गया है। इससे पूर्व चार समाचार एजेंसियां थीं। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या 'समाचार' एजेंसी बनाने के बाद समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ी है अथवा कम हुई है। मेरे विचार से बिक्री में कमी आई है क्योंकि इनमें विदेशों से आने वाले समाचार प्रकाशित नहीं किए जाते। सभी अखबारों में एक से समाचार होते हैं। इसलिए जनता की रुचि कम हो गई है। दूरदर्शन तथा आकाशवाणी में केवल वही कार्यक्रम पेश किए जाते हैं जो सरकार का समर्थन करते हों और प्रतिपक्षी दलों पर कीचड़ उछालते हों।

मंत्रालय ने दक्षिण क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कार्यालय को दिल्ली स्थित टेलीविजन (इण्डिया) को सौंप कर बड़ा गलत निर्णय लिया है। मद्रास स्थित यह कार्यालय क्षेत्र के 23 केन्द्रों की देख-रेख करता है। सरकार ने दूरदर्शन और आकाशवाणी को अलग-अलग करने का निर्णय किया है। मंत्रालय को दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास स्थित चार क्षेत्रीय कार्यालयों में से किसी एक को बन्द करने का प्रस्ताव भेजा गया है। लगता है मंत्रालय ने मद्रास स्थित कार्यालय को बन्द कर उसके सभी कर्मचारियों को दिल्ली स्थानान्तिरत करने का निर्णय किया है। दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय को बन्द करने और सभी कर्मचारियों को दिल्ली भेजने की बजाय उनको क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कार्यालय में ही खपाया जा सकता था। ऐसी स्थिति में कार्यालय को बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

सरकार ने आगामी वर्षों में 9 दूरदर्शन केन्द्र खोलने की योजना बनाई है जिसमें से 7 दिल्ली के आसपास होंगे और 2 हैदराबाद तथा अन्य किस जगह होंगे। कोयम्बटूर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक स्थल है। इस स्थान पर भी एक दूरदर्शन केन्द्र खोला जाना चाहिए।

तमिलनाडु राज्य के मदुराई क्षेत्र में प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव तथा सम्भाव्यता प्रतिवेदन मंत्रालय को भेजा जा चुका है। मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इसकी स्वीकृति दे दें।

मंत्रालय के अधीन नई परियोजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी। लेकिन बाद में संशोधित अनुमानों के फलस्वरूप यह राशि घटाकर 5.5 करोड़ कर दी गई। विचित्र बात तो यह है कि दक्षिण क्षेत्र के लिए कुछ भी राशि नहीं रखी गई। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

आकाशवाणी ने द्रमुक के बारे में भद्दा प्रचार करना शुरू कर दिया है और यह आरोप लगाया जा रहा है कि यह दल पृथक्कतावादी तथा राष्ट्र विरोधी है। द्रमुक को इन आरोपों का खंडन करने का अवसर तक नहीं दिया गया। द्रमुक ने एक विवरण जारी किया था कि यह दल राष्ट्रीय एकता तथा सार्वभौमिकता के पक्ष में है। लेकिन इस विवरण का सेंसर कर दिया गया।

श्री शुक्ल ने कहा है कि प्रैस सेंसरशिप तो आपातस्थिति के समाप्त होने के साथ-साथ समाप्त हो जाएगी । इसलिए सरकार प्रैस का पुनर्गठन करना चाहती है ताकि भविष्य में इन दोनों के बीच विवाद न हो । सम्भवतः 'इन दोनों' से उनका इशारा सरकार और प्रैस की तरफ है । क्या सरकार चाहती है कि प्रैस सरकार की त्रुटियों का भी अंधाधुन्ध समर्थन करती रहे? यदि सरकार की ऐसी मंशा है तो देश में प्रजातंत्र टिक नहीं सकता ।

दूरदर्शन तथा आकाशवाणी चरित्र हनन के कार्यों में लगे हुए है । द्रमुक नेताओं को चोर-डाकू कहा जाता है । यह प्रसारण केन्द्रों का दुरुपयोग नहीं तो और क्या है ? वार्ता तथा परिचर्चा के नाम पर प्रतिपक्षी दलों पर कीचड़ उछाला जा रहा है ।

**प्रो० नारायण चन्द पाराशरः (हमीरपुर)** : मैं सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का समर्थन करता हूं तथा 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए मंत्री महोदय तथा उनके अधिकारियों को बधाई देता हूं ।

मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन से पता चलता है कि इस कार्यक्रम के संबंध में 34 वृत्तचित्र तैयार किए गए हैं । मेरा अनुरोध है कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी अधिक से अधिक वृत्तचित्र बनाए जाने चाहिएं ताकि गांव के लोग इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें ।

इस मंत्रालय की प्रगति इसी बात से स्पष्ट है कि वर्ष 1974 के अंत तक लोगों के पास 1 करोड़ 50 लाख रेडियो लाइसेंस तथा 2.76 लाख टेलीविजन लाइसेंस थे । लेकिन दुर्भाग्यवश इस प्रतिवेदन में वर्ष 1974 के आंकड़े दिए गए हैं । अच्छा होगा यदि वर्ष 1975 के आंकड़े भी उपलब्ध कराए जाएं ।

रेडियो से विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं । प्रतिवेदन से पता चलता है कि 24 केन्द्र सप्ताह में तीन बार इस शिक्षा के बारे में कार्यक्रम पेश करते हैं । पत्राचार पाठ्यक्रमों के प्रसारण के बारे में भी इन केन्द्रों में व्यवस्था होनी चाहिए । मद्रास, दिल्ली तथा जालन्धर रेडियो स्टेशन पर यह व्यवस्था पहले से विद्यमान है ।

आपातस्थिति की घोषणा के बाद जनता को यह पता चल गया है कि संचार केन्द्र राष्ट्र की प्रगति के कितने परिचायक हैं । वर्ष 1975 के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषण को उपग्रह दूरदर्शन के माध्यम से 2400 गांवों में प्रसारित किया गया । ऐसे कार्यक्रम रोज दिखाए जाने चाहिएं । आकाशवाणी के शिमला केन्द्र ने सराहनीय कार्य किया है । इसके लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं । हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने शिमला में दूरदर्शन केन्द्र खोलने की मांग की है । मैं इस मांग का समर्थन करता हूं ।

धर्मशाला स्थित क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय 69 में से 23 ब्लाकों की पूर्ति करता है । हिमाचल राज्य में विद्यमान 6 कार्यालयों में से धर्मशाला स्थित कार्यालय एक तिहाई भाग की पूर्ति करता है । इसलिए मंत्रालय धर्मशाला कार्यालय को विभाजित कर एक और कार्यालय की स्थापना करे ताकि इस समस्या का अधिक संतुलित ढंग से हल किया जा सके ।

जहां तक 20 सूत्री कार्यक्रम का संबंध है, गांव के लोग अब इस कार्यक्रम के बारे में जानने लगे हैं । लेकिन साथ ही इस मंत्रालय को चाहिए कि वह गांवों के लोगों को सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं से अवगत कराना चाहिए ।

माननीय सदस्य श्री भौरा का कहना है कि किसी भी मामले में जन प्रतिनिधि के दृष्टिकोण की अपेक्षा उप आयुक्त के दृष्टिकोण को मान. जाएगा चाहे जन प्रतिनिधि की बात सही क्यों न हो। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि राष्ट्रीय, राज्य पंचायत अथवा प्रखंड स्तर पर जन प्रतिनिधियों को क्षेत्र प्रचार में लगाना चाहिए। यह कहना सही है कि प्रसारण केन्द्रों में जन प्रतिनिधि की अपेक्षा सरकारी अधिकारियों या मंत्रियों के वक्तव्य सुनने को मिलते हैं। आकाशवाणी केन्द्रों तथा अन्य क्षेत्र प्रचार कार्यालयों को चाहिए कि वे जन प्रतिनिधियों के दृष्टिकोणों को भी प्रसारित करें। जनता की आवाज से सरकार की नीतियों को बल मिलेगा और सरकार की आवाज लोगों को साहस एवं आशा प्रदान करेगी। दूरदर्शन एवं उपग्रह दूरदर्शन कार्यक्रमों में प्रसारित प्रधानमंत्री के भाषणों से लोगों में नई आशा का उदय हुआ है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रैस सेंसरशिप से लाभ हुआ है। माननीय सदस्य श्री हरीसिंह ने सच ही कहा है कि प्रैस स्वार्थपूर्ण, निराधार और झूठा प्रचार कर रही थीं और लोगों को वास्तविक खबरें नहीं मिल पाती थीं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हास परिहास की बातों पर सेंसर न किया जाये। लेकिन फिर भी हमारे विचार सन्तुलित होने चाहिएं।

**श्री के० मायालेवर (डिंडीगल)**: देश में प्रसारण व्यवस्था जनसंचार का अत्यधिक शक्तिशाली माध्यम है। इससे जनता को लाभकारी जानकारी मिलती है। हम 20 सूत्री कार्यक्रम की ठोस क्रियान्विति का प्रचार कर रहे हैं। जनता ने 20 सूत्री कार्यक्रम की एकमत से सराहना की है। लेकिन अधिकतर लोग इसकी उपादेयता को नहीं समझ पाये हैं। रेडियो और टेलीवीजन का मूल्य अधिक होने के कारण ग्रामीण लोग खरीद नहीं पाते हैं। अतः सरकार इनका मूल्य कम करें।

पंचायती कार्यालयों और ब्लाक खंडों में लगे रेडियो ठीक काम नहीं कर रहे हैं। सरकार इस बात की ओर ध्यान दे कि पंचायतों आदि को दिए गए रेडियो ठीक प्रकार काम करें।

भारत की जनसंख्या निरन्तर बढ़ रही है और इस स्थिति को देखते हुए रेडियो और टेलीविजनों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए जिससे उनका उपयोग सरकारी नीतियों को लागू करने में किया जा सके।

तमिलनाडु सहित भारत में दो प्रकार के समाचार पत्र हैं। एक वे जिन्होंने 20-सूत्री कार्यक्रम और आपात स्थिति एवं तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन का समर्थन किया है। दूसरे इन बातों की आलोचना कर रहे हैं। तमिलनाडु में ये समाचार पत्र देश के प्रति वफादार नहीं हैं और अब भी चीन, पाकिस्तान और अमरीका का पक्ष करते हैं। सरकार यह सुनिश्चित करे कि तमिलनाडु में नीतियों और कार्यक्रमों को समाचार पत्रों के माध्यम से समुचित ढंग से क्रियान्वित किया जाये।

पता चला है कि अभी हमारे शत्रु देश में गुप्त संचार उपकरणों का उपयोग कर हमारे राष्ट्र का अहित कर रहे हैं। ऐसे लोग देशद्रोही हैं। ऐसे कुछ लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। राष्ट्र के हित को दृष्टि में रखते हुए मंत्री महोदय इस मामले की जांच करें।

अन्त में मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

**Shri Rajdeo Singh (Jaunpur)** : If some improvements are made in the functioning of All India Radio, it would benefit the nation and the people though Hindi has been adopted as an official language, yet there is still predominance of English in the All India Radio and every little attention is being paid to Hindi.

It is well-known that rats consume a large quantity of food-grains and if we can save that much of foodgrains we would not require to import them. But the All India Radio is not making any publicity for tackling this menace. Government should declare that one who kills rats shall be paid one rupee or eight annas per rat. This will obviate the necessity of imparting foodgrains.

Film songs are broadcast very frequently which has created adverse effect on the minds of young people. National songs, which are helpful in the formation of national character, should be broadcast instead.

Hindi is being neglected even in Press Information Bureau, which is evident from the figures of press releases issued in Hindi as compared to those issued in English.

The new generation in our country has very scanty information about our liberation movement and so, the A.I.R. should broadcast in detail the history of our independence movement in an authoritative manner.

Our transmitters should be made more powerful.

The Film Censor Board should include those people whose political views are very clear and who have a healthy social thinking. Such pictures as create criminal tendencies should not be released.

It is unfortunate that pictures of half naked Indian women are displayed at railway stations or Airports or at public places only to attract tourists.

I understand that the staff for the new T.V. station proposed to be started at Lucknow has been selected at Delhi. It would be better of persons belonging to the same area are selected because they can better depict the local conditions. The height of the tower of the Lucknow T.V. station should be raised still higher so that it could serve the people of Varanasi and Allahabad.

It is good that different news agencies have been merged into one single news agency. Most of the big newspapers are the monopolies of Capitalists and we have to be very cautions about them. On the other hand, small newspapers are being seen by ordinary people and they should be encouraged and given advertisements. Some definite criteria should also be laid down for their registration.

I, therefore, support the demands of this Ministry.

**Shri Paripoornand Painuli (Tehri-Garhwal)** : I congratulate the Minister for the bold and salutary steps teken by him to curb the misuse of the Press. There are certain anti-social and anti-national elements in the country which want to create chaos and anarchy in the country. These elements are misusing the freedom of the Press for their own gains. Therefore it has become imperative for the government to put a restriction on the freedom of the Press so that this freedom might not degenerate into a licence for character assassination of our leaders and for lowering the morale of the people of this country. In fact, these steps should have been taken much earlier.

During recent months Government have enacted certain measures which shall go a long way in giving a creative direction to the Press. A code of conduct has been evolved in consultation with the veteran editors etc. which will keep the freedom of the Press, within limits. I hope these measures will also enable the Press to come out from the grip of monopoly houses and to stand on their own footing.

I, therefore, support the timely measures taken by the Government against some foreign newspapers which are engaged in *mala fide* propaganda against our country specially after the declaration of the Emergency.

Government have taken a bold and timely step by amalgamating the various news agencies in our country into one 'Samachar' agency. I hope 'Samachar' will grow into a big and powerful national news agency catering to thedemandsof big and small newspapers not only inside the country but also in other developing countries of Asia and Africa.

I come from a border area. I would request the Government to instal some high power transmitters in this region for the benefit of the people living there.

The case of revision of the pay-scales of All India Radio staff artistes are under consideration of the Government. This matter should be looked into sympathetically.

Small newspapers needed help and guidance from the Government. This should also be looked into.

**श्री पी०जी० मावलंकर** (अहमदाबाद) : आधुनिक समय में सूचना और प्रसारण मंत्रालय सरकार का अत्यधिक महत्वपूर्ण विभाग है। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र और विचार स्वातंत्र्य में विश्वास रखने के नाते लोकतंत्र के नाम पर स्थिति के इतना अधिक बिगड़ने का दुःख हुआ है। मैं यह समझता हूं कि यदि सरकार या देश यह कहे कि हम अस्थाई तौर पर लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते और हम बहुत तेजी से आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहे हैं। और इसीलिए लोकतंत्र में, कुछ समय के लिए विचार स्वातंत्र्य को स्थगित कर दिया जाये। लेकिन मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि जनता एक ही प्रकार के लोकतंत्र विचारधारा और नेता को माने लेकिन तानाशाही में भी यह मंत्रालय सरकार के पक्ष में प्रचार करता है और जनता की विचार धारा बदल कर जनमत खरीदता है।

भारत एक प्राचीन देश है और सहन करने और विचार करने की इसकी अपनी पुरानी परम्परा है। क्या सरकार यह आशा करती है कि समझ और सह-इच्छा या मतवैभिन्य के माध्यम से उसके विचारों से सहमत होकर ही प्राप्त करेगी या वह यह चाहती है कि लोग असहमति प्रकट करें। इस मंत्रालय को लाखों गरीब लोगों की गरीबी दूर करने की दिशा में प्रचार करना चाहिए लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इसके लिए विभिन्न विचारधारा की आवश्यकता है। एक प्रोफेसर और पत्रकार होने तथा गुजराती हिन्दी एवं अंग्रेजी की अनेक पत्रिकाओं में अपने लेख देने के नाते मैं यह कहना चाहता हूं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य है और आदेश देने मात्र से कोई रचनात्मक कार्य नहीं हो सकता। इस स्थिति में कोई गति-विधि नहीं होती है। क्या विभिन्न विचारधारा के व्यक्तियों को एक ही प्रकार के राजतंत्र के प्रति सहमत कराकर उन्हें यह कह सकते हैं कि अपनी मातृभूमि को प्यार करो और देश के करोड़ों लोगों के लिए काम करो ?

यदि लोग जनता के लाभ के संबंध में विभिन्न विचार रखते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और उनके विचारों को आकाशवाणी से प्रसारित किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय यह भले ही कहें कि प्रैस पर लगा यह प्रतिबंध और सेंसर अस्थायी है और आपातस्थिति समाप्त होने पर यह भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपातस्थिति कब तक चलेगी। यदि आप आपातस्थिति को सामान्य स्थिति के रूप में लेंगे तो इससे हुए लाभ भी नष्ट हो जायेंगे। मैं नहीं चाहता कि भारतवासी दास बनें और सत्ता से भयभीत हों।

यदि सत्य बोलना पाप है, तो मुझे वर्तमान सरकार तथा मंत्रियों के प्रति खेद है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इस प्रतिवेदन का व्यापक ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए अपनी बात कहूं। परन्तु हां, मैं सदन का ध्यान मोटी-मोटी बातों की ओर अवश्य दिलाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपात स्थिति के बाद से समाचारपत्रों, टिप्पणियों तथा उनमें व्यक्त किये जा रहे विचारों के स्तर में गिरावट आई है। आज आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केवल मात्र दलीय प्रचार का साधन बन कर रह गया है। उदाहरणार्थ उन "प्रादेशिक सामाचारों" को दिये जाने वाले 5 मिनट के समय में से 4 मिनट का ही समय तो कांग्रेस दल को ही दिया जाता है। इस प्रकार का रुख अपनाने से भला भारतवासियों की समस्याओं का कहां तक समाधान हो पायेगा ? देश की समस्याओं का समाधान तभी हो पायेगा जब हम सभी दलों के सहयोग से निष्ठा तथा श्रद्धा के साथ राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगेंगे। आज स्थिति यह है कि समाचारों को तोड़-मरोड़ कर तथा बड़े ही नीरस ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रेडियो तथा टेलीवीजन को केवल कांग्रेस दल की संपत्ति ही बना दिया गया है, क्या ऐसा करना लोकतंत्र के हित में है? क्या इससे देश का वास्तविक विकास हो पायेगा? अब समय आ गया है जबकि हमें इन सब प्रश्नों पर पूर्ण गंभीरता से विचार करना होगा ?

मेरे कांग्रेस दल के मित्र बार-बार यही कहते हैं कि मनमानी करना अच्छा नहीं है, इस पर अंकुश होना चाहिए। मैं उनकी यह बात मानने को तैयार हूं परन्तु मनमानी को समाप्त करने की आड़ में भला स्वतंत्रता को पूर्णतया समाप्त करने का क्या औचित्य है ? अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि स्वतंत्रता, प्रगति तथा स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, प्रचार के साधनों का उपयोग सत्ताधारी दल के प्रचार के लिये नहीं किया जाना चाहिए, इस निवेदन के साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

**Shri B. R. Shukla** (Bahraich) : The chief attack of the opposition against the Ministry of Information and Broadcasting has been that nothing about opposition is appearing in the Press or being said by A.I.R. It has also been said that there is strict censorship but it is a fact that despite pre-censorship still much objectionable material is being published. The only thing is that Editors use such words for expressing their views that they escape the clutches of censoring authorities. It must be looked into.

It has been also alleged by the opposition that even the judgements of the High Courts were not allowed to publish. If the facts mentioned in these judgements create an atmosphere of intolerance and violence, there is every reason for not allowing publication of such judgement.

I do agree that the Government should help the medium and small newspapers. But that does not mean that everybody should be allowed to run a newspaper and publish the news as they desire. Most of the small newspapers flourish on black mailing and scandal mongering. How could the Government allow all this to happen.

It is further suggested that the Government should constitute a corporation of newspapers which should check the freedom of expression. This corporation should be managed by veteran journalists and all the newspapers of the country should be brought under its control.

**[श्री पी० पारथासारथी पीठासीन हुए]**
**[Shri P. Parthasarathy in the Chair]**

The Radio and T.V. are very important media for propagating the 20-point programme throughout the country. It is suggested that the Government should make full use of these media so that public of the country at large, could be involved in this programme. Lastly I may submit that the time allocated for 'Sansad Samiksha' in A.I.R. is short and it should be extended.

**श्री अर्जुन सेठी** (भद्रक): यह बहुत संतोष की बात है कि जिस समाचार एजेंसी की मांग देश में लंबे अरसे से की जा रही थी, उसने अब देश की सेवा आरम्भ कर दी है। हम सबको मालूम ही है कि बड़े समाचारपत्रों द्वारा, नियंत्रित समाचार एजेंसियों द्वारा किस प्रकार कार्य किया जा रहा था। आपातस्थिति ने देश की सर्वतोमुखी प्रगति के द्वार खोल दिये हैं। 20-सूत्री कार्यक्रम वास्तव में जनता का ही कार्यक्रम है तथा उसकी आशातीत सफलता के बाद अब विपक्ष के पास सरकार की अकारण निन्दा करने के सिवाय कुछ भी नहीं रह गया है। अब विपक्षी दलों द्वारा प्रधान मंत्री पर तानाशाह होने का आरोप लगाया जा रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है क्योंकि वह काफी समय से ही ऐसा कहते चले आ रहे हैं।

मैं पहले भी इस ओर संकेत कर चुका हूं। देश में एक इस प्रकार की समाचार एजेंसी बनाई जानी चाहिये जिसका जाल ग्रामीण क्षेत्र में फैला हुआ हो। 20-सूत्रीय कार्यक्रम की क्रियान्विति के संदर्भ में तो इसकी आवश्यकता और भी बढ़ गई है। इस प्रकार की एजेंसी का कर्त्तव्य राष्ट्रहित को दृष्टिगत रखते हुए निष्पक्ष समाचार देना होना चाहिए।

आपातस्थिति की घोषणा के बाद मंत्रालय द्वारा काफी महत्वपूर्ण कार्य किया गया है, जो सराहनीय है। मैं इस संदर्भ में सदन का ध्यान लोक लेखा समिति की टिप्पणियों की ओर दिलाना चाहता हूं जिनमें बाल फिल्म समिति के कार्यकरण पर टिप्पणी की गई है। इस समिति के कार्य करण में सुधार हेतु जो सिफारिशें की गई हैं उन्हें क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

योजना नामक पुस्तिका का प्रकाशन विशेषकर ग्रामीण लोगों को शिक्षित करने के लिए किया जा रहा है, मेरा सुझाव है कि उसका एक संस्करण उड़िया भाषा में उड़ीसा से भी निकाला जाना चाहिए।

अंतिम बात मैं आकाशवाणी के कटक केन्द्र के बारे में कहना चाहता हूं। जब से यह केन्द्र बना है तब से ही यह किराये पर लिये गये स्थान पर ही कार्य कर रहा है। इसके लिये नया भवन बनाया जाना चाहिये।

**श्री टी० लक्ष्मीकान्तम्मा** (खम्मम): आज हमारे देश में सेंसर की शक्ति का उपयोग अंतिम सीमा तक किया जा रहा है। ऐसे अनेक मामलों की मुझे जानकारी है जहां कि महात्मा गांधी के उद्धरण तथा उनके लिंग के प्रकाश पर भी रोक लगा दी गई है। आज हमारे देश में वास्तविक स्थिति यह है कि सदस्यगण सोचते कुछ और हैं, करना कुछ और चाहते हैं परन्तु वह कहते कुछ और हैं। वह सच्चाई को कहने से डरते हैं।

हमारे देश के प्रसिद्ध नेता स्वर्गीय महात्मा गांधी तथा पं० जवाहरलाल नेहरू दोनों ही समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता के कट्टर समर्थक थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि समाचारपत्रों की स्वतंत्रता एक ऐसा अधिकार है जिसे कोई भी देश खोना नहीं चाहेगा, इसी प्रकार 1950 में अखिल भारतीय समाचार-पत्र संपादक सम्मेलन में श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यदि सरकार प्रेस की स्वतंत्रता को पसन्द नहीं करती या उसमें हस्तक्षेप करती है, तो उसे स्वतंत्रता में हस्तक्षेप माना जाना चाहिये। श्री नेहरू ने आगे कहा था कि मैं नियंत्रित या विनियमित समाचार रखने की अपेक्षा, समाचारपत्रों की पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में हूं यद्यपि उससे कितना भी खतरा क्यों न हो। एक ओर तो श्री नेहरू के ये विचार थे, अब दूसरी ओर उनकी पुत्री के विचार तथा कार्यकरण को आप देख ही रहे हैं। क्या आज हमारे समाचारपत्रों की यह स्वतंत्रता है कि वह निर्भयता तथा निर्भीकतापूर्वक तथ्यों का प्रकाशन कर सके? आखिर, इस प्रकार की स्थिति कब तक चलेगी समाचारपत्रों पर अंकुश लगाने से अक्सर अफवाहें फैलती हैं। गलत अफवाहें सही समाचारपत्रों की तुलना में अधिक तेजी से फैलती हैं। अतः मेरा एक बार फिर यही निवेदन है कि हमें समाचार पत्रों से सभी प्रकार का अंकुश हटा लेना चाहिए।

प्रसारण मंत्रालय के संगीत और नाटक के डिवीजन ने अच्छा काम किया है। उसने केन-उपनिषद् का संगीत नाटक बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। अतः इस प्रकार के कार्यक्रम की पुनरावृत्ति की जानी चाहिए।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में सरकार ने जो दो पत्रिकायें निकाली हैं, उन्हें कम से कम महिला सदस्यों को बांटने का प्रबंध तो किया ही जाना चाहिये।

**श्री गिरिधर गोमांगो** (कोरापुट) : सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों का समर्थन करते हुए मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता का कट्टर समर्थक हूं। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को भावाभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता हो परन्तु यह खेद की बात है कि हमारे यहां स्वतन्त्रता के नाम पर सब प्रकार का झूठ फैलाया जाता रहा तथा भोली-भाली जनता को गुमराह किया जाता रहा। समाचार पत्रों के माध्यम से सचाई का प्रचार ही किया जाना चाहिए। आज हमारे देश को राजनीतिक प्रचार की अपेक्षा आर्थिक नीतियों के प्रचार की आवश्यकता अधिक है, अतः मैं इस प्रकार के प्रचार का समर्थक हूं।

बड़े-बड़े शहरों में हजारों की संख्या में मासिक, साप्ताहिक तथा दैनिक पत्र-पत्रिकाएं छपती हैं। लेकिन गावों में रहने वाले लोगों के लिए कोई ऐसा प्रचार-साधन नहीं है जब तक गांवों के लोगों तक सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं पहुंचती तब तक वे अनपढ़ लोग इन बातों को किस प्रकार समझ पाऐंगे?

**सभापति महोदय** : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा शुरू करेंगे।

**श्री धामनकर** (भिवंडी) : मुझे बम्बई की उपनगरीय रेल में हुई आग-दुर्घटना के बारे में कुछ कहने की अनुमति दी जाए।

**सभापति महोदय** : आप इस विषय पर संसदीय कार्य मंत्री से बात कीजिए।

---

**गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति**

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

**62वां प्रतिवेदन**

**श्री एस० पी० भट्टाचार्य** (उलुनेटिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 62वें प्रतिवेदन से, जो 14 अप्रैल, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 62वें प्रतिवेदन से, जो 14 अप्रैल, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

THE MOTION WAS ADOPTED

---

**बहुराष्ट्रीय निगमों के बारे में संकल्प**—जारी

RESOLUTION *RE* : MULTI-NATIONAL CORPORATIONS—*contd.*

**श्री एच० एन० मुकर्जी** (कलकत्ता—उत्तर पूर्व) : संकल्प में जिस खतरे की ओर संकेत किया गया है उसे विकसित देशों ने भी माना है । कनाडा के विदेश विभाग द्वारा प्रकाशित 'इन्टरनेशनल पर्सपेक्टिव' में एक कनाडा लेखक ने लिखा है कि हम कब तक दूसरे लोगों का हस्तक्षेप, साझीदारी और स्वामित्व सहन कर सकते हैं। ये तत्व हमारे देश में इतने अधिक मात्रा में है कि इन पर रोक लगनी चाहिए।

2 मार्च को प्रधान मत्री ने कलकत्ता में भाषण देते हुए कहा कि कुछ विदेशी शक्तियां भारत पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का कार्य क्षेत्र बढ़ाए जाने पर जोर डाल रही हैं। उन्होंने उन विदेशी शक्तियों के विरुद्ध चेतावनी देते हुए कहा था कि वे देश की प्रतिष्ठा और देश की अर्थ-व्यवस्था को कमजोर करना चाहते हैं । उन्होंने यह भी कहा कि मैं अपने पूरे अधिकार के साथ कहती हूं कि सरकार इतनी कमजोर नहीं हैं और वह उनका मुकाबला उसी शक्ति से करेगी जिससे ये शक्तियां हमें छिन्न-भिन्न करने के लिए कर रही हैं । वर्ष 1973 में अल्जीयर्स में आयोजित गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में भी प्रधान मंत्री ने बहुराष्ट्रीय निगमों की घृणित भूमिका की ओर ध्यान दिलाया था।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में विदेश मंत्री श्री चव्हाण ने 2 सितम्बर, 1975 को कहा कि बहुराष्ट्रीय फर्मों के माध्यम से संसाधनों तथा प्रौद्योगिकी से पूंजीनिवेश निकालना विकासशील देशों के हितों के लिए असंगत या हानिकारक है । इन फर्मों को कठोर विनियमों के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए।

हमें पता चला है कि वर्ष 1951 से 1974 तक की अवधि के दौरान भारत सरकार ने 4810 विदेशी सहयोग किए थे। 31 मार्च, 1974 को भारत में विदेशी कम्पनियों की 540 शाखाएं काम कर रही थीं जिसमें से 319 शाखाएं ब्रिटेन की तथा 88 शाखाएं अमरीका की थी । 31 मार्च, 1974 तक विदेशी कम्पनियों की भारत में 188 भारतीय उपशाखाएं थीं। काफी संख्या में विदेशी सहयोग

प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है । वर्ष 1972-73 के अंत तक भारत में 740 विदेशी कम्पनियां थीं जिसमें से 538 शाखाओं के रूप में थीं तथा 202 बहुराष्ट्रीय निगमों की उपशाखाओं के रूप में। बहुराष्ट्रीय निगमों की कुल आस्तियां 2921.8 करोड़ रुपये की थी । ये निगमें अपने लाभ के लिए देश-विदेश में अपना काम बना ही लेती हैं । ये राष्ट्रीय नीतियों को असफल बनाने का काम करते हैं। वे स्वदेशी लोगों को अच्छी तरह प्रशिक्षण नहीं देते । ये बहुराष्ट्रीय निगम मनमाना लाभ कमाते हैं तथा उस लाभ के बहुत कम भाग का पुनः पूंजी निवेश करते हैं।

ये निगम प्रायः उत्पादन के युक्तिकरण के बारे में प्रायः तर्क देते हैं । लेकिन उनका यह कहना कर अपवंचन के सिवा कुछ नहीं । समितियों के समक्ष आए मामलों से भी यह बात पुष्ट हो जाती है। इन कम्पनियों ने कब्जा करके और विस्तार करके स्थानीय उद्यमकर्ताओं को निरुत्साहित किया है और विदेशों में स्थित मूल कम्पनियों के हितों ने वास्तविक राष्ट्रीय भावना को अवरुद्ध कर दिया है । ये यहां परोपकार के उद्देश्य से कार्य नहीं कर रहे । ये हमें धोखा देते हैं और तनाव को बढ़ाते हैं । यह बात कई अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं से सिद्ध हो जाती हैं ।

कुछ व्यवहारिक लोगों का कहना है कि हमें बहु-राष्ट्रीय निगमों से डरना नहीं चाहिए 'स्पैन' पत्रिका इन निगमों के हितों को ध्यान में रखती है । वस्तुतः देखा जाए तो इन निगमों की कुल बिक्री 500,000 करोड़ है । विकासशील राष्ट्रों का सकल राष्ट्रीय उत्पाद 50 बहुराष्ट्रीय निगमों की कुल बिक्री से कम है । ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि ये निगम आर्थिक क्रियाकलापों पर किस प्रकार हावी है । यही वे निगम हैं जिन्होंने अतलांतिक के पार मुद्रा-स्फीति की स्थिति पैदा कर दी जिसके परिणामस्वरूप बरोजगार में वृद्धि हुई और कल्याण तथा सरकारी क्षेत्र व्ययों में कमी हुई।

वर्ष 1973 में अल्जीयर्स में हुए गुट-निर्पेक्ष सम्मेलन में बहुराष्ट्रीय निगमों के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई थी । राष्ट्रमण्डलीय देशों की सरकारों ने ओटावा में अगस्त, 1973 में और बागोटा सम्मेलन में भी यही आवाज़ उठाई गई थी । फरवरी में मैक्सिको में अमरीका के विदेश मंत्रियों की बैठक में इन निगमों की कड़ी आलोचना की गई हैं । अक्तूबर में नई दिल्ली में हुए राष्ट्रमण्डलीय संसदीय सम्मेलन ने भी बहुराष्ट्रीय निगमों के विचार की कड़ी आलोचना की गई थी । पटना में हुए विश्व फासिस्ट विरोधी सम्मेलन में भी बहुराष्ट्रीय निगमों के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई थी ।

बहुराष्ट्रीय निगमों को अन्तराष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभरते हुए देखकर न केवल विकासशील देश बल्कि विकसित देश भी चिन्तित है । ये निगम हमारे देश के प्रतिभाशाली तकनीशियनों को लालच देकर काम पर लगा लेते हैं और इस तरह देश का आत्म-सम्मान समाप्त कर रहे हैं।

लोक लेखा समिति ने कई बार यह कहा है कि 'आई० वी० एम०' भारतीय उपशाखाओं का अधिक बिल बनाती हैं और कम मूल्य के बीजक तैयार करती है । बड़ी-बड़ी औषध कम्पनियां अन्तरण मूल्य का तरीका अपनाकर भारत को धोखा दे रहीं हैं।

हाथी समिति ने हाल में बताया है कि भारत में बिकने वाली औषधियों की कुल बिक्री की 70 प्रतिशत राशि, जो कि लगभग 370 करोड़ बनती है, विदेशी कम्पनियों को जाती है । शत-प्रतिशत विदेशी साम्य पूंजी वाली दस फर्में अब भी भारत में काम कर रही हैं और इनमें से 6 फर्में केवल सूत्रयोग तैयार करने का काम करती है ।

न्यूयार्क टाईम्स में एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसका गत वर्ष संसद में उल्लेख हुआ था कि लगभग 40 अमरीकी फर्मों के सम्पर्क अधिकारी भारतीय अधिकारियों के साथ मिले हुए हैं । ये राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं, संसद में अपने समर्थक बनाने के लिए पैसा खर्च करते हैं तथा शराब आदि पिलाकर, बड़े-बड़े होटलों में ठहराकर उनका मनोरंजन करते हैं । ऐसे बड़े-बड़े अधिकारियों की सूची बनाई जानी चाहिए जिनके संबंधी, बच्चे या भतीजे बोईंग या रोश आदि कम्पनियों की भारत स्थित शाखाओं में काम करते हैं । ये लोग प्रजातन्त्र के लिए खतरा हैं, फिर भी सरकार इस खतरे से निपटने के मामले में सजग नहीं हुई है ।

मार्च में पता चला है कि एक सप्ताह के भीतर 'गुडईयर' 'एबट लेब्रोटरीज़' 'जनरल टेलीफोन्स एन्ड इलेक्ट्रानिक्स' जैसी बड़ी-बड़ी फर्मों ने विदेशों में धन भेजा है । बोईंग कम्पनी ने स्वयं माना है कि उन्होंने विदेशों में लोगों को कमीशन देने के लिए 7 करोड़ डालर व्यय किए । सभी क्षेत्रों से इस प्रकार की खबरें आ रही हैं फिर भी सरकार इस ओर कोई कार्यवाही नहीं कर रही ।

अगस्त, 1975 में एक अमरीकी पत्रिका ने ऐसे कई उदाहरण दिए हैं जिससे पता चलता है कि बहुराष्ट्रीय निगम मेजबान देशों के राजनीतिज्ञों को रिशवत दे रहे हैं । क्या सरकार समझती है कि ये अमरीकी लोग हमारी ओर मित्रता का रुख अपनाऐंगे ? सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

ये कम्पनियां हमारी अर्थ-व्यवस्था को खराब कर रही हैं । कोका कोला कम्पनी निर्यात से अधिक आयात कर रही है फिर भी उसके समर्थक भारतवर्ष में हैं । भारत जैसे विकासशील देश को एक नीति अपनाकर यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि वह इस प्रकार की धांधली नहीं होने देगा ।

यह बड़े खेद की बात है कि विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है । बड़े दुःख की बात है कि श्री पाई भी यहां उपस्थित नहीं हैं । ऐसे गम्भीर विषय की चर्चा के दौरान उनका यहां होना बड़ा जरूरी था ।

बहुराष्ट्रीय निगमों ने गम्भीर खतरा उत्पन्न कर दिया है । हम जितनी जल्दी कदम उठाऐंगे उतना ही बेहतर होगा । कलकत्ता में प्रधान मंत्री तथा श्री चव्हाण के वक्तव्यों को ध्यान में रखते हुए गम्भीर कार्यवाही की जाएगी ।

**सभापति महोदय** : अब संकल्प के संशोधन पेश किए जाऐंगे ।

**श्री बी० वी० नायक** (कनारा) : मैं अपना संशोधन पेश करता हूं ।

**श्री मूल चन्द डागा** (पाली) : मैं अपना संशोधन पेश करता हूं ।

**श्री के० लकप्पा** (तुमकुर) : यह एक अत्याधिक लाभदायक संकल्प पेश किया गया है जो राष्ट्र के हित में है । बहुराष्ट्रीय निगमों का देश में कार्यसंचालन यहां के लोकतंत्र और समाजवाद की नई भावना के अनुकूल नहीं है । इन निगमों में विभिन्न देशों में भारी राशि निवेश किया है । इन पर प्रतिबन्ध लगाना सराहनीय कार्य है । तीसरे देश—विकासशील देश—पूंजीवादी देशों की दया पर ही जीवित हैं जो अपना प्रभुत्व जमाने के लिए ही उन्हें आर्थिक सहायता देते हैं । हमारी प्रधान मंत्री ने इस सदन में कई बार कहा है कि हमें अपना मार्ग स्वयं खोजना है, हमें आत्म-निर्भर होना है और हमें राष्ट्र की प्रभुसत्ता बनाए रखने के लिए अपनी ही अर्थ-व्यवस्था बनानी चाहिए किसी देश से किसी शर्त पर सहायता नहीं लेनी

चाहिए इसलिए यदि कोई बहु राष्ट्रीय निगम राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक मंच पर इस तरह कार्य करे जिससे हमारी प्रणाली के मूल ढांचे, हमारी स्वाधीनता, स्वतंत्रता और समाजवाद के आधार पर आघात आये तो हमें उसे हतोत्साहित कर देना चाहिए और उसे पनपने नहीं देना चाहिए।

यहां तक कि सरकार भी इनकी कार्य प्रणाली के बारे में कुछ नहीं जानती है ।

**सभापति महोदय** : आप अपना भाषण शीघ्र समाप्त करें ।

**श्री के० लकप्पा** : विदेशी निवेशों की सीमा होनी चाहिए। गुट-निरपेक्ष देशों ने, जहां ये बहुराष्ट्रीय निगम कार्य करते हैं, लीमा में एक संकल्प पास किया है । लेकिन उस सम्मेलन के पर्यावलोकनों को भी स्वीकृत नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें समाप्त कर दिया गया है । भारत जैसे बड़े देश को आत्म-निर्भरता का मूल्य समझना चाहिए तथा दूसरे देशों की आर्थिक सहायता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए । हमें आत्म-निर्भर होना चाहिए और साथ ही विदेशी निवेश को नियमित करने के लिए तरीके ढूंढने चाहिए। आपात-स्थिति लागू होने के बाद भारत सरकार ने चोर बाजारियों जिनकी बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ सांठ-गांठ है, के विरुद्ध अनेक कदम उठाये हैं । ऐसी सूरत में उन निगमों के कार्यकरण की जांच करने हेतु आपात स्थिति का उपयोग करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त हो। उन्होंने हमारी प्रतिभाओं की विचारधारा बदली है।

पता लगा है कि बहुराष्ट्रीय निगमों और इनकी भारतीय सहायक फर्मों की आस्तियां 2500 करोड़ रुपये की हैं । इसका मुख्य भाग ब्रिटेन और अमरीका का है । कुल विदेशी आस्तियों में से 1,249.2 करोड़ रुपये भारतीय सहायक फर्मों के नाम में हैं और 1,145 करोड़ रुपये 146 एककों में लगाये गये हैं, जो बिजली का सामान, मशीनरी, औषधियों का निर्माण करते हैं । मेरा सरकार से अनुरोध है कि जहां कहीं ये विदेशी कम्पनियां राष्ट्र के हितों के प्रतिकूल काम करें और देश की एकता को खतरा पैदा हो तो हमें उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। इन बहुराष्ट्रीय निगमों से कहा जाये कि वे अपने पूर्ण व्यय का पूरा लेखा जोखा रखें जो वे उस देश में खर्च करती हैं या अपने देश में भेजती हैं।

अन्ततोगत्वा इसका एक ही समाधान है कि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का विकास किया जाये और इसमें आत्म-निर्भरता प्राप्त की जाये । किसी देश की निन्दा करने या निर्भर रहने के बजाय हमें अपने पांवों पर खड़ा होना चाहिए ।

**श्री सेंझियान** (कुम्बकोणम) : मेरे विचार से अब समय आ गया है जब कि सरकार को स्थिति को समझना और आत्मसन्तोष की भावना का त्याग करना चाहिए क्योंकि इस संकट का सामना न केवल हमें ही करना पड़ रहा है बल्कि विश्व के सभी विकासशील देशों को भी करना पड़ रहा है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का उद्भव और विस्तार इस शताब्दी के दूसरे भाग में हुआ है । यदि सरकार ने ठीक समय पर सचेत होकर कार्यवाही नहीं की तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जबकि कुछ भी करना असम्भव हो जायेगा और फिर उन कम्पनियों को अपना विस्तार करने से रोकना असम्भव हो जायेगा।

"बहुराष्ट्रीय" अपने आप में ही मिथ्या नाम है क्यों कि कम्पनी देश के कानून के अन्तर्गत राष्ट्रीय ही होती है।

इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का आकार ही संकटपूर्ण और खतरनाक है । अनुमान लगाया गया है कि इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का उत्पादन एक वर्ष में 750 अरब डालर हो गया है । यह भी कहा गया है कि उनके उत्पादन में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हो रही है जबकि गैर-बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में यह औसत वृद्धि केवल 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष है । ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, जिनकी संख्या इस समय 650 है और जिनका समूचे विश्व में प्रभुत्व है, उस शताब्दी के अन्त तक कम हो कर 300 रह जायेंगी । क्योंकि ये बड़ी मछलियां हैं । और इसीलिए बड़ी कम्पनियां छोटी कम्पनियों को पनपने नहीं देती हैं । हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हमारा देश इतना बड़ा है कि ये कम्पनियां उसे हानि नहीं पहुंचा सकतीं ।

उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अपना एक वर्ग बना रखा है । ये अपनी नागरिकता स्वयं बना लेते हैं । उदाहरण के लिए जिसका आई० वी० एम० से सम्बन्ध है वह उसका नागरिक बन जाता है । चाहे वह भारतीय है या अमरीकी, वह राष्ट्रीयता की परवाह नहीं करता है । वह किसी के प्रति निष्ठावान नहीं होता है । उनका ध्येय केवल मुनाफा कमाना है ।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि उनके कार्यसंचालन को नियंत्रित करने के लिए विशेष कानून बनाया जाना चाहिए ।

हमने विभिन्न विदेशी कम्पनियों और विदेशों के साथ 4,440 सहयोग समझौते किए हैं । इनका अध्ययन किया जाना चाहिए। इनकी जांच के लिए यह संसद किसी समिति की नियुक्ति क्यों नहीं करती है ?

ये पृथक कानून बनाने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि हमारे आयकर कानून के अन्तर्गत कुछ उद्योगों को कई प्रकार की रियायतें एवं प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है । इण्डियन टोबाको कम्पनी, जो ब्रिटिश अमरीकन कम्पनी की सहायक है और जिसका लन्दन में मुख्यालय है, अब यहां होटलों का निर्माण कर रही है । हम यह कह कर कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को ये रियायतें उपलब्ध नहीं हैं उन्हें ऐसा करने से रोक सकते हैं ।

गुंटुर में उत्पादन किया गया बढ़िया किस्म का तम्बाकू बहुत अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से भी कम मूल्य पर लन्दन निर्यात किया जाता है । इस तरह से हमारे किसानों का शोषण नहीं होने दिया जाना चाहिए। सरकार इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को छिपे रूप में सहायता दे रही है । विभिन्न प्रकार की सिगरेटों के मूल्य कम कर सरकार ने हैदराबाद की बजीर सुलतान कम्पनी को धाटा पहुंचाया है । इसलिए उन कम्पनियों को नियमित करने के लिए अलग से कानून बनाया जाना चाहिए ।

जहां तक लाभ को विदेश भेजने का सम्बन्ध है, उसे कई तरीके से बाहर भेजा जाता है । यह लाभ रायल्टी, तकनीकी ज्ञान, तकनीकी शुल्क, मुख्यालय व्यय के रूप में तथा अन्य कई तरीकों से बाहर भेजा जाता है । सरकार ने इस राशि की अभी तक अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की है । अब सरकार को

इसको समान सीमा निर्धारित करनी चाहिए कि एक कम्पनी कितना धन बाहर भेज सकती है और वह भी अर्जित विदेशी मुद्रा जब तक सरकार ये कदम नहीं उठायेगी और इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए पृथक कानून नहीं बनायेगी तब तक उस समस्या को हल नहीं किया जा सकता और देश के लोग इनकी दया पर निर्भर करेंगे ।

**Sardar Swaran Singh Sokhi** (Jamshedpur) : Sir, I welcome this resolution brought forward by Shri Mukherjee, these multinational corporations are runing the economy of our country. I wish that Government should bring a Bill to check black deeds of these corporations.

We are incurring a huge amount of foreign exchange on the import of concentrates by Coca Cola company. Government see to this and try to find out some solution in this regard.

These multi-national corporations are not only corrupting our officers, but also give large donations to the political parties. Government should see to it and look into this matter.

Indian Oxygen company in Jamshedpur, a subsidiary of a British company, is mis-appropriating foreign exchange in a wasteful manner.

We have to be very cautious about these multi-national corporations, because they are leaking out the secrets of our country through their agents special and separate law should be enacted to check such activities of these multi-national corporations. The Minister of External Affairs should pay special attention to it.

*डा० **सरदीश राय** (बोलपुर) : इस संकल्प से बहुराष्ट्रीय निगमों की विध्वंसकारी तथा भ्रष्ट गतिविधियों का भण्डाफोड़ हुआ है । जो न केवल दूसरे देशों ने वरन अमेरीका की सीनेट की समितियों ने भी किया है । ये बातें उस समय प्रकाश में आई जब वे लोग अनेक संकटों का सामना करते हुए इनका हल निकालने के कार्य में लगे हुए थे । इन बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों के फलस्वरूप अमरीका में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल गई थी । अमरीका ने इन निगमों की भ्रष्ट गतिविधियों का रहस्य इसलिए नहीं खोला क्योंकि वे इन पर रोक लगाना चाहते थे किन्तु परिस्थितियों ने उन्हें प्रकाश में लाने को बाध्य

*मूल बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर ।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

कर दिया । आर्थिक शक्ति के साथ-साथ उन निगमों ने राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त कर ली है। उन्होंने अनेक देशों में बड़े-बड़े नेताओं की हत्या करने तथा देशों की सरकारों का तख्ता उलटने के लिए अपनी राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग किया है । इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का सी० आई० ए० से गहरा सम्पर्क है । इसका अर्थ यह है कि सी० आई० ए० इन बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से विभिन्न देशों में अपना कार्य कर रहा है । प्रो० मुखर्जी ने स्पष्टरूप से बताया है कि ये निगम किस तरह अनुसन्धान और विकास वित्तों, वित्त अन्तरण और मुद्रा अपराध आदि जैसे गलत ढंग से कमाये गए धन को अपने देश भेजते हैं ये निगम गलत ढंग से कमाये गए धन को अपने देशों में ऊंचे-ऊंचे पदों पर आसीन लोगों को खरीदते हैं । हमारे देश में उन्होंने अपने वास्तविक निवेश का कई गुना अधिक लाभ कमा लिया है क्यों कि भारत एक कम्पनी से बोईंग विमान खरीदता है। ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हमारे देश में भ्रष्ट तरीके अपनाती हैं।

हमारी प्रधान मंत्री ने 2 मार्च को कलकत्ता में एक खुले समारोह में खुले आम घोषणा की थी कि हम उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अपने देश में सहन नहीं करेंगे, किन्तु उसी दिन कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को, जो पूर्णतया विदेशी कम्पनी है, पश्चिम बंगाल सरकार ने विश्व बैंक से 100 करोड़ रुपये का ऋण लेने की अनुमति दी और उसके लिए केन्द्रीय सरकार ने गारंटी दी है । ऐसा क्यों ? इसका यह तात्पर्य है कि सरकार इस घोषणा के प्रति बिल्कुल गम्भीर नहीं है । उसकी कथनी और करनी में बहुत अन्तर है। ऐसे वक्तव्य देकर देश के लोगों को धोखा दिया जाता है । कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी इस ऋण से बहुत भारी व्यापार बढ़ायेगी । इस ऋण पर होने वाला ब्याज बिजली के उपभोक्ताओं से वसूल किया जायेगा । यह अत्यधिक खेदजनक बात है । कम्पनी की देयताओं का भुगतान कलकत्ता के निवासियों को करना पड़ेगा । ये बहुराष्ट्रीय निगम भारतीय पूंजीपतियों से सांठ-गांठ कर हमारे देश के सस्ते मजदूरों का भी शोषण कर रहे हैं। इसलिए मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह सरकार बातें तो बहुत अच्छी करती है लेकिन जब कार्यवाही करने का समय आता है तो वह अपनी पीठ मोड़ लेती है ।

हाल ही में लीमा में हुए अमरीकी आर्थिक और सामाजिक सम्मेलन में विकसित देशों के प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई तो एक गम्भीर स्थिति पैदा हो जायेगी । और विकासशील देशों के प्रतिनिधियों ने कहा कि बहुराष्ट्रीय निगमों के कार्यकरण को विनियमित करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय कानून बनाया जाना चाहिये। इस सम्मेलन में कोई मतैक्य नहीं हो सका। हमारे सरकारी प्रवक्ता ने कहा है कि बहुराष्ट्रीय निगमों को नियंत्रित करने के लिये विदेशी मुद्रा विनियन अधिनियम पर्याप्त है। लेकिन मेरा कहना यह है कि यह अधिनियम एक धोखा है और यह देश में और देश से बाहर भी लोगों को धोखा देने के लिये बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रिकों को इसमें शेयर दिये जायेंगे। अधिनियम में एक और खामी है और वह यह है कि यदि ये निगम अपने उत्पादों का निर्यात करेंगे तो वे अपनी 75 प्रतिशत पूंजी यहां रख सकेंगे। यह कानून बहुराष्ट्रीय निगमों को प्रोत्साहित करने और लोगों को धोखा देने के लिये बनाया गया है। यदि हम बहुराष्ट्रीय निगमों के कार्यकलापों को रोकना चाहते हैं तो हमें लीमा में विकासशील देशों के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये सुझाव पर अमल करना होगा ।

हमारी सरकार बड़ी बातें करती है पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाती । ऐसे कामों से सरकार केवल भारतीय और विदेशी पूंजीपतियों के ही हितों की रक्षा कर रही है।

**Shrimati Savitri Shyam** (Aonla) : There are a large number of corporations in the USA. These corporations are operating in many countries of the world including our own. However, the number of American corporations is not as large in our country as the British companies. Even now 50 per cent of foreign companies operating in our country are British. These multi-national corporations irrespective of the fact to which country they belong, have been a permanent drain on the economy of our country. They continue to exploit this country even today. Therefore, every effort should be made by the Government to stop this drain of foreign currency from our country.

The foreign companies operating in India do not maintain proper accounts. The profits and accounts of these companies are never reported correctly. They do not submit any report of their affairs to the Government.

Even ILO has complained that these multinational companies are exploiting the labour. They do not comply with the labour laws and legislations of the country of their operation and violate those laws with impunity. All these violations should be seriously looked into and dealt with.

I will not plead for the take over of all those corporations but at the same time will strongly suggest that the affairs of these multinational corporations need a thorough looking into. A high-power committee which should include the Members of Lok Sabha should be appointed to go into the affairs of those corporations and to suggest measures to remedy the situation.

It is regrettable that Government have no firm policy in regard to these corporations. Therefore, Government should formulate a decisive policy in regard to these foreign corporations. We should decide where and in what terms we should enter into collaboration with these foreign companies. Before entering into any collaboration agreement we must fully assess the potential of employment, the type of foreign know-how and the quantum of foreign exchange that our country would be able to save. Only after going through all these details we should allow the foreign companies to operate in our country. They must not be allowed to exploit our country.

**श्री के० एस० चावड़ा** (पाटन) : कुछ बहुराष्ट्रीय औषध निगमों ने अमरीका में सुरक्षा तथा विनिमय आयोग के समक्ष आश्चर्यजनक प्रकटन किए हैं। मर्क एण्ड कंपनी ने 39 लाख रुपये अन्य देशों में विदेशी सरकारी अधिकारियों को दिए और फिजर कंपनी ने भी कुछ देशों में विदेशी सरकारी अधिकारियों को अवैध प्रत्यक्ष भुगतान किया है। अतः सरकार को देश में फिजर, मर्क तथा अन्य विदेशी कम्पनियों द्वारा चुकाई जाने वाली राशि का पता लगाना चाहिए। और दोषी व्यक्तियों के प्रति उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

अन्क्टाड द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक दस्तावेज में कहा गया है कि 50—60 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का अवैध उत्पादन के क्षेत्र में एकाधिकार है और औषध निर्माण के लिए अपेक्षित तकनीक के एक महत्वपूर्ण भाग पर भी उनका नियंत्रण है। प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग के माध्यम से यह बहुराष्ट्रीय निगम विकासशील देशों के अधिकांश औषध निर्माण कार्य पर नियंत्रण करते हैं। दवाइयां बनाने के काम में आने वाले रसायनों की वह भारी कीमत वसूल करते हैं और इस प्रकार विकासशील देशों में वह छिपा भारी मुनाफा कमाने के साथ करापंवचन भी करते हैं।

फिजर कम्पनी ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर अनुचित ढंग से इस देश में प्रवेश किया। उन्होंने आक्सीटेटरा-साइकलिन का उत्पादन अवैध रूप से 9 टन से बढ़ाकर 40 टन कर लिया है। उन्हें निर्यात बांड भरने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने अभी तक इसको पूरा नहीं किया है। उन्हें अपना उत्पादन गैर-सम्बद्ध फार्मुलेटरों को सौंपने के लिए कहा गया लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा भी नहीं किया है। कानून के इस सभी अतिलंघनों के बावजूद भी उन्हें डोक्सी साइकलिन बनाने की अनुमति दे दी गई है यद्यपि आई०डी०पी०एल० और अन्य भारतीय कंपनियां इस औषधि का निर्माण कर सकती हैं और वह देश की समूची मांग को भी पूरा करने में समर्थ हैं।

सैन्डोज एक और ऐसी ही बहुराष्ट्रीय कम्पनी है। इसने अनुसंधान-प्रधान कम्पनी के रूप में अपना काम चुपके से शुरू किया। तीसरी कंपनी 'मे एण्ड बेकर' और चौथी मैसर्स 'रोश' है। रोश ने 'बेलियम' प्रशांतक के माध्यम से इंग्लैण्ड में भारी मुनाफा कमाया लेकिन ब्रिटिश सरकार के दवाब पर इसे पैसा वापिस करना पड़ा।

सरकार को सभी बहुराष्ट्रीय औषध कंपनियों को अपने अधिकार में ले लेना चाहिए। यदि सरकार सभी कंपनियों को अपने अधिकार में नहीं लेना चाहती तो कम से कम उसे इन 12 कंपनियों तथा आई०सी०आई० एग्लो फैंच, रोश, सीबा, सिनेमाइड, ग्लैक्सो, फिजर, अबाट, फुलफोड, जाफरो, मैनरस, सैन्डोज, होशे, और मे एण्ड बेकर इत्यादि को तो अपने अधिकार में अवश्य कर लेना चाहिए। इन 12 कंपनियों की मूल साम्य पूंजी 50 लाख रुपये थी। किन्तु अब उनका कुल उत्पादन लगभग 225 करोड़ रुपये है जबकि हमारे देश के समूचे औषध उद्योग का कुल उत्पादन केवल 370 करोड़ रुपये है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इन 12 कंपनियों को सरकार तुरन्त अपने हाथ में ले ले। मैं सरकार को यह भी बताना चाहता हूं कि जब तक संबद्ध मंत्रालयों से इस क्रमबद्ध सरकारी परम्परा को सुधारा नहीं जाता तब तक हम देश में कार्य कर रही इन बहुराष्ट्रीय निगमों के एकाधिकार को समाप्त करने में सफल नहीं होंगे।

**श्री बी० वी० नायक** (कनारा) : भारतीय उपभोक्ताओं की विदेशी नामों जैसे फिलिप्स, अबाट्स, मे एण्ड बेकर अथवा फिजर के प्रति कुछ सम्मोहन है। हमें अपनी राष्ट्रीय गरिमा को बढ़ाने, शोषण को रोकने तथा भोले-भाले निरीह उपभोक्ताओं को गुमराह होने से बचाने के लिए इन विदेशी नामों पर प्रति-बंध लगा देना चाहिए और इन ब्रांड नामों का पूर्ण भारतीयकरण कर देना चाहिये।

आज तक हम बहुराष्ट्रीय निगम शब्दों का प्रयोग व्यापक रूप में करते आये हैं। इस शब्दावली की उचित व्याख्या की जाए।

देश में गैर-राष्ट्रीय भारतीय पूंजीपति विद्यमान हैं सारे विश्व में उनसे बुरा कोई नहीं हो सकता। फिर देश में बहु-राज्य निगम भी हैं और इसके बारे में कम्पनी कार्य मंत्रालय अच्छी तरह अवगत है। इन बहु-राज्य बड़े व्यापार गृहों का वर्गीकरण किया जाए तथा अच्छे और बुरे व्यापार गृहों को अलग किया जाए।

बहुराष्ट्रीय निगमों ने मात्र अपने आकार के कारण इस देश में अपना प्रभुत्व कायम किया है और छोटे एककों को बाहर कर दिया है।

बहुराष्ट्रीय निगमों की बात तो एक ओर रही, हमारे यहां बहु-राज्य निगम भी कार्यरत है तथा इनके बारे में कम्पनी कार्य मंत्रालय को भी पूरी तरह से जानकारी है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार बहु-राज्य बड़े व्यापार गृहों का वर्गीकरण क्यों नहीं कर देती? सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि अच्छे या बुरे व्यापार गृह कौन-कौन से हैं।

गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम में यह परिभाषा दी गई है कि जिस भी निगम की स्थापना भारत में की गई हो तथा इसके अतिरिक्त अन्य किसी देश में भी उसकी स्थापना या शाखा हो, उसे बहुराष्ट्रीय निगम माना जायेगा। श्री एच० एन० मुकर्जी इससे सहमत नहीं है। उनके मतानुसार जिन निगमों की शाखा स्थापनायें कम से कम छः देशों में हो, उन्हें बहुराष्ट्रीय निगम माना जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि बहु-निगमों की वर्तमान परिभाषा स्पष्ट नहीं है, यह परिभाषा पुनः की जानी चाहिये। वर्तमान विदेशी नामों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिये तथा इन ब्रांड नामों का पूर्ण भारतीयकरण कर दिया जाना चाहिये।

आज हमारे देश में स्थिति यह है कि बहुराष्ट्रीय निगमों ने अपने व्यापक आकार के कारण सम्पूर्ण देश पर अपना प्रभुत्व जमा लिया हुआ है तथा छोटी एककों को प्रतियोगिता से पूर्णतया बाहर कर दिया है। मेरा यह सुझाव है कि हमें बहुराष्ट्रीय निगमों पर चर्चा करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन करना चाहिये जो इस समस्या पर व्यापक रूप से विचार कर, कुछ ठोस समाधान प्रस्तुत करे।

अब जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है उससे तो ऐसा जान पड़ रहा है कि बहुराष्ट्रीय निगम इस गुट-निरपेक्षता के वातावरण में और भी शक्तिशाली हो जायेंगे। अतः अब समय आ गया है जबकि हमें अपनी कथनी तथा करनी का अन्तर समाप्त करना होगा। हमारा दोष यही है कि हम अपनी सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए अपने आदर्श को भूल जाते हैं। इस सम्बन्ध में सब से पहली बात यही है कि विकासशील देश एक जुट होकर इस खतरे का सामना करे तथा इन्हें अपने पूर्ण नियंत्रण में ले आये।

**डा० रानेन सेन** (बारसाट) : बहुराष्ट्रीय निगमों की तुलना ऐसे सांप से की जा सकती है जो निरन्तर खून चूसता रहता है, ऐसे निगम निरन्तर देश का शोषण करते रहते हैं तथा इसके साथ ही विचित्र बात यह है कि इन निगमों के साथ पक्षपात किया जाता है । वास्तव में इन निगमों के समृद्धि कारण भी यही है । यह बात प्रायः कही जाती है कि यह कम्पनियां पूंजी निर्माण उद्योगों के विकास तथा तकनीकी जानकारी के लिए आवश्यक होता है परन्तु यह तर्क यथार्थ से काफी परे का है तथा निराधार है ।

**सभापति महोदय** : आप अपना वक्तव्य अगले दिन जारी रखियेगा ।

**इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 26 अप्रैल, 1976/6 बैसाख, 1898 शक् के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।**

**The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday, April 26, 1976/Vaisakha 6 1898 (Saka)**



MGIPRRND—5 LSS/76—TSS Ist—1-9-75—200